राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 30 वां दिवस [संख्या 13

गुरुवार, दिनांक 1 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, उपनिवेशन, सामान्य प्रशासन गृह, सिंचाई, अकाल-सहायता, विद्युत्, राजस्व एवं श्रम विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री खेतसिंह !

ग्राम सोमेसर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

157. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़) : क्या मंत्री, चिकित्सा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोमेसर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है ?

(2) क्या यह सही है कि सोमेसर को जनता ने अपने हिस्से के दस हजार रुपये राज्य के खजाने में जमा करा दिये है ? यदि हां, तो किस तारीख को जमा करवाये ?

(3) क्या कारण है कि राज्य सरकार ने ग्राम सोमेसर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है ?

(4) कितने समय में सोमेसर में भवन-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा और वहां स्थायी तौर पर डॉक्टर भेज दिया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि अभी तक जितनी भी दवाइयां सोमेसर प्राथमिक केन्द्र के नाम से खरीदी जाती हैं वे जोधपुर में ही खत्म की जाती हैं ?

मंत्री, चिकित्सा विभाग (श्री दामोदर लाल व्यास) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ग्राम सोमेसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2-3-66 से कार्य कर रहा है।

(4) पी. एच. सी. भवन बनाने के लिये 60,000) रु. की रकम की आवश्यकता है जिसमें 40,000) रु. तो सरकार देती है, 10,000) रु. लोकल जनता व 10,000) रु. पंचायत समिति देती है जिसमें लोकल जनता की तो रकम जमा हो गई है, मगर, सरकार व पंचायत समिति द्वारा आगे की रकम उपलब्ध होने पर भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। इसके अलावा डाक्टरों के उपलब्ध नहीं होने के कारण उपरोक्त स्थान खाली है। अब ज्योंही डाक्टर उपलब्ध हो जायेगा त्योंही भेज दिया जायेगा।

(5) जी नहीं।

श्री खेतसिंह : क्या यह सही नहीं है कि 13 नवम्बर, 1966 को आपके डाइरेक्टर मेडीकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज ने पंचायत समिति शेरगढ़ को आश्वासन दिया था कि भवन-निर्माण का कार्य 15 दिन में आरम्भ कर दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आश्वासन तो मैं आपको अभी भी दे रहा हूं।

श्री खेतसिंह : कब भवन का निर्माण शुरू होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्योंही रुपया उपलब्ध हो जावेगा भवन निर्माण का काम शुरु कर दिया जावेगा।

श्री खेतसिंह : आश्वासन की न.प क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइनेन्शियल पोजिशन ठीक होने पर।

खेतसिंह : यह कब तक ठीक हो

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो माननीय सदस्य स्वयम् ही जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कृष्ण कुमार गोयल !

कोटा म्युनिसिपल कौन्सिल क्षेत्र में तामीर हेतु दरख्वास्त

158. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा म्युनिसिपल कौन्सिल क्षेत्र में मंडी कमेटी व म्युनिसिपल कौन्सिल को सीमायें अधिकार क्षेत्र से विभक्त की हुई हैं ? अगर हां, तो कृपया सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि गुमानपुरा, कोल्ड़ी, गोरधनपुरा, छावनी आदि क्षेत्र की तामीरात की दरख्वास्तें मंडी कमेटी में पेन्डिंग हैं ? अगर हां, तो कितनी व कब से ? कृपया तालिका देने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में तामीर की इजाजत दिया जाना मंडी कमेटी ने बन्द किया हुआ है ? अगर हां, तो क्यों और कब से ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ लोगों को इसके बावजूद भी इजाजत दी गई है ? अगर हां, तो किन-किन को कब कब व क्यों ?

उप मंत्री, उपनिवेशन विभाग (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, इस सम्बन्ध में कृपया देखिये राज्य विज्ञप्ति संख्या टेक्स। एफ 44 (8) डी० एल० बी०। 64 दिनांक 10 मार्च, 1966 जिसमें म्युनिसिपल कौंसिल, कोटा की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा मंडी क्षेत्र है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस आदेश का अभी जिक्र किया गया उससे पूर्व 16-6-64 को ऑर्डर नवम्बर 650 कॉलोनाइजेशन 150 के द्वारा इन क्षेत्रों के लिये कलेक्टर को अधिकार दिया गया था ?

Page No.3

श्री बृजसुन्दर शर्मा, (उपनिवेशन मंत्री) : कोटा कलेक्टर को म्युनिसिपल एक्ट की धारा 171 के पॉवर्स दे दिये गये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो क्षेत्र मंडी कमेटी को ट्रान्सफर किया गया है वह किसी भी प्रकार से नहर के द्वारा सिंचित नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोटा नगर के बाहर की सीमा में कॉलोनीज को डेवलप करने की दृष्टि से उसको डेवलप किया गया। कोटा शहर के बाहर नहर बहती है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या इस आबादी को नया रिमोडल करने के लिये प्लान था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नयी आबादी बसती चली जा रही है उसको डेवलप करने के लिये आउट साइट दी सिटी वाल यह किया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोटा शहर का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तैयार हो चुका है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या वह फाइनल हो चुका है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तैयार हो चुका है, लेकिन जहां तक फाइनल होने का सवाल है इसको मैं देख कर बता सकता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो क्षेत्र मंडी कमेटीज को ट्रान्सफर किये गये हैं, उनको ट्रान्सफर किये जाने के बावजूद भी कलेक्टर के द्वारा कन्स्ट्रक्शन की इजाजत दी जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कन्स्ट्रक्शन की इजाजत मंडी कमेटी के द्वारा ही दिये जाने का प्रावधान है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उस क्षेत्र को बसावट के लिये कोई मास्टर प्लान नहीं बना है तो उस क्षेत्र में तामीरात की किस प्रकार से इजाजत दी जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। दो-तीन साल से तैयार है, और अभी टेन्टेटिव मास्टर प्लान है उसके अन्तर्गत इजाजत दी जा रही है। मास्टर प्लान फाइनल हुआ या नहीं यह ... बता दूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस प्रश्न ... उप-खंड 2, 3 के बारे में कहा "जी नहीं" क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा, कोटड़ी छावनी के अन्दर जो भूमि है वह तहसील द्वारा बेची गई है, उनका उस प्लान को लेकर कन्स्ट्रक्शन रुका हुआ है ? कई कन्स्ट्रक्शन हो गये हैं और उसके बाद उनके डिमोलिशन्स के ऑर्डर्स हो गये हैं जिन-जिन मकानात के डिमोलिशन के आर्डर्स हैं उनके लिये क्या जस्टिफिकेशन है ? इस सम्बन्ध में अपीलें और दरख्वास्तें कलेक्टर के पास पेन्डिंग हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक डिमोलिशन का सवाल है, मैंने स्वयम् ने ऑर्डर्स दे दिये हैं कि डिमोलिशन की कार्यवाही रोक दी जाय। मंडी कमेटीज के फॉर्मेशन के बहुत पहले तहसील के द्वारा बेचे गये थे। मंडी कमेटीज से इजाजत हासिल नहीं की इसलिये उनको नोटिस दिया कि आपने इजाजत नहीं ली इसलिये कन्स्ट्रक्शन को डिमॉलिश क्यों नहीं कर दिया जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जहां तक आपकी जानकारी है, आपने भी स्वीकार किया है। किन्तु आपने कहा कि कोई एप्लीकेशन पैन्डिंग नहीं है मैं निवेदन करूंगा कि 200 एप्लीकेशन पैन्डिंग हैं। परमीशन बिल्कुल डिस्क्रीशन पर है जिनको ओब्लाइज करना है तीन-चार व्यक्तियों को इजाजत दे देते हैं। 150-200 एप्लीकेशन्स पैन्डिंग हैं उनको परेशान किया जा रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे सामने जो सवालात लाये गये उनमें ऐसे सवाल हैं कि मंडी कमेटीज को इजाजत नहीं प्राप्त की गई इसलिये जुरिस्डिक्शन का सवाल आया। कलेक्टर के यहां से इजाजत नहीं दी इसलिये उनको इजाजत वहां से देनी है। कमेटीज कहती हैं कि हमारे जुरिस्डिक्शन में है इसलिये हम उसको तोड़ेंगे। यह उलझा हुआ प्रश्न है। दो-तीन दिन बैठ कर इसको ठीक किया जायगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज भी सारे केसेज मंडी कमेटी के पास पैन्डिंग हैं सब मकानों को रेगुलेराइज करने के लिये कलेक्टर के पास पैन्डिंग हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रेगुलेराइज करने के लिये नयी एप्लीकेशन नहीं दी। गुमानपुरा का सवाल पूछा है। ये सब एप्लीकेशन्स कलेक्टर के पास रेगुलेराइज करने के लिये दी गई हैं। परमीशन उनके यहां से हासिल नहीं की गई।

जनता की शिकायतों के निराकरण हेतु प्रतिनिधि समिति

159. श्री **भीमसेन** (लूणकरनसर) : **क्या** मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में उप-खंड स्तर एवं जिला-स्तर पर जनता की सामान्य शिकायतों के निराकरण हेतु जन-प्रतिनिधियों की रिमूवल आफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज कमेटीज बनी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार समिति ने इसी प्रकार जिलास्तर पर जनता की सामान्य शिकायतों के निराकरण हेतु प्रतिनिधि समिति के गठन का सुझाव दिया है ? अगर हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उपमन्त्री सामान्य प्रशासन (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(2) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सुधार समिति ने जनता की सामान्य शिकायतों के निवारण हेतु प्रतिनिधि समिति के गठन का सुझाव दिया था, पर राज्य सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री भीमसेन : किस कारण से सुझाव स्वीकार नहीं किया ?

श्री गंगाराम चौधरी : सरकार ने इसे उचित नहीं समझा। इसके अलावा राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में स्थापित कार्यालय हैं उनमें इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसीलिये तो यह समिति हरियाणा और पंजाब ने बनाई है। अधिकारी लोग तो सुनते ही नहीं हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : पंजाब और हरियाणा में अभी बनाई गई है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
इसके परिणाम साल डेढ़ साल में मालूम पड़ेंगे। तब अगर बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे तो यहां पर भी उसके लिये विचार करेंगे। इससे कार्य के निपटाने में और देर लगने की सम्भावना है और उलझनें बढ़ सकती हैं। काम और अधिक बढ़ जावेगा। इसलिये हमने यह फैसला किया है। फिर बहुतसी ऐसी चीजों को जिला स्तर पर लेकर जिला परिषदों में चर्चा की जा सकती है। अब जिला स्तर पर ऐसी कमेटियां बनादी जावें तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें और बढ़ जावेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंजाब में तो दस वर्षो से काम कर रही हैं और सक्सेसफुल्ली काम कर रही हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर दस वर्ष से काम कर रही हैं तो वहां की तो सारी शिकायतें दूर हो गई होंगी, पर ऐसा तो मान कर नहीं चला गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पर इससे मदद तो मिलती है।

तहसील सांचोर में चोरियां

160. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सांचोर में पिछले दो सालों में पुलिस थाना सांचोर एवं सरवाना में चोरी एवं डकैती के कितने मुकद्मे दर्ज हुए? उनमें से कितनों में कितना-कितना माल बरामद किया गया और कितने मुकद्मों में माल बरामद नहीं किया गया? माल बरामद न होने के क्या कारण थे?

(2) उपरोक्त चोरी एवं डकैती के मुकद्मात में से पुलिस द्वारा कितने मुकद्मात का चालान किया गया और कितनों में फाइनल रिपोर्ट दी गई? कितने मुकद्मात पुलिस में जेर तफतीश हैं?

(3) पिछले वर्षों में तहसील सांचोर में इतनी अधिक चोरियां होने के क्या कारण थे? ऐसी चोरियां भविष्य में न होने देने के बारे में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

(4) क्या यह सत्य है कि जुर्म के मालों की संख्या को देखते हुए थाना सांचोर एवं सरवाना में पुलिस स्टाफ बहुत कम है, इसलिए पुलिस तफतीश में बहुत ज्यादा समय लगता है और इससे मुकद्मे नाकामयाब रहते हैं? अगर हां, तो इस बारे में इन थानों में पुलिस स्टाफ बढ़ाने के बारे में सरकार क्या सोच रही है?

(5) क्या सरकार ऐसे ज्यादा जुर्मों वाले थानों में जीप गाड़ियां देने का विचार रखती है? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा। अगर नहीं तो क्यों?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) थाना सांचोर में सन् 1965 व 1966 में डकैती के तीन मुकद्में दर्ज हुए थे। एक अदम वकुआ रहा, दो का चालान किया गया। दो मुकद्मों में से केवल एक में 1500) का माल लूटा गया जो पूरा बरामद कर लिया। थाना सरवाना में सन् 1965 तथा सन् 1966 में दो मुकद्मे डकैती के दर्ज हुए। एक अदम वकुआ रहा एक अदम पता रहा जिसमें 30) का माल लूटा गया था जो बरामद नहीं हो सका।

सन् 1965 तथा 1966 में थाना सांचोर में 41 मुकद्मात चोरी के दर्ज

(श्री दामोदरलाल व्यास)
3 मुकद्‌मात अदम पता रहे 17 अदम वकुआ रहे, 19 चालान पेश किये गये, 1 में तफतीश से इन्कार किया गया और 1 जेर तफतीश है। इन कुछ मुकद्‌मों में 8408) रुपये का माल चोरी गया, जिसमें से 5629) रुपये का माल बरामद कर लिया गया। थाना सरवाना में सन् 1965 व 1966 में 34 केसेज सरकी के दर्ज हुए थे 6 अदम पता रहे, 2 अदम सबूत रहे, 14 अदम वकुआ रहे, 11 में चालान पेश किया गया और 1 में तफतीश से मना किया गया। इन कुल मुकद्‌मात में 15515) रुपये का माल चोरी गया जिसमें से 13365) रुपये का माल बरामद कर लिया गया।

(2) इसका उत्तर भाग 1 में दे दिया गया है।

(3) इन थानों के क्षेत्र में अकाल होने से चोरियों में वृद्धि कुछ रही। जरायम की रोकथाम के लिये गश्त नाकाबन्दी आदि, जरायम करने वाले तथा संदिग्ध चाल-चलन के व्यक्तियों पर निगरानी की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

(4) जी नही, यह सत्य नहीं है। थाने में जाब्ता आवश्यकतानुसार पर्याप्त है।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा न कोई ऐसा प्रश्न ही उपस्थित होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो बेड करेक्टर के लोग हैं उनमें से कितनों का चालान किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा उनकी निगरानी रखी जाती है। आप जो जानना चाहते हैं कि 109 और 110 में कितने चालान किये गये तो यह सवाल अलग है, नोटिस की आवश्यकता है इसके लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कनविक्शन का परसेन्टेज बता सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने अदम पता बहुत सी चोरियां बताई। पाकिस्तान बोर्डर होने से कैटल लिफिट्ग बहुत होती है गुजरात का बोर्डर भी लगता है तो चोर वहां छुप जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो थाने हैं वहां आप जीप प्रोवाइड क्यों नहीं करते ताकि जल्दी से कार्यवाही की जा सके? पन्द्रह बीस दिन तो वहां पहुंचते-पहुंचते लग जाते हैं और इस कारण बरामदगी नहीं होती। अदम पता में चला जाता है। तो ऐसे स्थानों पर स्टाफ अधिक नहीं हो सकता हो तो जीप तो दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको इससे सन्तुष्ट होना चाहिये कि बरामदगियां काफी सन्तोषजनक हैं। चालान भी किये जाते हैं। रहा सवाल थाने में जीप देने का तो आवश्यकता सरकार ऐसी महसूस नहीं करती क्योंकि जो वहां जाब्ता है काफी है। ऐसी आवश्यकता भी नहीं महसूस होती कि जीप के बगैर काम नहीं चल सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं बताऊं जिन लोगों की चोरियां होती हैं वे लोग खुद जाकर जब थाने में जीप प्रोवाइड करते हैं तो कुछ पता-वता लगता है। यह मेरा खुद का परसनल अनुभव है। इसमें लोगों का बहुत खर्चा पड़ता है। हां,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
हर जगह की मैं नहीं कहता, पर जहां बोर्डर लगती हो और चोर दूसरे इलाके में जाकर छुप जाते हों तो ऐसी हालत में ऐसी जगह पर अगर सरकार स्वयं की जोपों का बन्दोबस्त कर दे तो उत्तम होगा। पंचायत समितियों में से लेकर जोपें उधर दी जा सकती हैं।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर) : कितने अर्से बाद केस कोर्ट में पेश किये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

काली सिंध पिक अपवेयर से सिंचाई

161. **श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) काली सिन्ध पिक अप वेयर कब और कितनी जमीन को सिंचित करने के लिए बनाया गया था ?

(2) बान्ध के बन जाने के बाद से इस स्कीम के तहत पिछले पांच सालों में सांगोद व खानपुर की कितनी-कितनी जमीन पर कितनी-कितनी बार सिंचाई की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई कम बार हुई है ? यदि हां, तो क्या कारण हैं ? और आगे इसे पूरा करने की क्या योजना है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री मनफूल सिंह) : (1) काली सिन्ध पिक अप वेयर का निर्माण कार्य सन् 1961-62 में पूर्ण हुआ। इससे 20,000 एकड़ की सिंचाई होने का प्रावधान है।

(2) गत पांच वर्षों सिंचाई के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

तहसील	खानपुर	तहसील सांगोद
1962-63	577 एकड़	1066 एकड़
196-364	700 एकड़	1156 एकड़
1964-65	2005 एकड़	1659 एकड़
1965-66	293 एकड़	3 एकड़
1966-67	1820 एकड़	1230 एकड़

(3) जी हां, पिक अप वेयर बनने के बाद सन् 1961 में टूट गया था जिसका कुछ भाग ही अभी रेस्टोर किया जा सका एवं इस मसविदे को डिजाइन पूर्ण करने के लिये केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग की व रिसर्च स्टेशन, पूना से सलाह की गई उनका फैसला गत वर्ष आया है उसके अनुसार पिक अप वेयर को पूर्ण करने के निविदा आ चुके हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। गत तीन वर्षों में वर्षा का अभाव रहने से नदी में पानी बहुत कम आया जिसके कारण भी सिंचाई कम हुई।

श्री जुझारसिंह : इसकी केपेसिटी 20 हजार एकड़ बताई गई, पर कभी भी चार हजार एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं हुई तो क्या यह केपेसिटी गलत बताई है या कोई खामी है ?

श्री मनफूलसिंह : वर्षा के अभाव के कारण पानी कम आया इसलिये।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह 61-62 में बना, जिसे आज चार साल हो गये। वर्षा की कमी भी पिछले दो साल के लिये कह सकते हैं। पर इससे पहले तो नहीं

Page No.8

(श्री जुझारसिंह)

थो। फिर भी तीन साढ़े तीन हजार एकड़ से ज्यादा में सिचाई नहीं हो पाई तो क्या नहरें नहीं बनी हैं या पिक अप वेयर को उचित रूप से डिजाइन नहीं बनी है, या क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, पिक अप वेयर तैयार होते ही टूट गया। उसको रेस्टोर किया पर पूरा नहीं। पहाड़ी नदी है और इसकी डिजाइन को एग्जामिन करने के लिये जैसा कि अभी प्रश्न के उत्तर में कहा गया सेन्ट्रल वाटर एवं पावर कमीशन की मदद से लास्ट ईयर ही डिजाइन एप्रूव होकर आई है। इसके बाद काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

एक माइनर का और दूसरा नहर का काम भी अधूरा है। जब तक ये रेस्टोर न हो तब तक ये दिक्कतें हैं।

श्री जुझारसिंह : अब क्या दुबारा एस्टीमेट बनेंगे तो क्या अब मौजूदा पिकअप वेयर में चेन्जेज होंगे उसके द्वारा ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी रेस्टोरेशन लगभग 50 परसेन्ट के करीब है। इम्प्रूव होगा यह तब जाकर पूरी क्षमता हो सकेगी।

श्री जुझारसिंह : क्या यह भी सही है कि सिल्टिंग बहुत हो गया है इसलिये स्टोरिंग केपेसिटी उतनी नहीं रही। इसके लिये आपने क्या प्रावधान किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस परटीकुलर केस में पिक अप वेयर में सिल्टिंग होने से क्षमता पर असर पड़ा हो ऐसी सूचना नहीं है।

नागौर जिले के अभावग्रस्त गांव

162. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नागौर जिले में कौन कौन से गांव लगातार तीन साल से अभावग्रस्त घोषित होते आये हैं तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस वर्ष जो अकाल राहत कार्य चलाये गये उनमें इस बात का ध्यान रखा गया कि लगातार तीन साल से अभावग्रस्त रहने वाले गांवों में राहत कार्य विशेष रूप से चालू किये जायें ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य इन क्षेत्रों में चालू किये गये हैं ?

(3) क्या इस प्रकार से लगातार अकालग्रस्त रहने वाले क्षेत्र में खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां, तथा किस प्रकार से ?

(4) नागौर जिले में सहायता कार्य कब चालू किये गये और कब तक चालू रखे, तथा बीच में कब-कब बन्द हुए ? तहसील वाइज-कार्य वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, अकाल सहायता कार्य (श्री गंगाराम चौधरी) : लगातार 3 साल अर्थात् सम्वत् 2021 से 23 तक कोई भी गांव नागौर जिले में अभावग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं।

(2) लगातार 3 साल से कोई गांव अकालग्रस्त घोषित न होने से मांगी गई जानकारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) अभावग्रस्त क्षेत्र के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं। जिन जिन स्थानों पर यह दुकानें खोली गई हैं, उनकी सूची साथ संलग्न है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नागौर जिले में अभावग्रस्त क्षेत्रों में जहां जहां सहायता कार्य खोले गये उनकी तहसीलवार सूची सं० 2 संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 व 2 देखिये)

श्री हरजीराम बुरडक : क्या यह सही है कि तहसील लाडनू में भदवान आदि गावों में 3 साल लगातार फेमिन डिक्लेयर हुए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई प्रश्न ही नहीं उठता लगातार 3 साल से किसी भी गांव में अकाल नहीं पड़े।

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्री महोदय के पास पूरी जानकारी नहीं है। यह गांव डिक्लेयर हुए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जानकारी के आधार पर ही जवाब दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरडक : इनमें तो सहायता कार्य चलते और बीघोडी बंटते 3 साल हुए हैं। मेरे खुद का गांव शामिल है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 163।

श्री बनवारीलाल : (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भगवानदास शास्त्री।

अजमेर नगर में बिजली की दरें

164. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार अजमेर नगर में उपभोक्ताओं को घरू कार्यों के लिये बिजली तथा पावर कम कीमत पर उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या मन्त्री महोदय आप यह बतला सकेंगे कि डोमेस्टिक और नान-डोमेस्टिक यूज के लिये बिजली राजस्थान के कितने नगरों में चालू है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग प्रश्न है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अच्छी बात है अलग प्रश्न है तो लेकिन जो आज बिजली जिस रेट पर दी जाती है और पहले प्राईवेट कम्पनी जिस रेट पर बिजली देती थी उन दोनों रेट में कितना फर्क है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो अजमेर में बिजली दी जाती है और जो उसकी रेट्स हैं वह वही हैं जो कि राजस्थान के दूसरों स्थानों को डोमेस्टिक यूज के लिये बिजली मिली हुई है और जो उसकी रेट्स हैं। इसलिये उसमें कमी करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर आप कमी करने का प्रश्न नहीं मानते हैं तो जब आप बिजली चम्बल से लाने का प्रचार कर रहे थे कि सस्ते दामों पर बिजली देंगे तो क्या यह

Page No.10

(श्री भगवानदास शास्त्री)
सही है कि इस बिजली को प्राईवेट कम्पनी के जो मालिक थे उन्होंने उस डिपार्टमेन्ट को उठाकर बाम्बे भेज दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : सारे राजस्थान में अध्यक्ष महोदय, बिजली की दरें एक ही तरह की हैं और उस समय टैरिफ तय किया गया था इसलिये एक पर्टीकुलर टाउन में टैरिफ से नाग डोमेस्टिक यूज के लिये पावर कम रेट पर दी जायें यह मुनासिब नहीं है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि पहले रेट्स कम थीं और इसलिये अब उस रेट पर दी जाये यह सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि आज से 3 साल पूर्व उस कम्पनी की मियाद खत्म होने वाली थी और किन्हीं मन्त्री महोदय के आदेशों से उसके टाइम में एक्सटेन्शन कर दिया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर आपको मालूम नहीं है तो क्या यह सही है कि डोमेस्टिक और नान-डोमेस्टिक यूज के लिये जनता की मांगों को लेकर यह दोनों ही तरह की बिजली वहां की कम्पनी ने चालू की थी और कुछ लैटर्स भी मांगे थे पब्लिक से कि इस तरह की बिजली डोमेस्टिक और नान-डोमेस्टिक यूज के लिये दी जायेगी। और एकाएक बन्द हो गयी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपका मतलब समझ नहीं सका।

श्री भगवानदास शास्त्री : कुछ लैटर्स इश्यू हुए थे कि डोमेस्टिक और नान-डोमेस्टिक लाइट चालू कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जसराज (भिनाय): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न है। अजमेर के अन्दर जो पहले अजमेर अमलगमेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी काम करती थी क्या उनकी व्यवस्था आज की व्यवस्था से अच्छी नहीं थी और उसकी कम रेट्स नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न है। पूछा यह गया है कि डोमेस्टिक यूज के लिए अजमेर शहर में सरकार रेट्स कम करने की इच्छा रखती है और मैंने कहा जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : ऐसा नहीं है। आपसे घरू काम के लिए बिजली मांगी गई थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री: और बड़े बड़े शहरों में जैसा राहत कार्यों के लिए खर्च करते हैं। आज क्या लोग फ्रिज नहीं रख सकते, हीटर से काम नहीं ले सकते, पंखे नहीं चला सकते। वहां घासलेट समय पर नहीं मिलता है तो बिजली डोमेस्टिक और नान-डोमेस्टिक यूज में देने के लिए क्या आपत्ति है ? ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

नैक्स्ट.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय यह है कि यह प्राईवेट कम्पनी जो बिजली सप्लाई करती है उसकी और गवर्नमेन्ट की रेट में कोई फर्क है क्या ? और दूसरी बात उस कम्पनी को जब

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कोई कान्ट्रेक्ट दिया या उसमें कोई टैरिफ तय किया था और अगर किया था तो उसको रिवाइज क्यों नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : जो बिजली डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं वह गवर्नमेन्ट रेट पर ही कर रहे हैं। इसलिए फर्क होने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री देवीलाल

तहसील सराड़ा में अकाल राहत कार्य

165. **श्री देवीलाल** (सराडा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जिला उदयपुर की तहसील सराडा में खरीफ और रबी की फसल की दृष्टि में कुल कितने गावों में अकाल है ?

(2) क्या यह सही है कि कई गांव ऐसे भी हैं जिनमें अकाल सहायता कार्य आज तक पर्याप्त रूप से चालू नहीं हैं ?

(3) क्या सहायता कार्य नहीं खोले जाने से अन्न के बिना कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड गया है ?

(4) क्या किसी गांव की एक औरत भूख से मर जाने की इत्तला तहसीलदार सराडा को मिली है ?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (1) तहसील सराडा में फसल खरीफ सं 2023 में 132 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए हैं। फसल रबी में 177 गांव अभावग्रस्त घोषित किये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) जी नहीं, राज्य सरकार के आदेशानुसार अधिकांशतया 5 मील के क्षेत्र में एक राहत कार्य उपलब्ध है। जो पर्याप्त हैं। आवश्यकता अनुसार नये राहत कार्य खोले जा रहे हैं।

(3) जी नहीं, स्वास्थय जन समुदाय सामान्य है।

(4) जी हां, तहसीलदार द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि यह औरत लम्बे समय से रोगग्रस्त थी इसी कारण मृत्यु हुई।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस औरत की मृत्यु हुई और जिसके लिए बताया कि वह औरत लम्बे समय से अस्वस्थ थी लेकिन वह औरत अस्वस्थ नहीं थी उस औरत को कहीं भी रिलीफ का काम नहीं मिला और उसके पास कोई काम **धंधा** नहीं था। उसका पति बाहर काम पर गया हुआ था और पीछे से उस औरत को काम नहीं मिला वह अनाज लेने गयी तो अनाज नहीं मिलने पर उसको भूख से मर जाना पड़ा। उस मजरा कोई रिलीफ का काम नहीं था और तहसीलदार ने जांच की है वह गलत जांच की है। गांव के सारे लोगों ने कहा है कि वह औरत भूख से मरी है और इसके लिए कलेक्टर को भी कहा गया लेकिन उन्होनें भी कोई ध्यान नही दिया।

अकाल सहायता मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। इस औरत का मरना माह फरवरी में बताया जब कि हमारे विरोधी दल के नेता बताते हैं कि फरवरी में सबसे ज्यादा फेमिन के काम चल रहे थे। यह औरत अपनी ससुराल में अपनी सासू के साथ रहती थी इसका नाम नोकी था और वह वहां अपने दो बेटों के साथ रहती थी और संयुक्त परिवार में भूख से मरने की संज्ञा देना बिल्कुल गलत है। इसकी तो मृत्यु फरवरी में हुई थी।

श्री नत्थीसिंह : यह किस बीमारी से पीडित थी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, बारबार मुझ पर यह आरोप लगाये जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि राहत कार्य बन्द किये जायें और इस तरह से कह कर पोलीटिकल कैपेटिलिस्ट के ऊपर डाल कर अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। मैं तो बारबार यह कहता आया हूं कि राहत कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं। वह आप सुचारु-रूप से चलायें। यह सराडा का भी उदाहरण आपके सामने आया। मुझे तो मालूम नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति मर गया तो आपकी कुव्यवस्था के कारण मर गया और इसका उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर है। मेरी बात को एक अर्थ का अनर्थ करके उससे अनुचित लाभ मंत्री महोदय उठाना चाहें तो यह मेरे खयाल में सर्वथा अनुचित है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मैं तो उन्हीं के शब्दों में जबाब दे रहा था और जहां तक यह संज्ञा देना कि राहत कार्यों पर काम चल रहा है और अभी भी 12 हजार मजदूर सराडा तहसील में काम पर लगे हुए हैं और फेमिन के जमाने में उसकी मृत्यु हो जाय मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है। इसकी जांच करा ली गई है और तहसीलदार के द्वारा जो रिपोर्ट इसकी आई है वह बिलकुल सत्य है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जांच तो तहसील-दारने ही की है और किसी ने तो नहीं की।

श्री श्रवणलाल : वहां पर फेमिन के काम चले उसके कितने दिनों के बाद उसकी मृत्यु हुई और बीमार रही तो कहां रही, किस हास्पीटल में रही और कब मृत्यु हुई ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बीमारी क्या थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसकी मृत्यु फरवरी में हुई और आर्डीनरी मृत्यु हुई जैसी मृत्यु होती है, लेकिन भूख से मृत्यु नहीं हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सराडा तहसील में आज भी 12 हजार मजदूर रिलीफ वर्क्स पर लगे हुए हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि उस तहसील की इफेक्टेड पापुलेशन कितनी है और क्या मंत्री महोदय महसूस करते हैं कि 12 हजार मजदूर उस तहसील की इफक्टेड पापुलेशन को ध्यान में रखते हुए काफी हैं जो काम कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तारीख 12-5-67 को 16,390 व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। जहां तक औरत के मरने का सवाल है वह औरत एक लम्बी बीमारी से पीडित थी और लम्बी बीमारी से ही उसकी मृत्यु हुई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या बीमारी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं•••

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को अजमेर जिले के सर्किट हाउस में मंत्री महोदय आकर अजमेर जिले के अकाल कार्यों के बारे में आदेश देकर आए हैं लेकिन

Page No.13

(श्री विजयसिंह)
उसमें से 15 प्रतिशत भी रिलीफ वर्क नहीं खोले गए हैं। इसके बारे में लोग आ आकर, शिकायत कर रहे हैं। आपको तार भी दिए गए ह। उन लोगों की शिकायतों पर मैंने भी आपको तार दिए ह। जिसमें मेरा साढ़े पांच रुपया खर्च हुआ है · · ·

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह गलत है।

श्री विजयसिंह : मैं आपको कहता हूं · · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य! ! यह अलग प्रश्न है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंन मंत्री महोदय से यह जानकारी चाही थी कि आपने जैसा अभी बताया कि बारह हजार मजदूर सराडा तहसील में काम कर रहे हैं · · · ·

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सोलह हजार हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस तहसील की टोटल अफेक्टेड पोपुलेशन कितनी है और अकार्डिग टू दी टोटल अफेक्टेड पोपुलेशन क्या मंत्री महोदय यह ठीक समझते हैं कि उसके मुकाबले में जो बारह हजार मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या पर्याप्त है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां से आदेश यह जारी किए गए हैं कि जो भी मजदूर काम पर आए उसको रिफ्यूज नहीं किया जाय। जहां तक परसन्टेज आफ अफेक्टेड पोपुलेशन का प्रश्न है यह अलग सवाल है।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : आपने जो आदेश दिए हैं क्या उनका कलेक्टर पालन कर रहे हैं कि जो भी मजदूर काम पर आवें उनको काम दिया जावे ? क्या आपके इन आदेशों की पालना हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी शिकायत आने पर कलेक्टर को यहां पर बुलाया गया है बात करने के लिए और इसकी तामील कराने की व्यवस्था की जा रही है।

(कई माननीय सदस्य प्रश्न करने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल, प्रश्नकर्त्ता।

श्री देवीलाल : मैं आपसे कहता हूं कि आपके कलेक्टर आपकी बात को मानते नहीं हैं। मन मजदूरों को रखने के लिए काफी लिखा पढ़ी की है काफी कहने सुनने के बाद भी वे मजदूरों को काम पर रखते नहीं ह।

आपके कलेक्टर मानते नहीं हैं। वहां का इलाका काफी पहाडी इलाका है लेकिन पहाडी क्षेत्र में एक काम भी नहीं खोल रखा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं इसके सम्बन्ध में बात स्पष्ट कर दूं कि जहां तक यह प्रश्न उठाया गया है कि सराड़ा के अन्दर एक महिला की भूख के कारण मृत्यु हुई है। इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मुझे भी बीच में मिली थी और मैंने भी पता लगाया था। यह बिल्कुल गलत है कि भूख के कारण किसी की भी मृत्यु हुई है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरी बात जो रिलीफ के काम के अन्दर दिक्कतें आ रही हैं और काम पूरे नहीं दिए गए हैं, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि बीच में स्थिति यह पैदा हुई थी कि प्रेसीडेन्ट रूल के वक्त भारत सरकार की तरफ से एक टीम आई थी और उस टीम ने पूरे स्केयर-सिटी पीरियड के लिए पांच करोड़ रुपये खर्च करने की सीलिंग फिक्स कर दी थी कि पांच करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। उस सीलिंग के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट ने अपने यहां से अलग अलग जिलों के सीलिंग बना करके इंस्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिए कि अमुक 2 जिलों में इतने 2 लाख रुपये खर्च होंगे। उसकी वजह से बहुत सी परेशानियां खडी हुई थीं। उसके बाद भारत के वित्त मंत्रीजी को मैंने एक पत्र भी लिखा था और स्वयं भी मैं उनसे मिला और मिल कर मैंने उनसे कहा, यह एक प्रश्न है जिसके बारे में सीलिंग बना कर नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि दो करोड इधर उधर खर्च हों लेकिन जो अकाल से पीडित हैं अगर वे काम करने को आते हैं तो उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न यह भी जुडा हुआ था कि जहां तक हो पाये सडकों के काम को कम लिया जाय और प्रोडक्टिव वर्कर्स ज्यादा लिये जायं। प्रोडक्टिव वर्क्स बढाने के लिए गवर्नमेन्ट ने इंस्ट्रक्शन्स दिए हैं अलग अलग जगहों के बारे में। फिर भी मेरे पास कई माननीय सदस्यों की तरफ से चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, यह बात आई थी कि अकाल के कार्यों के अन्दर कई जगह लोगों को काम नहीं मिल रहा है और दिक्कतें हैं। इस कारण से कल सुबह ही, माननीय अध्यक्ष, साढे सात बजे हमने एक अर्जेंट तरीके से यहां पर कलेक्टर जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनकी मीटिंग बुलाई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेण्टेटिव भी कल यहां पर आने वाले हैं, उनके साथ बातचीत करके जो दिक्कतें आज पैदा हुई हैं या हो रही हैं या हो सकती हैं, जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने की तरफ राज्य सरकार ने सक्रिय रूप से कदम उठाया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट : श्री मूलचन्द।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगर यह मृत्यु भूख से नहीं हुई तो मेरा ख्याल है कि माल-न्यूट्रेशन से हुई है। सराडा तहसील में सैकडों ऐसे आदमी हैं कि जिनको 24 घण्टे में मुश्किल से एक दफा पेट भरने को खाना मिलता है। मैं समझता हूं कि यह अकाल की समस्या से अधिक समस्या दुर्व्यवस्था से सम्बन्धित है। सराडा में अकाल है लेकिन फिर भी वहां पर कुछ चना भी हुआ है, थोडी बहुत मक्की भी पैदा हुई है लेकिन जो गुजरात के भाव और राजस्थान के भाव हैं उनको आप देखिये, वहां के भावों की वजह से यहां का अनाज सब गुजरात में जा रहा है और सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। 62) रुपया पर किलो मण अगर गुजरात में भाव है तो 35) रु. राजस्थान का भाव है तो वह चना कहां जाएगा? वह गरीब आदमियों के पास नहीं रह सकता है। इस तरह से हमारा अन्न गुजरात में जा रहा है। सरकार को इसकी रोकथाम करनी चाहिए। अगर वह रोकथाम नहीं करे तो यह कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है। जो भी उत्पादन होगा, गुजरात की सीमा पर पैदा होगा वह गुजरात में जाएगा, वह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
राजस्थान में नहीं रह सकता है। राजस्थान का उत्पादन, राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के नागरिकों के लिए जब तक रख नहीं पाते तब तक मेरे खयाल से कण्टीन्यूइंग प्रोसेस भुखमरी का है इसमें भी रोकथाम नहीं हो सकती है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): सवाल यह था···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में जो माननीय नेता ने प्रश्न खड़ा किया है, मैं निवेदन करूं कि सीमाओं से इस प्रकार अन्न न जावे चोरी से उसके बारे में भी कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डर पर पुलिस का कुछ लोगों से जो स्मगलिंग से अनाज ले जा रहे थे उनके बीच में कुछ ही दिनों पहले क्लेश हुआ और उस क्लेश में फायरिंग तक करना पड़ा है।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मेरा प्रश्न पोइन्ट आफ इन्फोमेंशन का है। अभी मुख्य मन्त्री जी ने फरमाया कि प्रेसीडेंट रूल के टाइम में सेंटर से कुछ लोग आए और उन्होंने सहायता कार्यों पर कुछ रोक लगा दी। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब दिल्ली में उसी दौरान मुख्य मन्त्री सम्मेलन हो रहा था जिसमें अन्न की समस्या और दूसरे भी कई आवश्यक प्रश्नों पर विचार किया जाना था तो राजस्थान के बारे में भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विचार किया जाना चाहिए था और जो भावी मुख्य मन्त्री होने वाले थे या मुख्य मन्त्री होने की जो थोडी भावना रखने वाले थे, अगर दोनों को ऐसी सुविधा होकर सम्मेलन में भाग लिया जाता तो कितना इस राज्य को लाभ मिलता। कारण यह था इसका··· (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका सुझाव कार्यान्वित हो सकता तो पहले ही चले जाते।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री मूलचन्द।

श्री मदन सिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यह था कि भूख से औरत की मृत्यु हुई। मुझे इसके बारे में बड़ी लज्जा के साथ कहना पडता है कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि वह औरत भूख से मर गई तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने एक औरत को भूख से मरने दिया तो क्या वह उसको रोटी नहीं खिला सकते थे?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।

चिड़ावा जिला झुन्झनुं के हास्पिटल का संचालन

166. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझनूं के चिडावा में इस समय जो होस्पिटल चल रहा है इसका भवन निर्माण बिडला बन्धुओं द्वारा करवाया गया था और उन्हीं के द्वारा इस होस्पिटल का साज सामान दिया गया था और अब इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा राहा है?

Page No.16

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(2) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इस क्षेत्र की जन भावना यह है कि अगर यह होस्पिटल राज्य सरकार द्वारा न चलाया जाकर बिडला बन्धुओं द्वारा चलाया जावे तो अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि वो अधिक खर्चा करने में समर्थ हैं ?

(3) अगर बिडला बन्धु इस होस्पिटल को चलाने को तैयार हों तो क्या राज्य सरकार उनके द्वारा प्रदत्त भवन व साज सामान उन्हें वापिस देने को तैयार है ?

चिकित्सा मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) सुझाव आने पर विचार किया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द कटेवा: इस जन भावना का पता किस तरह से लगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं समझा नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं कि जन भावना का पता कैसे लगा ।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : (हवामहल, जयपुर): ये कह रहे हैं कि आपको जन भावना का पता किस तरह से लगा, या यह आपकी कल्पना मात्र है ।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने अर्ज किया कि लोगों की तरफ से जब कोई रिप्रजेण्टेशन नहीं आया तो मैंने आपको कहा कि "जी नहीं" ।

श्री मूलचन्द कटेवा : आपने जो अपने उत्तर में जी नहीं कहा तो इसका पता आपको कैसे लगा कि लोग नहीं चाहते हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे पास कोई शिकायत या कोई सुझाव, रिप्रजेण्टेशन या कोई मांग नहीं आई और इसलिए मैंने आपसे "जी नहीं" कहा । अगर कोई मांग आई होती तो मैं कह देता "जी हां" ।

श्री दुर्गालाल बाद्दार : एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से कोई डिफीकल्टी थी जिसकी वजह से या कोई कारण था । यह व्यवस्था का प्रश्न तो है । अभी कह रहे हैं कि रिप्रेजेन्टेशन आयेगा तो उसके आने का सवाल होता नहीं है । माननीय सदस्य का सवाल बहुत स्पष्ट है । आपको यह विदित किस प्रकार से हो गया कि जन -भावना ऐसा चाहती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सरकार चला रही है । अगर बिडला इसको चलाना चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात है उनको देंगे । आप मामूली चिट्ठी भिजवा दें और बहुत धन्यवाद के साथ सुपुर्द कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के तबादलों बाबत नीति

167. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

ऐसे राज्य कर्मचारी जिनकी तनख्वाह तीन सौ रुपये से कम है और जो गजेटेड अधिकारी नहीं हैं उनका स्थानान्तरण उनके जिलों से दूसरे जिलों में करने के बाबत क्या नीति है ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गंगाराम चौधरी): जहां तक संभव हो ऐसे

(श्री गंगाराम चौधरी)
राज्य कर्मचारियों को जिनका वेतन तीन सौ से कम है सिवाय अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों के, उनके जिले के बाहर स्थानान्तरण नहीं किया जाता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जहां "तक संभव होने" का कायदा कितनी बार टूटता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हरलाल मीणा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, "जहां तक संभव हो" यह एक नीति-विषयक प्रश्न है। कम वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए वे कहते हैं कि "जहां तक संभव हो" तो "जहां तक सम्भव हो" यह जो पाबन्दी लगा रहे हैं तो इस की आड में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का जिले से बाहर ट्रान्सफर होता है तो यह सवाल उठता है कि "जहां तक संभव हो" की कोई सीमा नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : प्रशासनिक दृष्टि से भी देखना होता है, और कई बार आवश्यक हो जाता है कि एक जिले के रहने वाले व्यक्ति को उसी जिले में रखना उपयुक्त नहीं होता है।

श्री नत्थीसिंह : उनकी कोई शिकायत हो वह तो ठीक है।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़): पुलिस डिपार्टमेन्ट का एक्सेप्शन क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: पुलिस डिपार्टमेन्ट का एक्सेप्शन क्या है कि उस डिस्ट्रिक्ट में रखते नहीं।

श्री खेतसिंह: आपने कहा है कि जहां तक सम्भव हो औरों को नहीं बदला जाता है और पुलिस विभाग के लोगों को बाहर बदला जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह नहीं कहा है।

श्री खेतसिंह : यही कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: श्री अध्यक्ष · ·

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री दुर्गालाल बाढदार: क्या यह सही है · · ·

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के एस. एच. ओज. को गंगानगर जिले में नहीं रखा जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अगर आप कोई पर्टिक्यूलर इन्स्टान्स दें तो कहा जा सकता है। मैंने जनरल क्वेश्चन का जवाब दिया है।

श्री खेतसिंह: क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश डी. आई. जी. को दिये हैं कि उस जिले के रहने वाले सब-इन्सपेक्टर को उसी जिले में नहीं लगाया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसको नीति के तौर पर स्वीकार किया गया है और यह तय किया गया है कि सब-इन्सपेक्टर को जब भी चेन्ज किया जाय तो चेन्ज करके उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जाना चाहिए, यानि उसका ट्रान्सफर आउटसाइड उस डिस्ट्रिक्ट के कर देना चाहिए, लेकिन पहिले से कोई सब-इन्सपेक्टर लगे हुए हैं

Page No.18

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
किसी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तो यह आवश्यक नहीं है कि होलसेल उनका ट्रान्सफर कर दिया जाय। लेकिन अगर ट्रान्सफर हो तो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: जहां शिकायतें न हों और कोई प्रशासनिक बात नहीं होगी तो ऐसे छोटे कर्मचारियों को उनके रहने के जिले से दूसरे जिले के अन्दर स्थानान्तरित नहीं किया जा सके यह एक नीति का प्रश्न है, लेकिन वास्तव में यह देखा जाता है कि एल. डी. सी. और अपर डिवीजन क्लर्क और यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी डिस्ट्रिक्ट के बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। सैकडों व्यक्ति राजस्थान सरकार के ऐसे हैं जिनको अपने जिले से दूसरे जिले में आपने स्थानान्तरित कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर यह चीज आपके सामने लाई जाय कि प्रशासनिक विषय नहीं हो तो क्या मुख्य मंत्रीजी यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि उन सारी कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे कि जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में रखने की सम्भावना नहीं हो सकती है, जैसे कई अध्यापक ऐसे हैं खास तौर से अलवर और भरतपुर जिलों के जो कि कुशलगढ और बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर काम कर रहे हैं और अलवर जिले में ज्यादातर अलवर जिले के हैं। वे ज्यादा हैं वहां पर तो उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट? श्री हरलाल मीणा।

बजरंगगढ बांध का निर्माण

168. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि जिला चित्तौडगढ तहसील प्रतापगढ में बजरंगगढ तालाब का बांध बांधने के बाबत सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध को बांधने से हजारों बीघा जमीन में सिचाई हो सकती है ? यदि हां, तो इस बांध का काम अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया और अब भविष्य में कब तक चालू किया जावेगा ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : **(1) जी हां, जांच लगभग 10 वर्ष पूर्व की गई थी।**

(2) इस बांध को बांधने से करीब 900 एकड भूमि में सिंचाई हो सकती है परन्तु कोरवाल के लिए उचित नींव न मिलने के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई है।

श्री हरलाल मीणा : योजना स्थगित क्यों कर दी गई ?

श्री मनफूलसिंह : कोरवाल ठीक नहीं होने की वजह से योजना स्थगित कर दी गई। वहां पर बांध नहीं बन्ध सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

(प्रश्न संख्या 169)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (उपनिवेशन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि यह बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रश्न है।

Page No.19

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (जोधपुर) : प्रश्न संख्या 170।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिए इसको अगली टर्न पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 171

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाडिया।

बारां के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

172. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध बारां क्षेत्र की जनता गत 2-3 वर्षों से शिकायतें करती आ रही है ?

(2) क्या स्थानीय थानेदार व डी. वाई. एस. पी. के विरुद्ध की गई शिकायतों पर जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने थानेदार द्वारा समय समय पर उनके साथ अशिष्ट एवं अमानवीय व्यवहार किये जाने की शिकायतें पुलिस अधिकारियों से की गई थीं ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) दिनांक 20-3-65 से अब तक कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) जी हां, एस. एच. ओ. के विरुद्ध 8 शिकायतों की जांच उच्च अधिकारी द्वारा की गई तो जांच से कोई शिकायतें सही साबित नहीं हुई। उप-अधीक्षक, बारां व एस. एच. ओ. के विरुद्ध सन् 1967 में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की जा रही हैं।

(3) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि आपके पास पी. एस. आई. के खिलाफ वहां की जनता की, वहां के सरकारी भवन में महिलाओं के साथ बलात्कार करने की शिकायत हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां के पी. एस. आई. के खिलाफ ?

श्री देवीदत्त : बारां के।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपके नं. 3 के प्रश्न के मुतल्लिक है क्या ? (पत्रावली देखकर) यह मेरी जानकारी में नहीं है पी. एस. आई. की। मेरे पास जितनी शिकायतें हुई हैं उसके डिटेल्स आपको दे सकता हूं। श्री मोतीलाल जैन, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, मांगरोल ने शिकायत की। वह भूतपूर्व एस. एच. ओ. मांगरोल के विरुद्ध थी यह इस तरह की शिकायत जो आपने पी. एस. आई. के खिलाफ की है वह शिकायत मेरे नोटिस में नहीं है। आप इसको मेरे नोटिस में लायें तो इस की जांच कराऊंगा और कार्यवाही करूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो, 12 शिकायतें हुई हैं इनकी जांच किस ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग अफसरों के खिलाफ अलग अलग अफसरों ने की है। एस. एच. ओ. के खिलाफ शिकायत की, सर्किल आफिसर ने की है और ये 8 शिकायतें जैसा कि मैंने बताया कि साबित नहीं हुई हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष, 21 मई को बारां नगर में पूना नाम के छीपा की 16 वर्ष की लडकी को कुछ गुण्डे ले गये और रात भर उसके साथ बलात्कार किया। उसका बाप थाने में गया शिकायत करने तो थानेदार ने कहा कि वह तो स्वेच्छा से गई है और उसकी रिपोर्ट नहीं की। वह चिल्लाता रहा और रोता रहा। दूसरे दिन दो बजे के करीब नगर के लोगों को इत्तिला होने पर कुछ आदमी बारां नगर के गये और उन गुण्डों से उस लडकी को छुड़ा कर लाये। उन गुण्डों के खिलाफ पुलिस के एस. एच. ओ. ने कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय अध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके के अन्दर आये दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एस. एच. ओ. और डी. वाई. एस. पी. के मकानों पर गुण्डे रहते हैं। वे उनसे चोरियां करवाते हैं और किसानों का माल लुटवाते हैं। वहां के एस. एच. ओ. और डी. वाई. एस. पी. के खिलाफ शिकायतें हैं लेकिन जब डी. आई. जी. आते हैं तो उनको दावतें देते हैं और तीन तीन साल उनको हो गये हैं लेकिन राजनैतिक कारणों से उनका ट्रान्सफर नहीं होता है। चुनावों में मदद की जाती है। इसलिए वे लोग गुण्डों को मदद देते हैं और जनता को लुटवाते हैं, चोरियां करवाते हैं, डकैतियां करवाते हैं। माननीय गृहमंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो तीन साल से वहां रह रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती है वह इस बात का प्रतीक है कि आप उनको संरक्षण देना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य खुद कई दफा मुझ से मिल चुके हैं पर इन्होंने मुझ से शिकायत नहीं की नहीं तो यह मौका नहीं आता और मैं उनको जवाब दे देता। या आप अपने क्वेश्चन में साफ पूछ लेते तो उस मामले का आसानी से जवाब दे देता और जो कार्यवाही करनी होती वह करवाता। केवल विधान सभा में जनरल क्वेश्चन पूछा कि कितनी शिकायतें हुई तो उसका मैंने जवाब दे दिया। कोई स्पेसिफिक केस को लेकर मैं यहां कैसे जवाब दे सकता हूं कि आपकी इत्तिला सही है कि नहीं। मैं क्या जवाब दे सकता हूं। मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें हैं तो कम से कम मेरे नोटिस में लायें उसके बाद अगर मैं कोई कार्यवाही नहीं करता हूं तो आपको अधिकार है कि विधान सभा में कुछ करें। आप मेरे से दो-तीन दफा मिल चुके हैं। आपको मेरे नोटिस में लाना चाहिए था यह चीज ताकि मैं जवाब देने की स्थिति में होता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक दफा बालेरा के नागरिक के केस को लेकर मिला था। मैं दो-तीन बार नहीं मिला हूं। यह जो बयान दिया है वह बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ एक बार मिला हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच करा ली जाय जो तथ्य आपने दिये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ तथ्य दिये नहीं हैं । पूरे तथ्य देंगे तो जांच करा सकूंगा वर्ना खाली इतने से मुश्किल होगा जांच करवाना ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डी. वाई. एस. पी. के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की जा रही है-यह मैंने आपसे अर्ज किया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बता दीजिये कि एस. एच. ओ. के खिलाफ जो शिकायतें थीं उनके खिलाफ जांच सर्किल ऑफिसर ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्किल ऑफिसर के लिए मैं अर्ज कर दूं · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और गम्भीर बात नहीं हो सकती है · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं । मैं यह अर्ज कर दूं कि सर्किल ऑफिसर बारां, ने वहां के एस. एच. ओ. के खिलाफ जो शिकायतें थीं, उनकी जांच की है और वहां के डी. एस. पी. के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनकी एस. पी. इन्क्वायरी कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मदन सिंह !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है । क्या यह सही है कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने थानेदार द्वारा समय समय पर उनके साथ अशिष्ट एवं अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायतें पुलिस अधिकारियों से की थीं ? प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है । इस पर माननीय मंत्री महोदय इन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो मेरे खयाल में यह उनकी भूल है और उनकी कार्यवाही में कुछ कमी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा, आप यह समझते हैं कि इस पर इन्क्वायरी हो सकती है यह गलत है, इस पर इन्क्वायरी हो नहीं सकती है । आप कोई स्पेसिफिक केस बतायें कि किस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है । कोटा डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों पुलिस आफिसर हैं। अब किसके खिलाफ इन्क्वायरी की जाय?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि एस. एच. ओ. के खिलाफ जो शिकायतें आई थीं · · · · ·

श्री दामोदर लाल व्यास : बारां के सम्बन्ध में ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां । उन शिकायतों की जांच सर्किल ऑफिसर ने की है और सर्किल ऑफिसर यही डी. एस. पी. है जिन्होंने जांच की है और जिनके खुद के खिलाफ शिकायतें की गई हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह शिकायतें बाद में की गई हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बता दीजिये कि जांच किस अधिकारी ने की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्किल ऑफिसर ने ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्किल ऑफिसर अलग नहीं है । जो डी. एस. पी.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
हैं वही सर्किल ऑफिसर हैं। दोनों ऑफिसर एक ही व्यक्ति हैं। तो एस. एच. ओ. के खिलाफ जो शिकायतें हैं····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या स्थानीय···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन शिकायतों की जांच वही डी. एस. पी. करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपको इसमें कुछ मुगालता हो रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे कहूं कि एस. एच. ओ. के खिलाफ जो शिकायतों की जांच हुई है वह उसी डी. एस. पी. ने की और उसके खिलाफ शिकायतें हुई हैं वह बाद में की गई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बता दीजिये कि सर्किल ऑफिसर और डी. एस. पी. दोनों अलग अलग हैं या एक ही व्यक्ति हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही मैं कह रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके समझने में भूल हो जाय तो उसका मैं क्या कर सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह रहे हैं कि जांच सर्किल ऑफिसर ने की है और सर्किल ऑफिसर वही है जो डी. एस. पी. है और जिसके खिलाफ शिकायतों की जांच की जा रही है। वही व्यक्ति सर्किल ऑफिसर के रूप में जांच करता है जिसके खिलाफ भी शिकायतें हैं। यानि जिसके खिलाफ शिकायतें हैं वह दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करता है और अब जो डी. एस. पी. के खिलाफ शिकायतें हैं उनकी भी सर्किल ऑफिसर से जांच करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन सिंह दांता।

दांता रामगढ़ में चोरियां

173. **श्री मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत आम चुनावों में मुझे निर्वाचित घोषित किये जाने की रात तथा इसके पश्चात् दांतारामगढ में कितनी चोरियां हुई हैं और किन किन के हुई ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कोई चोरी नहीं हुई।

श्री मदन सिंह दांता : क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष : कोई चोरी नहीं हुई।

श्री मदन सिंह दांता : मैंने सुना नहीं, क्या कहा ? ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई चोरी नहीं हुई।

श्री मदन सिंह दांता : मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री···

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि पहले आप अपने सवाल को पढ़ लीजिये और उसके बाद में सवाल पूछिये।

श्री मदन सिंह दांता : वह है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने दांतारामगढ के लिए सवाल पूछा है।

श्री मदन सिंह दांता : मैंने दांतारामगढ के लिए पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पढ़ कर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें है दांतारामगढ़ में कितनी चोरियां हुई हैं।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, चुनाव घोषणा के बाद में कितनी चोरियां हुई हैं और किन किन के यहां हुई हैं। यह मैंने पूछा है। मैंने खुद ने चोरियों के लिए प्रश्न दिया है और होम मिनिस्ट्री से आपके सामने रिपोर्ट आई है कि तैरह-चौदह चोरियां हुई हैं और लगातार हुई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका प्रश्न दांता रामगढ कस्बे के लिए है। वैसे जब आप मुझ से मिले थे तो आपने लिखित में मुझे दिया था और मैंने जांच के लिए एस. पी. को वह दिया है दस्ती तौर पर। लेकिन जो आपने दांतारामगढ़ के लिए पूछा है उसके लिए मैंने कहा कि चोरी नहीं हुई है।

श्री मदन सिंह दांता : आप कस्बे को मत लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपने सवाल को पढ़ लीजिये। आपने खुद ने दांतारामगढ़ के लिए पूछा है।

श्री मदन सिंह दांता : मैं अर्ज कर दूं कि दांतारामगढ़ क्षेत्र।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न में दांतारामगढ़ लिखा है।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : कस्बा नहीं लिखा है तो भी दांतारामगढ़ दो जगह है।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इस ढंग को, इस तरीके को अपनाया जाता है तो इस ढंग से ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वैसे तो दांतारामगढ़ तहसील का भी नाम है।

श्री हरिदेव जोशी : दोनों हैं।

एक माननीय सदस्य : दांतारामगढ़ तीन हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कौनसा अर्थ निकालते हैं। तहसील का भी नाम है दांतारामगढ़।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ कस्बा कौनसा है? आप यह बता दें। खुद बता दें।

श्री खेत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ख्वामख्वाह विवाद कर रहे हैं। इससे सदन का समय खराब हो रहा है।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह मैटर बहुत सीरियस है। यह मामला सेन्टर गवर्नमेन्ट के पास गया है। रेगुलर ढंग से मीटिंग होकर यह चोरियां हुई हैं और सारी जनसंघ के सदस्यों के घर पर हुई हैं।

कई माननीय सदस्य : जनसंघ के सदस्यों के घर पर हुई हैं?

श्री मदन सिंह दांता : जी हां।

श्री मुकुट बिहारी लाल (बयाना) : क्या चोरी करने वाले कांग्रेस पार्टी के थे?

श्री हरिदेव जोशी : सोशलिस्ट पार्टी के थे।

श्री राम किशन : अध्यक्ष ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह रावत ।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, हरगिज मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूं । या तो सही रूप से मंत्री महोदय यह कह दें कि मैं जांच करूंगा या मंत्री महोदय कह दें कि वह कस्बा दांतारामगढ कौनसा है । इस तरह से जवाब दिया जायगा तो आप बता दें कि कौनसा कस्बा है । क्या आप समझते हैं कि कस्बे का मैंने नाम लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि दांतारामगढ का जहां तक सवाल है । उसमें जांच की । और जो जगह इस नाम से मशहूर है, वह आप खुद जानते हैं । वहां पर चोरी नहीं हुई है । वैसे माननीय सदस्य ने, जैसा मैंने कहा, लिखित में सूचना दी थी और उसको मैंने एस. पी. सीकर को आज सुबह ही दिया है और कहा है कि वह उस पर जांच करके रिपोर्ट भेजें और कार्यवाही करें । यह मैंने पहले ही कह दिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह रावत ।

नसीराबाद क्षेत्र के गांवों में राहत कार्य

174. **श्री विजय सिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चतुर्थ आम चुनाव 1967 के दौरान मतदान तिथि से लगभग 15 दिन पहले नसीराबाद क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये राहत कार्य खोल दिये गये थे, और चुनाव के परिणाम घोषित होते ही सब राहत कार्य बन्द कर दिये गये ? अगर हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : नसीराबाद चुनाव क्षेत्र में राहत कार्य समय समय पर स्वीकृत किये गये हैं, यह राहत कार्य माह दिसम्बर से लेकर 9 फरवरी 67 तक स्वीकृत किये गये हैं । तारीखवार स्वीकृत राहत कार्यों की सूची संलग्न है । जो सदन की मेज पर रख दी गई है । इस सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राहत कार्यों की स्वीकृति को जो समय समय पर इस क्षेत्र में दी गई है, उनका चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह भी सही नहीं है कि चुनाव के परिणाम घोषित होते ही राहत कार्य बन्द कर दिये गये थे । केवल एक सडक कार्य जो दूसरे सडक कार्य में 10 मील की परिधि के अन्दर थे उसे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30-3-67 के अनुसार बन्द कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त माह मार्च में कुछ राहत कार्य पूर्ण हो जाने के कारण बन्द किये गये ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री विजय सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह राहत कार्य तहसील के रिकार्ड को मद्दे नजर रखते हुए स्वीकृति देकर खोले गये थे ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा) : क्या फर्माया ?

श्री विजय सिंह : तहसील के रिकार्ड को मद्देनजर रख कर किये गये थे ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अकाल राहत कमेटी की सिफारिश पर किये गये थे।

श्री विजय सिंह : यह गलत है, अध्यक्ष महोदय, जितने अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं वह अकालग्रस्त क्षेत्र में खोले जाते हैं। और जो अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं वह तहसील के रिकार्ड के आधार पर किये गये हैं। राज्य सरकार के पास में अजमेर के लोगों की तरफ से शिकायत आई है कि वहां पर केवल 60 दिन काम चला है और पन्द्रह दिन में 11,81,800 रुपये खर्च किये गये हैं। पन्द्रह दिन में जो खर्च किया गया है उसकी रिपोर्ट की एक लाइन सुनकर आप ताज्जुब करेंगे इस सदन के माननीय सदस्य ने अजमेर से नसीराबाद रोड को चौड़ा करने के लिए 9,776 रुपये खर्च किये हैं। इस रोड को चौड़ा करने के लिए एक दिन या एक घण्टे भी काम चल जाता तो इस सदन के सदस्यों को सब्र होता। इसके सम्बन्ध में मैं चुनौती देता हूं, गवन इस पर आंच · ·

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इलेक्शन का··

श्री विजयसिंह रावत : इसकी कार्यवाही करें तो मालूम होगा कि दस तारीख को श्रीमती इन्द्रा गांधी आई थीं, उनके स्वागत हेतु अजमेर से नसीराबाद तक पीली मिट्टी बिछाई गई थी जिसके ऊपर 9,776 रुपये खर्च हुए थे लेकिन उस खर्च के लिए सड़क को चौड़ा करने का नाम लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि आपके द्वारा इस मामले में निष्पक्ष जांच हो तो स्थिति मालूम हो जायगी। इस क्षेत्र में जितना काम किया गया है उसमें 11,81,800 रुपये खर्च हुए हैं। इसकी पन्द्रह दिन के अन्दर जांच करवाई जाय। अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि जो काम पूरे हो गये हैं उनको खत्म किया गया है। इसके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 27, 28 फरवरी को जब कि राष्ट्रपति शासन नहीं था, उस समय यह कार्य बन्द कर दिये गये, वह चुनाव परिणाम देख कर कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसी सूचना है, जो काम खत्म हो गये हैं वह बन्द कर दिये गये हैं और जो चालू थे वह चालू रखे गये हैं। एक कमेटी आई थी उसकी सिफारिश थी रोड लेबर को कम करने की इसलिये वह काम बन्द कर दिया गया।

श्री जसराज (भिनाय) : क्या ·· इन्क्वायरी कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय सारे राजस्थान के अन्दर यह का यह किस्सा है। इसके अन्दर मेरे खयाल में, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है और व्यभिचार है। सरकारी फण्ड का, सरकारी पैसे का इलेक्शन के लिए फायदा अनुचित रूप से लिया गया है। इसके ऊपर कमीशन निष्पक्ष बैठा कर जांच कराई जाय तो आप उसको फेस नहीं कर सकते। और माननीय मन्त्री महोदय यहां पर आराम से खड़े होकर फरमाइश करते हैं कि जहां काम खत्म हो गये वहां काम बन्द कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, काम तो इनका खत्म हो गया है, फिर इस बेचारी जनता का काम कौन सुनेगा।

श्री हरिदेव जोशी : हमारा काम बदस्तूर चालू है।

(12.00 मध्याह्न)

श्री बृजसुन्दर शर्मा: हमारा काम तो अभी तक बदस्तूर कायम है। हमारे विरोधी दल के

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
नेता चाहते हैं कि बाबा मर जावे और कोई फायदा उठावे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मनोवैज्ञानिक रूप से उनको शकल देखिये। वह बताती है कि वे गुन्हेगार हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या नसीराबाद में ऐसे गांवों में जिसमें अकाल नहीं होते हुए भी अकाल घोषित किया गया और जिसकी जांच न तो पटवारी द्वारा की गई न तहसीलदार ने की और न उसके लिये एस. डी. ओ. ने जांच की और सिफारिश की। बल्कि उसके लिये भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने, इन गांवों के लिये अकाल घोषित करने के लिये लिखा और उस पर चीफ सेक्रेट्री ने बिना कलेक्टर को इस सम्बन्ध में पूछे ही वहां पर अकाल घोषित किया है ? यह तो आपके यहां लिखित रूप में फाइनेन्स मिनिस्टर का पत्र है। यह मुख्य मन्त्री की जानकारी मे है। वे कह दें कि यह गलत है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में यह नहीं है कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कोई पत्र लिखा है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह आशा नहीं करता था कि वे सही सूचना नहीं देंगे। यह बात आज भी मैं कह सकता हूं कि उनकी नोलेज में है। अगर मुख्य मन्त्री चाहें तो मैं उस फाइल को जब्त करा सकता हूं कि जिसमें वह लेटर है जिसमें कलेक्टर की चिट्ठी है उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित करने के लिये नहीं कहा लेकिन कौल साहब इस क्षेत्र में 10 दिन पहले दौरा करने गये थे और उन्होंने फाइनेन्स सेक्रेट्री को चिट्ठी लिखवा कर अकाल घोषित कराया। कलेक्टर ने लिखा है कि यहां पर 6 आना फसल नहीं है बल्कि 14 आना फसल है। 14 आना फसल जहां हो वहां अकाल घोषित नहीं किया जा सकता। अगर यह गलत है तो आप उस फाइल को मंगा कर सदन की मेज पर रख दें उससे सब प्रकट हो जावेगा और जो कुछ आपने कारनामे किये हैं वे भी प्रकट हो जावेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिन जिन गांवों के बारे में आप कह रहे हैं उनके नाम आप मुझे दे दें। उन गांवों के लिये कलेक्टर ने क्या लिखा है उसकी जानकारी करा कर सदन को जानकारी दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं नाम नहीं देना चाहता मगर यह बता देना चाहता हूं कि वह लिस्ट गांवों की गजट में आई है उस गजट को उठा कर देख लीजिये। मैं अभी आपको दे रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मेरे पास गांवों की लिस्ट भिजवा दें ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बहुत महत्व पूर्ण प्रश्न है। कहने को सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि मानवीय दृष्टिकोण से यह कार्य किया गया था और विरोधी दल का यह कहना है कि अकाल कार्यों को खोलने के पीछे पोलिटिकल ग्राउन्ड था। इन सारी चीजों की नाक को पकड

Page No.27

(श्री भैरोंसिंह)

के लिये नसीराबाद की फाइल को मंगा कर देख लिया जाए। इसमें फेमिन लॉज को अलग रखा गया है, पटवारी और तहसीलदार से जांच नहीं कराई गई और रिपोर्ट नहीं ली गई, कलेक्टर को नहीं पूछा गया। केवल वित्त मंत्री ने एक चिट्ठी फाइनेंस सेक्रेटरी को लिख दी और चीफ सेक्रेट्री, फाइनेंस सेक्रेट्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने तीनों ने मिल कर उन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया और आप कहते हैं कि कोई पोलिटिकल एडवान्टेज नहीं उठा सकता। मैं यह कहूंगा कि यहां पर तीनों ने मिल कर अनावश्यक गांवों में अकाल घोषित कर दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं यह निवेदन कर दूं कि नसीराबाद की क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता। आप मुझे नाम भेज दें।

श्री भैरोंसिंह: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं······

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं निवेदन कर दूं कि इस सदन में राजनैतिक दृष्टिकोण से अकाल राहत कार्यों को कराने के बारे में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के लिये समय समय पर कहा गया है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिये किसी मंत्री के द्वारा किसी गांव को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया गया हो ऐसा आप नहीं पाएंगे।

श्री भैरोंसिंह: यह उदाहरण है आपके सामने।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: राजनैतिक दृष्टिकोण से काम करने के बारे में जब चर्चाएं चली हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिये उसके संबंध में मैं कह रहा हूं - अजमेर के बारे में तो पहले ही मैंने निवेदन किया है कि आप मुझे गांवों के नाम दे दें जानकारी करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसके बारे में जो श्री हादी ने कहा····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसकी भी जानकारी करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप मुख्य मंत्री हैं। आप केवल इस की बात कैसे कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: नसीराबाद के बारे में इस प्रकार का सुझाव भेजा हो, मुझे इस बारे में याद नहीं आता। इसलिये मैं कैसे कह दूं बगैर फाइल देखे। आप गांवों के नाम बता दें, मैं जानकारी करूंगा कि कलेक्टर ने क्या जानकारी दी। इतना भी होता है कि कई जगह विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने और इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने कई बार आकर कहा कि कलेक्टर की राय इस तरह की होती है कि अकाल नहीं है फिर भी जन प्रतिनिधि होते हैं आते हैं और कहते हैं कि कलेक्टर ने लिखा है वह वाजिब नहीं है। यहां पर अकाल पड़ा है और उस पर सरकार मानवीय दृष्टिकोण से विचार करती है।

श्री भैरोंसिंह : अपने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से सरकार विचार करती हैं। आप बतावें कि आपने एक भी माननीय सदस्य के कहने पर अकाल कार्य खोले हों। मुख्य मंत्रीजी एक भी मामला ऐसा बता दें कि किसी ने सिफारिश की हो और आपने वहां पर कार्य खोल दिये हों। आपने ज्यादा से ज्यादा इतना किया है कि पहले कलेक्टर से रिपोर्ट ली है और कलेक्टर ने तहसीलदार से और तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट ली है और उनकी रिपोर्ट के आने पर कार्य खोले गये हैं। आज आपको ऐसा उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं मिल सकता कि एक मिनिस्टर चुनाव लड़ता है वही मिनिस्टर लिख कर भेज दे और वह भी फसल के कटने के एक महीने के बाद भेज दे कि यहां पर अकाल है, राहत कार्य खोले जावें। उस पर तीन अधिकारी बैठ कर यह निर्णय ले लें, हिन्दुस्तान की किसी भी जगह की सरकार में इस प्रकार का निर्णय देखने को नहीं मिलेगा जो राजस्थान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है।

एक बात और निवेदन करूंगा कि आपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जिक्र किया है। मैं आपको गांव बता दूंगा लेकिन एक बात आप मान कर चलें कि वहां की पोपुलेशन 4 लाख 55 हजार है उससे ज्यादा बाड़मेर में लोगों को कार्यों की जरूरत थी। मगर आपने डूंगरपुर में 1 करोड़ 25 लाख और बाड़मेर में केवल 35 लाख खर्च किये हैं। इससे साफ जाहिर है कि आपने डूंगरपुर पर ज्यादा खर्चा किया है और जहां पर बाडमेर में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत थी और पोपुलेशन ज्यादा है वहां पर कम खर्चा हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह बताना चाहता हूं कि अलग अलग जगह की पोपुलेशन किस किस विचारों की है उस पर आप देखेंगे। आज भीम, देवडा का इलाका है जहां फेमिन के इफेक्ट के कारण लोग बडी तादाद में मेक्जिमम परसेन्ट लेबर करने के लिये आते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बम्पर प्रोडक्शन होता है। जहां तक भीलों का प्रश्न है 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत भील जहां रहते हैं। उनकी हालत खराब है क्योंकि उधर तीन चार साल से अकाल पड रहा है। वे इतनी कम वेजेज पर काम करने को आते हैं और इतनी बडी तादाद में आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बाड़मेर में····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे थोडा निवेदन करना है। मैंने अभी 1 करोड़ 20 लाख बताया वास्तव में 1 करोड़ 54 लाख रुपया खर्च हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह रावत : On a point of order, Sir, मैंने सदन को सूचित किया है कि अजमेर से नसीराबाद की सडक पर 9776 रु. खर्च किये गये हैं। उस पर एक दिन भी काम चालू नहीं किया गया। उस सड़क को चौडी करने के लिये एक नया पैसा नहीं लगाया गया केवल भारत की प्रधान मंत्री वहां पर आईं उस समय ये

(श्री विजयसिंह रावत)

हाये खर्च किये डेकोरेशन के लिये। इसके लिये जांच कमीशन बिठाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह पोइन्ट ओफ ऑर्डर नहीं है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये जानकारी चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर यह पोइन्ट आफ ऑर्डर नहीं है तो र्वांग प्रिवेंस है। हम बार बार यह चर्चा करते हैं कि सरकार ही पार्टी है और सरकार ही जज है। सरकार ने अन्धाधुन्ध रूप से पैसा खर्च किया है, इसके सम्बन्ध में अगर निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाय तो मैं नहीं समझता इसमें क्या हर्जा होगा। अगर सरकार इस जांच को फेस नहीं करती है तो हम समझेंगे कि जरूर कुछ न कुछ इसके पीछे काला है, दिये के नीचे अन्धेरा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं उनके मामले नौ नौ हजार, दस दस हजार रुपयों के हैं इन पर जांच कमीशन बैठाने लगें तो मैं समझता हूं राजस्थान में फेमिन रिलीफ वर्क हो ही नहीं सकता। फेमिन रिलीफ कार्य के लिये अगर इस प्रकार जांच कमीशन बैठाने लगें तो कोई रिस्क नहीं लेगें चालू है। मैं समझता हूं जो यह कहा गया कि यह 9 हजार का खर्चा हुआ है वह गलत हुआ, यह सही नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : करोडों रुपया खर्च हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

धौलपुर सदर अस्पताल में डाक्टरों की संख्या

163. **श्री बनवारीलाल**–क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर सदर अस्पताल में कितने डाक्टरों की स्वीकृत स्ट्रेन्थ है?

(2) इस समय इस अस्पताल में कितने डाक्टर काम कर रहे हैं?

(3) अगर डाक्टर कम हैं तो कितने दिन से हैं और क्यों?

(4) अब राज्य सरकार द्वारा इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(5) क्या धौलपुर सदर अस्पताल को 'बी' श्रेणी में परिवर्तित करने के राज्य सरकार को कोई आदेश हो चुके हैं? अगर हां, तो किस तारीख को और अभी तक इन आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई?

(6) अब इस अस्पताल को कौनसी तारीख से 'बी' श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावेगा?

उत्तर

वर्तमान काल में धौलपुर सदर अस्पताल में 7 डाकटरों के पद स्वीकृत हैं।

चार डाक्टर कार्य कर रहे हैं निम्न प्रकार हैं:—

1. डा. पी. एम. भटनागर
2. डा. एस. पी. गोगना

(श्री चिकित्सा मंत्री)

3. डा. दिलीप सिंह
4. डा. एस. के. ओ.मैन

तीन डाक्टर के स्थान निम्नलिखित तारीखों से खाली हैं:—

30-4-65, 3-3-66, व 8-8-66

डाक्टरों के उपलब्ध नहीं होने से स्थान खाली हैं।

इन स्थानों पर निम्नलिखित डाक्टरों के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की जा चुकी है जो शीघ्र ही कार्यभार संभाल लेंगे।

क्र.सं. डाक्टरों के नाम	आदेश सं. व दिनांक
1 डा. के सी बापना	ई.जीएस टी 166 दिनांक 10-5-67

एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर से सदर अस्पताल धौलपुर

2 डा. बी.डी.शर्मा	ई.सीएस.एटी। 151 दिनांक 4-5-67

ई. एस. आई डिस्पेन्सरी सवाईमाधोपुर से सदर अस्पताल धौलपुर।

3 डा. के.बी.लाल	ई.सी एस एटी 526 दिनांक 16-12-66

सवाई मानसिंह अस्पताल से जयपुर सदर अस्पताल धौलपुर।

जी नहीं। आगे प्रश्न नहीं उठता।

अभी ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तहसील बाली में गोचर भूमि

171. **श्री पृथ्वीसिंह**—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बाली, जिला पाली में कितने गांवों में गोचर घोषित किया जा चुका है?

(2) कितने गांवों की गोचर के मामले विचाराधीन हैं? और उनका निपटारा कब तक किये जाने की उम्मीद है?

(3) ग्राम बिशलपुर, तहसील बाली, जिला पाली की गोचर का मामला कितने अर्से से विचाराधीन है? और उसका निपटारा कब तक किये जाने की उम्मीद है?

(4) ग्राम बिजापुर तहसील बाली जिला पाली में गोचर भूमि पर कितने लोगों ने अतिक्रमण रखा है? और उन्हें बेदखल करने हेतु क्या क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

1. तहसील बाली जिला पाली के 117 गांवों में गोचर घोषित की जा चुकी है।

2. तहसील बाली के 13 गांवों के गोचर सम्बन्धी मामले विचाराधीन हैं जिन्हें यथा शीघ्र निपटा दिया जावेगा।

3. ग्राम बिशलपुर तहसील बाली में गोचर घोषित करने के बारे में पंचायत से गोचर हेतु चाही गई भूमि का प्रस्ताव मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होते ही गोचर घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. ग्राम बीजापुर की गोचर भूमि में लगभग 118 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिन्हें बेदखल करने के लिये धारा 91 रा. लै. रे. एक्ट, 1956 के तहत

(श्री राजस्व मंत्री)
कार्यवाही तहसील कार्यालय में विचाराधीन है।

(12.11 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : धौलपुर सब-डिविजन में डाकुओं के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री देवीलाल गाडिया ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये मैं अनुमति नहीं देता लेकिन स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री दिनांक 5 जून को एक वक्तव्य दें।

(2) ग्राम नोखे में एक पी. डब्लू. डी. के इन्जीनियर की मृत्यु आदि से सम्बन्धित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदार नाथ ने दी है मैं उस पर अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि यह अत्यावश्यक लोक महत्व का प्रश्न नहीं है।

(3) श्री गंगानगर के पुरुषार्थी किसानों से बकाया वसूली के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ ने दी है।

इस प्रस्ताव पर मैं अपनी अनुमति नहीं देता लेकिन स्थिति का स्पष्टीकरण करने हेतु मैं चाहूंगा कि संबन्धित मन्त्री दिनांक 6 जून को एक वक्तव्य दें।

(4) कोटा जिले की तहसील दीगोद में भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित मामले पर श्री बृजवल्लभ बोहरा तथा श्री कृष्ण कुमार गोयल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अत्यावश्यक लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। पर मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री इस संबंध में सदस्यों की जानकारी के लिये किसी सुविधाजनक तारीख को एक वक्तव्य दें।

(5) कोटा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में अन्न के अभाव पर श्री देवीदत्त गाडिया तथा श्री नन्दलाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता। माननीय सदस्य इस मामले को और किसी तरीके से उठा सकते हैं।

(12.14 म. प.)

बाड़मेर की सीमा पर पाक सेना का जमाव के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह भली भांति मालूम है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिनांक 25-3-66 से ले ली है। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सारा कन्ट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेन्शियल आदि भारत सरकार का है। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान व अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को सीमा में प्रवेश करने से रोकने के कार्य में सचेष्ट है।

राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के फौजी रेन्जर्स द्वारा जमाव, हवाई उल्लंघन आदि के सम्बन्ध में, रक्षा मंत्री, भारत सरकार ने संसद में दिनांक 29 मई 67 को प्रश्नोत्तर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समय में काफी प्रकाश डाला है इससे ज्यादा मेरे लिये कहना मुमकिन नहीं।

सुरक्षा की दृष्टि से सदन में कुछ अधिक कहना मेरे लिये जरूरी नहीं है मगर मैं चाहूंगा कि विरोधी दलों के नेताओं से आपस में मिल कर एक दूसरों को जानकारी दे सकें इसलिये उनकी सुविधा के अनुसार जो समय निश्चित होगा आज या कल, बात कर लेंगे।

50 पाकिस्तानियों द्वारा हाल ही में गडरा रोड क्षेत्र में घुस कर रोड रोलर के आवश्यक पुर्जों को निकाल कर भाग जाने की सूचना निराधार एवं तथ्यहीन पाई गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों में किसी प्रकार का आतंक अथवा भय नहीं है व उनका मनोबल ऊंचा है। इस प्रकार की सूचना समाचार पत्रों में छपी वह दरअसल सही नहीं है, किस जरिये से यह सूचना छापी गई है, उनका कन्ट्राडिक्शन निकलवा दिया जायगा।

पाकिस्तान द्वारा सीमा पर जासूसी कार्यवाहियों के प्रति राज्य सरकार जागरूक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत जो जासूस गिरफ्तार किये गये हैं उनके अभियोगों का अनुसंधान किया जा रहा है।

पाकिस्तानी जो भारतीय सीमा का उल्लंघन कर अनधिकृत प्रवेश करते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अभियोग चलाये जाते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिये बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स व राज्य की पुलिस निरन्तर गश्त लगाती रहती है।

राजस्थान सीमा पर अभी तक अमरीकी जासूसों द्वारा जासूसी करने के इन्स्टान्स नजर नहीं आये हैं।

राजस्थान में जयपुर, अलवर, टोंक, उदयपुर और कोटा में अमरीकी पीस कोर वालंटियर्स काम कर रहे हैं। सीमान्त जिलों में कोई पीस कोर कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं अतः उस क्षेत्र में उनके द्वारा कोई राष्ट्र विरोधी कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता ताहम सरकार इसके प्रति सतर्क है। पीस कोर के वालंटियर्स हैं उनके ऊपर पूरी निगरानी है।

माननीय सदस्य श्री केदारनाथ ने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए एक इन्जीनियर को मृत्यु के बारे में आशंका प्रकट की व इस विषय पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया। इस विषय में जानकारी से मालूम हुआ है कि श्री भीमसिंह एक्स. ई. एन. फलोदी नोखा के पास एक कुए में पैर फिसल जाने से गिर गये और उनकी मृत्यु हो गई। चीफ इन्जीनियर बोर्डर रोड्स व डी. वाई. एस. पी., फलौदी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये, जांच व पोस्टमार्टम से कोई फाउल प्ले नहीं पाया जाता। इस सम्बन्ध में जीप ड्राइवर का लापता होना व मृत्यु में पाकिस्तानियों का हाथ होना निराधार पाया गया है।

सन् 65 में भारत पाक संघर्ष के दिनों में जो भारतीय पाकिस्तान चले गये थे उनको भारत में वापिस आने का अधिकार नहीं है। इसका उल्लंघन करने पर रूल 25 ए. डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के तहत कार्यवाही की जाती है। यह बात सही है कि इस संघर्ष के दौरान कुछ लोग चले गये थे वे अब वापिस सीमावर्ती इलाकों में आये हैं और

(श्री दामोदरलाल व्यास)
उनका कहना यह है कि वे भारत के अन्य राज्यों में थे, पाकिस्तान नहीं गये। इस लिये सरकार उनके द्वारा दिये गये प्रमाणों की पूरी तरह जांच कर रही है और गुजरात सरकार के मुख्य मंत्री हैं उनको हमारे मुख्य मंत्री ने पत्र लिख कर पूरी जांच कराने को लिखा है, यह पूरी होने पर उसमें अन्तिम कार्यवाही की जायगी।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीमा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा कोई ढिलाई किसी मामले में नहीं बरती जा रही है व राज्य सरकार इसमें पूर्णतया जागरूक है, व रहेगी और सीमावर्ती गांवों में किसी प्रकार का आतंक व नरवसनैस नहीं है।

श्री देवीचरण गाडिया (बारां): अध्यक्ष महोदय, मैं बाडमेर के सम्बन्ध में सीमावर्ती इलाकों के अन्दर पाकिस्तान द्वारा जो गतिविधियां प्रारम्भ की हैं उनके सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि मैं जो इस सम्बन्ध में बातें रखूंगा उसका वे उत्तर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाडमेर क्षेत्र में जहां हमारी सीमा है, सीमा के अन्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे पिलर्स हैं, उनके पास ऐसे अराष्ट्रीय तत्वों के मकान हैं जिनकी छतें, छज्जे उस तरह के पिलर्स से सटे हुए हैं वे आये दिन हमारी सीक्योरिटी फोर्सेज की गतिविधियों को ध्यान में रख कर हमारी सेनाओं की जो ट्रकें, मोटरें, कारें सुरक्षा की दृष्टि से गश्त लगाती हैं और हमारी सेनाएं सुरक्षा की दृष्टि से अन्य कार्यवाहियां करती हैं, उनकी सूचना पाकिस्तान को वे देते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ ऐसे नाम बताऊंगा, जिनके मकानों के छज्जे हमारे पिलर्स से सटे हुए हैं, उनके नाम हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उनके नामों को भिजवा दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे तत्व हैं जो 1960 में पाकिस्तान से आये, 3 महिने का पासपोर्ट ले कर पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये, उनकी अवधि कभी की समाप्त हो गई, वे आज भी कोटा जिले में विचरण करते हैं, मोहम्मद रमजान सन आफ उस्मान खान है, वह 59 में 3 महीने का पास पोर्ट ले कर आया, उसका आज तक पता नहीं है। वह पकड में नहीं आता है, राजस्थान की पुलिस, सी आई. डी. जिन पाकिस्तान के जासूसों को जो पासपोर्ट ले कर आते हैं उनको पकड नहीं सकती। आज इस राजस्थान की हालत उसी प्रकार की हो रही है जैसे रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अपने मंत्रिमंडल को कायम रखने के लिए ऐशो-आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं लेकिन राजस्थान को भुखमरी, बेकारी और सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान की दो करोड जनता त्रस्त है। अध्यक्ष महोदय एक पाकिस्तान का नागरिक है मोहम्मद बक्ष उर्फ करीम अली, उसने राजस्थान में आकर ट्रक चलाई और ट्रक का धंधा किया, वह भी 420 का धंधा किया। बारां में आया, वहां एक बहुत बडी फर्म है, उस फर्म से 165 बोरियां धनिए की लीं और लेकर फरार हो गए। फर्म ने पुलिस को सूचना दी, उनको पकडा गया। उनके यहां से 4 नकली प्लेटें मिलीं। वह स्थान स्थान पर 420 का धंधा करता था। उस ट्रांस्पोर्ट कंपनी ने एस.डी.ओ. बारां की अदालत में

(श्री देवीदत्त गाडिया)
और व्यापारी ने भी उपजिलाधीश का ध्यान आकर्षित किया कि यह व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है। इसको एक हजार की जमानत पर छोड दिया। 20 हजार की धनियां की बोरी थीं।

श्री अध्यक्ष : ओर्डर आर्डर। यहां स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेंट दिया गया है। आप भाषण शुरू कर देते हैं। तो भाषण इतना विस्तृत हो जायगा कि सारी बजट डिबेट इस भाषण में हो स्थानापन्न हो सकेगी। आप प्रश्नों से जानकारी लेना चाहते हैं, देना चाहते है, आप ले लें लेकिन इसको रेगयुलर डिबेट न मान लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं ऐसा ही कर रहा हूं अभी 30 मई को संसद के अंदर भारत के विदेश मंत्री श्री छगला ने अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि राजस्थान के जैसलमेर इलाके के अंदर पाकिस्तान की गतिविधियां बढी हैं। आज बाडमेर के अंदर ऐसे गांव हैं, सडकें हैं, जिन पर पाकिस्तान के नागरिक आते हैं और आकर वहां पर वे अपनी टैक्स और दूसरा सैनिक जमाव करते हैं। जो पुलिस की चौकियां थी उनको छावनियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने ऐसे कई अंडरग्राउन्ड सैल्स कायम की हैं हमारी सीमा के पास। ट्रेन्चेज खोदी हैं। इसके साथ साथ और भी सनिक गतिविधियां उन्होंने ज्यादा सख्त कर दी हैं और इसी प्रकार से पाकिस्तान ने योजना-बद्ध तरीके से राजस्थान में ही नहीं, सभी सीमाओं पर, जो हमारे देश के साथ लगती हैं, चाहे जम्मु काश्मीर हो, सभी इलाकों में योजना बनाकर ऐसा किया है।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ): सीमाओं के दोनों ओर डिफेंस के इंतजाम होते हैं। अगर आपको कुछ मालूम है तो देश के हित में ऐसी बातें आपको नहीं बतानी चाहिएं। इस प्रकार की सूचना देने से सुरक्षा के सीक्रेट्स आऊट होते हैं। यदि दुश्मन को हमारे सीक्रेट्स मालूम हो जायेंगे तो दुश्मन प्रिकाशन्स लेगा और हमें लाभ होने के बजाय नुकसान ही होग। इसलिये अगर इस प्रकार की कोई सूचना है तो इंटेलीजेंस ब्यूरो, गृह मन्त्री को या केन्द्र के गृह मन्त्री और दूसरी जो अथोरिटीज हैं उनको ऐसी सूचना देनी चाहिये जिससे देश का लाभ हो। इस प्रकार की बातें करने से राष्ट्र का लाभ नहीं होता डिफेंस पर असर पडता है जो इन्टरनेशनल फील्ड में चल कर अडचन पैदा करता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य ने कहा कि यहां जो सुरक्षा के सम्बन्ध में बातें कही जा रही हैं उनका बडा भारी असर पडेगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसके बारे में असर पडा हो। संसद की कार्यवाही आप पढते होंगे, वहां पर सुरक्षा के मामले में, सिक्युरिटी के मामले में, बोर्डर के मामले में, अनेक प्रश्न आते हैं और भारत सरकार उत्तर देकर संसद को विश्वास में लेती है। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है यह सही है कि राजस्थान पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का सवाल केन्द्र से सम्बन्धित है और केन्द्र पर इस बात की जिम्मेदारी है। बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स यहां पर है और अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहीं ऐसा न हो कि पिछली बार की तरह समस्या खड़ी हो और राष्ट्र विरोधी तत्व खड़े हों। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच टेन्शन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और ताश्कन्द समझौते के वायोलेशन को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के इस सम्बन्ध में अनेक वक्तव्य लोक सभा में हुए कि पंचमांगी तत्वों को पकड़ने की क्या कार्यवाही हुई है। राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों से जो लोग सीमा पार कर पाकिस्तान के इलाके में चले गए और जो वापस राजस्थान में आगए, जिन लोगों को डी. आई. आर. में पकड़ा गया और अब पंच, सरपंच और उपसरपंच पदों पर काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे गृहमन्त्री ने कहा, यह गंभीर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रश्न है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वे विरोधी दल के नेताओं से इस सम्बन्ध में बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि यह राष्ट्र का प्रश्न है और बड़ा गंभीर प्रश्न है । मैं सिर्फ माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा दायित्व के साथ ही समझते हुए कि इसके एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं उस आधार पर ये प्रश्न सदन में रखे जायं तो ठीक होगा, माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए उत्तरदायित्व का मान करते हुए इसको रेगुलर डिबेट न समझा जाय।

श्री मदनसिंह (दांता) : आपने जो फरमाया मैं भी वही अर्ज करने वाला था। सैनिक दृष्टि से मेरे भाई साहब ने कहा वह बात सत्य है। चाहे संसद के अन्दर कोई भी बहस होती हो लेकिन ऐसी बातें आउट करने से भारतवर्ष की क्षति होती है। उसको हम समझकर अगर संसद में गलती करें तो ठीक नहीं। संसद में ऐसी बातें होने से देश की क्षति हुई है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उससे मेरी सहमति है। देश की दृष्टि से यह उचित है कि हम वह चीज सदन में न कहें, पब्लिक में न कहें, मन्त्री महोदय से कह दें उसके उपरान्त कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूं कि सीधे हमें डिफेंस मिनिस्टर के पास जाने का हक है। इस तरह से अगर हम यहां नाम देते हैं कि रफी मोहम्मद है तो वह तो इस बीच में भाग जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निश्चित रूप से कुछ बातें जानना चाहता हूं जो आर. ए. सी. के मूवमेंट से सम्बन्धित नहीं होगी, बोर्डर सिक्युरिटी से सम्बन्धित नहीं होगी आपके वार प्रीपेअर्डनेस से सम्बन्धित नहीं होगी। जितना भाग राजस्थान का पाकिस्तान से लगा हुआ है, उसके लिये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उसी से सम्बन्धित प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि डी. आई. आर. में जिन 16 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया था क्या आपने उन सब को छोड़ दिया है। और उनको छोड़ने के बाद इनमें से सलीम मोहम्मद नूर मोहम्मद आदि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गये थे ?

क्या यह बात सही है कि श्री सलीम मोहम्मद की सारी जायदाद, सारी सम्पत्ति, सारे पशु और जानवर पाकिस्तान पहुंचा दिये हैं और उनको पहुंचाने में पुलिस के अधिकारियों का हाथ है, जांच के परिणाम-

Page No.36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
स्वरूप उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

इसी प्रकार फतहमोहम्मद उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चला राजस्थान सरकार की पुलिस को इतनी जानकारी नहीं रहती है कि जिनके खिलाफ मुकदमा चलता है और अपराधी आदमी पाकिस्तान भाग जाता है ? होना तो यह चाहिए जमानत के लिए उसको पाबन्द किया जाय या उसको पुलिस फोर्स के अधीन रखने की व्यवस्था की जाय।

मैं अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा इन 16 व्यक्तियों को जिनके नाम बताये हैं कई लोग तो डी. आई. आर. के डिटेन्यूज थे उनमें से एक शिव में, और दूसरे पाकिस्तान के बोर्डर पर कई इलाकों के पंच सरपंच जो पाकिस्तान को सूचना देने के अपराधी हैं जो डी. आई. आर. के डिटेन्यूज हैं, क्या आपने उन पंचों सरपंचों, उप सरपंचों को सस्पेन्ड करने के बारे में कुछ किया है ? जब तक जिला परिषद् से सिफारिश नहीं होती आप सस्पेन्ड नही कर सकते। मैं श्री गंगाराम जी चौधरी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने अधिकारों का उपयोग करके जिला परिषद् से यह सिफारिश करवावें ऐसे देशद्रोही तत्वों को निकाला जाय, उनको संरक्षण न दें, और उनको सस्पेन्ड करवाने के लिए उनके द्वारा सरकार को लिखा जाय।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, इन पाकिस्तानी पंचमांगी कोटा, अजमेर और जयपुर में जिस तरह की सक्रियता बता रहे हैं आप यह बताने की स्थिति में हैं क्या कि जिनके पासपोर्ट की अवधि खत्म होगई है और वे अभी तक भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? उनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त होगई और उसके बाद भी राजस्थान में रह रहे हैं, उनको अब तक क्यों नहीं निकाला गया। आज पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जो टेरर की स्थिति पैदा हो रही है उसको देखते हुए जो लोग पाकिस्तान से पासपोर्ट लेकर यहां आये हैं और उनकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यहां रह रहे हैं उस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

इसके अलावा राजस्थान की सीमा का कितनी बार अतिक्रमण हुआ ? पाकिस्तान के निवासी हिन्दुस्तान के बोर्डर में आकर यहां से ऊंट ले जाते हैं, ट्रेक्टर्स, पी. डब्लू. डी. की गाड़ियों से मशीनरी औजार निकाल कर लेजाते हैं, बोर्डर की फोर्स वहां मौजूद होते हुए लेजायं इस बारे में राज्य सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करती है ?

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, और मैं ज्यादा इस विषय में न कहकर सदन के विरोधी दल के नेता जो हैं उनको आप विश्वास में लें या सदन की कैमरा में मिटिंग करें जो भी आप उचित समझें व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार गत वर्ष सदन में हमने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ विचार किया। पिछली बार 23 सितम्बर को जब सीज फायर हुआ, उस समय भी यह कहा गया कि जो भी सूचना माननीय सदस्यों के पास हो वह उनके चैम्बर में दे दें। हमने उस समय भी यह कहा था कि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान राजस्थान के बोर्डर पर गडबडी करेगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान की सीमा का अतिक्रमण हुआ। जिस निष्क्रियता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का परिचय उस समय हमारी सरकार ने दिया उसका फल राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा, दुबारा राजस्थान की जनता को वह दिन न देखना पड़े इसलिये मैं मांग करूंगा कि राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर जो सिक्यूरिटी अरेन्जमेन्ट राज्य सरकार के अधीन हैं उनको तुरन्त मजबूत किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय पर एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था। उसमें एक घटना का जिक्र मैंने किया पाकिस्तानियों द्वारा रोड रोलर से पुरजे निकालने के बारे में। उस न्यूज के लिये यह कहा गया कि यह न्यूज गलत है। लेकिन आपके ध्यान में इस प्रकार की बात आई या नहीं कि रोड रोलर के पुर्जे निकाले गये। आखिर पुर्जे नहीं निकाले गये तो गये कहां। न्यूज का आधार गलत है तो इस तरह की गलत खबरें फैलाकर गलत वातावरण पैदा क्यों किया जाता है अपने देश में और अपने प्रान्त में। अगर यह न्यूज गलत है तो उसको गलत साबित किया जाय। इसके निराधार होने का निराकरण माननीय मन्त्री जी करें।

एक न्यूज यह भी छपा थी कि मुनाबाव रोड स्टेशन पर एक टेक्सी पड़ी थी वहां पर कन्ट्राक्टर्स सड़क बना रहे थे पाकिस्तान से लोग आये, हम इधर जो सड़क बना रहे थे वे उसको पसन्द नहीं करते दोनों ट्रकों को नष्ट कर दिया। अगर यह भी न्यूज गलत है तो इसका भी निराकरण करें।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मिनरल सर्वे के लिये एक अमेरिकन कम्पनी से एग्रीमेन्ट किया है। उस एग्रीमेन्ट के तहत उस कम्पनी के एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में एक विशेष दल ने पिछले पन्द्रह दिनों पहले मेरी जानकारी के अनुसार उस क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। जब कि उस दल को मेरी जानकारी के अनुसार सामरिक महत्व के इलाकों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। विशेषज्ञ दल ने विशेष तौर पर पाकिस्तान से जो हमारा बोर्डर लगता है उस पर उडानें भरी हैं और हवाई जहाज से भरी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति किस प्रकार का रहा है यह अभी आर्म्स एड जो पाकिस्तान को दी गई उससे पता चलता है। हमारी तरफ से बार बार एतराज करने के बावजूद अमेरिका ने भारी मिलिटरी एड पाकिस्तान को दी है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने किस प्रकार क्या हवाई उडानें करके जानकारी ली है। यह कोई छिपने वाली बात नहीं है। किस तरह से पिछली बार पाकिस्तान के साथ हुई हमारी लड़ाई में अमरिका की किस प्रकार की मदद पाकिस्तान को रही है यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह चाहूंगा कि खुद सरकार इस बात पर विचार करे कि जिनका हमारे साथ व्यवहार डाउटफुल रहा है वहां के विशेषज्ञों को हमारे सामरिक महत्व के स्थानों का हवाई सर्वे करने दिया जाय? मेरी जानकारी के अनुसार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस प्रकार के सर्वे का विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्होंने मिलिटरी मूवमेन्टस का सर्वे किया। इस प्रकार की सूचनायें भारत के अलावा दूसरे अखबारों में भी यह समाचार छपे हैं। अगर यह बात सही है तो गवर्नमेन्ट इन बातों पर पुनर्विचार करे यह जो एग्रीमेन्ट अमेरिकन कम्पनी से हुआ है वह कहां तक ठीक है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मुझे जरा बोलने दीजिये आपका स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल एक पोइन्ट और कह दूं उसके बाद आप सारे का जवाब दे दें।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पीस कोर वालन्टियर्स के बारे में। अमेरिकन पीस कोर के वालन्टियर्स वैसे हमारे देश में जगह जगह पर काम कर रहे हैं। उसकी घटनाओं के बारे में हमारी ही देश में नहीं एशो-अफ्रीकन देश में, और लेटिन अमेरिकन देशों में और एशिया के दूसरे देशों में जो इनकी एक्टीविटीज देखने में आयी हैं, वह एक तरह से दिखने में तो सोशियल दिखती है लेकिन क्या आपने कभी इस बात को देखा है कि यह पीस कोर सी. आई. ए. की एजेन्सी हैं। उसी के एजेन्ट के रूप में काम करती हैं। ये भोले भाले लोगों की मदद करने का काम करती हैं लेकिन दर असल अमेरिकन इन्टेलीजेन्स का काम कर रही है।

बहुत से देशों ने उन लोगों को अपने देश से निकाल दिया है। हमारे देश में खास कर · ·

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लीजिये। वरना इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम से कम मैं यह चाहूंगा कि गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये जो बोर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें इमीडियेटली सरकार यह एक्शन ले कि अमेरिकन पीसकोर्स जो वीसा से यहां आते हैं उनको इस क्षेत्र के लिये वीसा देना बिल्कुल कैंसिल कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सीमा वर्ती क्षेत्र में उनका एक भी वालेन्टियर नहीं है। मेरे स्टेटमेन्ट को आपने सुनने की कोशिश नहीं की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी फास्ट स्पीड है, मेल की तरह बोलते हैं। आयन्दा भी आप खयाल रखें . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने नीति का प्रश्न बना लिया है कि किसी अमेरिकन पीस कोर को कोई वीसा नहीं देंगे ? आप बता दीजिये ?

श्री भरोसिंह : अध्यक्ष महोदय, 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने हवाई हमलों से जोधपुर और गडरा रोड को तबाह करने की कोशिश की। उस समय एक सप्ताह में दो तीन दिन में दो तीन बार कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जिस रोज पाकिस्तान की ओर से हवाई आक्रमण नहीं होता था। मंत्री महोदय यह कहते हैं कि यह भारत सरकार का काम है। तो क्या राजस्थान सरकार के हाथ में इतना काम भी नहीं है कि भारत सरकार से वह निवेदन करे कि इस सीमा क्षेत्र में आये दिन हवाई अतिक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिये एन्टी एयर क्राफ्ट गन की व्यवस्था करें ? जिस तरह पहले जोधपुर और गडरा रोड को पाकिस्तान ने बरबाद किया और फिर पाकिस्तान को इस प्रकार की ओपोर्चुनिटी मिले, उसको रोकने के लिये हमारे यहां एन्टी-एयर-क्राफ्ट गन की व्यवस्था भी न हो तो इसके लिये राजस्थान को और भारत को बहुत ही दूरगामी परिणाम भोगने पड़ेंगे। राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार कम से कम यह तो बता सकती है कि गत महीनों में कितने पकिस्तान की ओर से हवाई अतिक्रमण हुए हैं। उसके लिये उनको भारत सरकार को कहना चाहिये कि इतने हवाई अतिक्रमण हुए हैं, वह पाकिस्तान को नोट ओफ प्रोटेस्ट भेजे, पाकिस्तान का जवाब जो आये उस जवाब से पता लग सकता है कि क्या वह फिर भारत पर आक्रमण करना चाहता है उसके लिये हमारे देश की सुरक्षा के लिये और जनता को भी सावधान रहना है उसके लिये भारत सरकार ने और हमारी सरकार ने क्या एक्शन लिया है उससे अवगत कराया जा सकता है। गडरा रोड में मशीनरी के सामान को लेकर मंत्री महोदय ने कह दिया कि मामला गलत है। क्या मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि मशीनरी के पुर्जे गायब नहीं हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास राजस्थान के अधिकारियों की इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान के घुसपैठिये इस सामान को लेकर चम्पत हुए हैं? आप आज हमको सदन में कुछ भी कह दें और भारत सरकार के गृह मंत्री से भी लोक सभा में कुछ भी कहलवा दें लेकिन जो तथ्य हैं वे छिपाये नहीं जा सकते। यदि आपको यही कहना है कि लोक सभा में भारत सरकार के गृह मंत्री से एक बात कहला दी इसलिये राजस्थान के गृह मंत्री को भी राजस्थान विधान सभा में उसके विपरीत कोई बात नहीं कहनी है लेकिन आप यह तो मंजूर करेंगे कि आपके अधिकारियों ने यह बात कही है कि पाकिस्तान के घुसपैठिये मशीनरी के पुर्जे निकाल कर ले गये। या तो उत्तर देने वाला गलत है या रिपोर्ट करने वाला गलत है। नाचना रोड जो बन रही है उसके 40 मील अन्दर पकिस्तानी घुसपैठिये घुस गये, गडरा रोड पर रोड रोलर्स थे वहां पर कई जगह फायर करके टायर तोड दिये, एक मशीन में आग लगा दी। सरकार कह कर चल सकती है कि यह तो डाका था। उसकी इत्तला पुलिस अधिकारियों को न मिल जाय इसलिये टायरों में फायर करके उनको बेकार कर दिया। यह तो बच्चों को बहलाने की बातें हो सकती हैं। इसके पीछे जो राज है उसको यदि सरकार ने गम्भीरता से स्वीकार नहीं किया तो उसके लिये शोभाजनक और अच्छी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1965 के संघर्ष के समय जो लोग हिन्दुस्तान छोड कर पाकिस्तान चले गये थे, उन्होंने उस समय अपनी एग्रीकल्चर लैंड को छोडा, मकानात को छोड दिया, जायदाद छोडी, उस जमीन को आज तक जब्त क्यों नहीं किया, उस जायदाद को अब तक आपने जब्त क्यों नहीं किया? लैंड रेवेन्यू एक्ट या अन्य कानूनों के मातहत जमीन आपको एक्वायर करनी चाहिये, यदि कोई कानूनी दिक्कत आती है तो तुरन्त इसकी व्यवस्था करके कानून में संशोधन करके उस जमीन पर सरकार को कब्जा करना चाहिये, उस जायदाद पर कब्जा करना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ कहना पडता है कि आज तक सरकार ने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की और उस प्रोपर्टी को जब्त नहीं किया उस जमीन को जब्त नहीं किया। जो लोग पाकिस्तान चले गये वे लोग वहां पर भूखों मर रहे हैं। उनके सामने यह एट्रेक्शन है कि कानून को तोड कर हिन्दुस्तान में चला जाय और जो उन्होंने काश्त की जमीन छोडी है,

(श्री भैरोंसिंह)

जो जायदाद छोड़ी है उस पर वापिस काबिज हो जायं और दुबारा पाकिस्तान का इस क्षेत्र में आक्रमण होने पर मुजाहिदों के साथ मिल अपनी सम्पत्ति को पाकिस्तान ले जाया जाय और यहां पर भारतीय सुरक्षा सेनाओं की गतिविधियां भी बतायीं जायं जिससे आसानी रहे। सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पेसिफिकली सरकार बताये कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

तीसरा प्रश्न, जो बहुत इम्पोर्टेन्ट है अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछली बार हमारी सेना गति में जो सबसे बड़ी रुकावट आयी वह पीने के पानी और सड़कों के अभाव के कारण थी। पिछले दो वर्षों में राजस्थान की सरकार ने वहां पर पीने के पानी के लिये क्या प्रबन्ध किया है और सीमा पर पहुंचने के लिये सड़कों की क्या व्यवस्था की है ? सड़कों के विषय में मैं कल बजट पर बोलूंगा जब बताऊंगा कि सड़कों के बारे में क्या भयंकर एन्टीनेशनल काम किया है। बाकी की बातों के लिये हम पूछते रहते हैं तो कहा जाता है कि हमने यह किया वह किया। हम कहेंगे कि जनता का मनोबल ऊंचा रखा जाय। आपको खुद को जनता को बताना चाहिये जिससे जनता का मनोबल ऊंचा रहे। जनता से पूछिये जाकर। पाकिस्तान ने फौजी ताकत बढ़ा ली है उससे उनके मन में घबराहट हो सकती है। लेकिन आप जनता को विश्वास में लेते हैं तो जनता का मनोबल ऊंचा होगा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग पकिस्तान चले गये वे वापिस कैसे आगये ? मेरे भाषण को निकाल कर देख लीजिये। मथुरादासजी माथुर इसको अच्छी तरह से जानते हैं। पाली, जालोर और गुजरात इन तीनों जगहों से उन लोगों ने सर्टिफिकेट लाने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान नहीं गये थे, बल्कि जालौर की पंचायत और पंचायत समितियों में बैठे थे। वे लोग इस प्रकार सर्टिफिकेट लाकर वापिस आबाद होने की कोशिश करेंगे, उनको आप आबाद करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने आज तक उन लोगों की कोई सूची प्रकाशित नहीं की कि कौन कौन पाकिस्तान चले गये, पाकिस्तान चले गये तो उनकी नेशनेलिटी खत्म हो गयी और फिर उनको यहां आने का कोई हक नहीं। पता नहीं किस समय पाकिस्तान चले गये यह सरकार कह सकती है लेकिन लोगों को सब पता है। लोगों ने सामना किया था पाकिस्तान का। गांव गांव के अन्दर इस प्रकार की सूचना है कि फलां आदमी पाकिस्तान चला गया। आपकी फौज और पुलिस दूर खड़ी रहेगी वे ही लोग उनको पकड़ कर जेल में डाल देंगे। आप उस चीज को छिपाना चाहते हैं। आप जनता को सुरक्षा के मामले में कान्फिडेन्स में नहीं लेना चाहते हैं उसका परिणाम वही निकलने वाला है कि पाकिस्तान की मर्जी पर आप सीमा वर्ती लोगों को छोड़ रहे हैं। अचानक पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो हम यहां बैठे दिल्ली की तरफ देखते रहेंगे कि अब सेना हमारी रक्षा के लिये आ रही है, जितने पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। हवाई जहाजों से कब तो फौजें पहुंचेगी और कब क्या होगा।

आज अरब और इजरायल को लेकर जो अन्तर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है इस विवाद को लेकर भी पाकिस्तान इस कोशिश में है कि वर्ल्ड पावर उलझ जांय तो वे एशिया क दूसरे झगड़ों में नहीं उलझ सकेंगे इसलिये हिन्दुस्तान पर चीन की मदद से

(श्री भैरोंसिह)
आक्रमण कर दिया जाय, या इसमें बड़े राष्ट्रों का भी हाथ हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति को देखकर पाकिस्तान को इशारा कर दिया जाय। ऐसी खतरनाक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। इसलिये राजस्थान सरकार यह कह कर न चले कि भारत सरकार को बोर्डर को सौंप दिया है और जो भारत सरकार करेगी वही उचित है। उसमें अधिक हमें कोई बात नहीं कहनी है। पंजाब की विधान सभा में भी और गुजरात की विधान सभा में भी स्टेटमेन्ट दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्री ने उसको रोका नहीं, भारत सरकार के डिफेन्स मिनिस्टर ने उसको रोका नहीं। आप चाहते हैं तो पंजाब के मंत्री ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह मेरे पास है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में लड़ाई की तैयारी कर रहा है। गुजरात विधान सभा में यह स्टेटमेन्ट दिया गया कि पाकिस्तान कच्छ के क्षेत्र में उत्पात करने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों को तो अपनी जनता को यह बात बताने में शर्म नहीं आती और हमारे गृह मंत्रीजी कहते हैं कि मैं भारत सरकार को बिना पूछे कुछ नहीं कह सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कभी नहीं कहा कि बिना पूछे कुछ नहीं कहता। मैंने यह कहा था कि जो कुछ लोक सभा में कहा गया है वह पर्याप्त है। उससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री भैरोंसिह : वही मतलब है उसका। हम चव्हाण साहब को नहीं पकड़ने वाले हैं किन्तु दामोदरलालजी व्यास, जो गृह मंत्री हैं उनको पकड़ने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सीमित करें।

श्री भैरोंसिह : गृह मंत्रीजी चाहें जिस प्रकार से उनको इसमें सहयोग देने के लिये तैयार हैं, उनको जनता को विश्वास में लेना चाहिये। विश्वास में लेकर जो कुछ सहयोग चाहते हैं वह हम देने के लिये तैयार हैं और जो चाहें वह करने के लिये तैयार हैं। जो चीज वे कहें, वह हम कहने को तैयार हैं, जो वे न कहें वह नहीं कहने को तैयार हैं। फिर हम अपोजीशन के मेम्बर तो उनके हाथ मजबूत करने के लिये तैयार हैं। वे देख लें कि कौनसी बात कहने से उनके हाथ मजबूत होते हैं। जो वे कहेंगे वह हम करेंगे, पर कुछ तो वे आगे बढ़ें, कुछ तो तेजस्विता और कर्मठता दिखावें।

पर हालत आज यह है कि वह कुछ करना नहीं चाहते जो हम कहते हैं वह सुनना नहीं चाहते। इस हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीमा के मामलों में जागरूकता नहीं दिखाई तो राजस्थान का ही नहीं देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जावेगा।

श्री देवीदत्त : (बारां) मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपने पर्याप्त प्रश्न पूछ लिये हैं और आपके बाद तो सतीशचन्द्रजी और भैरोंसिह बोल चुके हैं।

श्री देवीदत्त : सिर्फ दो मिनिट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। श्री रामकिशनजी।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय यह सीमा का प्रश्न जैसा बारबार कहा जा रहा है, राजनीति का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ओनली क्वेश्चन, भाषण पर न चल पड़ें आप।

श्री रामकिशन : आपने कैसे मान लिया कि मैं भाषण दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ट्रेन्ड दिख रहा है।

श्री रामकिशन : बगैर कुछ बोले तो ट्रेन्ड कैसे मालूम हो सकता है और बगैर ट्रेन्ड के कह सकता हूं।

राजनैतिक दल इस तरह की बातें करते हैं कि राजनीति का प्रश्न नहीं है इस तरह का हव्वा खड़ा करके सच्चाई को छिपाने की चेष्टा करते हैं। चाहे यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित हो चाहे भारत सरकार से। जहां दो मुल्कों की सीमाएं मिलती हैं उनके बारे में सारे संसार में जो सामान्य प्रक्रिया और प्रणालियां अपनाई जाती हैं राजस्थान सरकार उन्हें नहीं अपनाती इसलिये उस काम को पूरा नहीं कर पा रही है।

जैसे पहले भी सदन में जानकारी मिली थी और अब भी जानकारी मिलनी चाहिये। जो केन्द्रीय सरकार का काम है उसका किस तरह से वह अन्जाम देती है उसकी जानकारी दूसरी तरह से ली जावेगी पर राजस्थान सरकार की जो जिम्मेदारी थी सीमाओं पर सड़कें बनाने की, पानी पहुंचाने की, वहां के निवासियों का मनोबल ऊंचा रखने की, सीमाओं के निवासियों की आर्थिक हालत ठीक करने की इन सब के लिए राज्य सरकार ने क्या किया। यदि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती उसे देखकर पाकिस्तान में लोग आर्थिक विप्लव कर देते।

पहले हमने देखा सड़कें नहीं होने से अस्त्र शस्त्र पहुंचाने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर अब जो सड़कें बनाने का काम केन्द्रीय सरकार ने हाथ में लिया है और जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है उसने अधिकांश उसका पैसा जीपों की खरीद में लगाया और उन जीपों का प्रयोग चुनावों में किया। उस वक्त के मिनिस्टर साहब ने ठेकेदारों को जीपें खरीदने के लिए पैसा दिया और उनका उपयोग चुनाव जीतने में किया। यह अराष्ट्रीय कार्य है और जब तक ये हरकतें बन्द नहीं की जातीं तब तक कैसे आशा हम कर सकते हैं कि वहां के नागरिकों का मनोबल ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, उपाध्यक्षजी (अध्यक्ष महोदय) मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि वहां जो मशीनरी सड़कों को बनाने के लिए खरीदी गई है उसका कितना उपयोग हो रहा है। 6 करोड़ की मशीनरी खरीदी गई है और वह इसलिए जल्दी जल्दी खरीद ली गई कि उससे इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर वगैरह अधिकारियों को उसका कमीशन जल्दी से जल्दी मिल जाय। और इसमें भी आश्चर्य यह है कि पूरी की पूरी मशीनरी का उपयोग नहीं हो रहा है। उसमें से केवल एक करोड़ की मशीनरी का उपयोग हो रहा है। बाकी का नहीं हो रहा है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनसे नागरिकों का मनोबल घटता है और जैसी तैयारी करनी चाहिए उस तरह की सीमा पर तैयारी नहीं कर पाते। आज जैसे ये अनैतिक कार्य किये जा रहे हैं इसमें हमारा पक्ष भी कमजोर हो रहा है, पाकि-

(श्री रामकिशन)

स्तान के सी. आई. डी. हमारी अनैतिक हरकतों की सूचना वहां देते हैं कि सीमा पर इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं। उर्दू के एक पत्र में मशीनरी के बारे में मैंने ये समाचार पढ़े थे। ये सीमाओं की उपेक्षा करने के तो दोषी हैं ही, पर यह राजद्रोहिता भी है, देशद्रोहिता भी है और मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी इनका स्पष्टीकरण करें जवाब दें। सारे मामलों में घपला हुआ है। मजदूरों के लिए पैसा दिया गया केन्द्रीय सरकार द्वारा क्वार्टर बनाने और रहने के लिए सड़कों का काम करते वक्त वह रुपया हड़प कर गये और उसके बजाय इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर वगैरह के लिए आलीशान मकान बना दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बजट के बाद विवाद पर ये सवाल वापिस उठेंगे।

श्री रामकिशन : गृह मंत्रीजी सीमा के सम्बन्ध में अलग से बताना चाहें तो हम उस के लिए भी तैयार हैं। नूर मोहम्मद इधर चला गया, पाक मोहम्मद उधर आ गया यह कोई अहम बात नहीं है। असल बात तो यह है कि नीति सम्बन्धी कौनसा मामला कैसे किया जावे इसके लिए बतावें। इसके लिए अलग से सुझाव चाहेंगे तो हम भी देंगे पर यह विश्वास हमें होना चाहिए कि सरकार एक बार तै करने के बाद उस पर दृढ़ता से अमल करे।

श्री मदनसिंह दांता : इसके सम्बन्ध में मैं भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। बहस यहां ऐसी की जा रही है कि जैसे मानो सीमा पर न आर. ए. सी. है न कोई इन्तजाम है न कुछ है। मैं समझता हूं कि सीमा पर सब कुछ होगा। पर यह सब होते हुए भी हमारे गृहमंत्री महोदय के पास अगर इन बातों की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो वे अपने दल के अन्दर कोई एक्स सर्विसमैन हो, भूत पूर्व सैनिक हो, जैसे हैं उनमें भी, तो उसको गृह मंत्रीजी अपना डिप्टी मिनिस्टर रख लें।

एक माननीय सदस्य : खेतसिंहजी के लिए कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता: खेतसिंहजी सैनिक नहीं हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों को रोकने के लिए उसके हवाई आक्रमण को रोकने के लिए पटवारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे आक्रमण को रोकें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सम्बन्ध में ..

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर ने आर्डर इश्यू किये हैं कि हवाई जहाज आ जावे तो उन को पकड़ कर थाने में ले जाया जावे।

श्री मदनसिंह दांता: इस बात पर कलेक्टर को हटाया गया है सस्पेन्ड किया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यह जो सीमा का मामला है मसला है यह एक व्यापक मसला है। सरकार की विवशताएं इस सम्बन्ध में हैं। उसकी खामियां भी हैं। उसके साथ एक हद तक मेरी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सहानुभूति है। लेकिन हमेशा विरोधी पक्ष को यह अधिकार रहा है इस किस्म के मामले चाहे जितने भी नाजुक हों, जो मामले हमारे पडोसियों से विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखते हैं और जो विषय इस विधान सभा से सम्बन्धित न भी हों तब भी, चाहे इस ओर के हों चाहे उस ओर के हों, कोई माननीय सदस्य सरकार को सजग करे तो यह उनका कर्तव्य है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए यह कहा कि सीमा पर बार बार चर्चाएं हुईं उनके द्वारा सुझाव भी रखे गये। आखिर कार यह तो अन्दरूनी मामला हमारा है और एक माननीय सदस्य ने गम्भीरता के साथ गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य विधान सभा में दिया, उस सम्बन्ध में जो ट्रेजरी बेंचों का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको यह अवश्य निवेदन करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो यूरोप में, मध्य ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में जो डेवलेपमेन्ट हो रहा है जो प्रक्रिया हो रही है उसके प्रति भी सक्रिय होना चाहिये और सजग रहना चाहिये।

हमारी सीमा पर सडकों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये। वे नये नहीं हैं। सरकार निष्क्रिय है इस सम्बन्ध में। पर बार बार यह कहा जावेगा कि अनुचित लाभ इससे लेते हैं। पर मैं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निवेदन करता हूं कि अकाल में तथा कथित क्षेत्रों में जो करोडों रुपया खर्च हुआ अगर उसका थोडा सा भी अंश सीमा पर सडकों पर खर्च करते तो वह देश की सुरक्षा के हित में होता बनिस्बत इसके कि आपाधापी के रूप में अकाल राहत के नाम पर खर्च कर दिया। अकाल से मुझे सहमति है, आप वहां खर्च करिये। पर आपाधापी के रूप में न करिये। वह आप कर सकते हैं तो हमें भी अधिकार है सुझाव दें।

(1 म. प.)

इन मोटे मोटे मुद्दों पर आपने कहा मेरी सहानुभूति है एक हद तक कि आप अपने चेम्बर में बुलाकर इस संबंध में बातचीत करेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन अगर आपको यह आशंका भी होती हो कि विरोधी पक्ष अनुचित लाभ उठाकर आपकी मौन मे अनुचित लाभ उठाकर गैलेरीज की तरफ खेल खिलवाड करते हों ऐसी बात नहीं है। यह तो हमारी सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। इसमें कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, कोई पोलीटिकल पार्टी या दल विशेष का प्रश्न नहीं है। इन मोटे मोटे मुद्दों के ऊपर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप ऐसा वक्तव्य दें कि जो विरोधी पक्ष को कुछ हद तक तो संतुष्ट कर सके। केवल मात्र यह कहना कि चेम्बर में आकर बातचीत करें—ठीक है आपकी मजबूरियां हैं मैं मानता हूं लेकिन यह आपके लिए भी शोभनीय व्यवस्था नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से सदन को भी संतोष नहीं होगा। बहुत सी गम्भीर बातें हो सकती हैं उनको लेकर 5 मिनट के लिए भी स्पष्टीकरण करें तो मेरे ख्याल से हम आपके आभारी होंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह सीमा का प्रश्न बहुत ही नाजुक प्रश्न है और यह हमारी देश की सुरक्षा का प्रश्न है और बहुत गम्भीर प्रश्न है–इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने

(श्री दामोदरलाल व्यास)
अपने वक्तव्य में इसकी कोशिश की थी कि जो एडजोर्नमेन्ट मोशन था उसमें जिन मुद्दों के लिए कहा गया और पेश किया था उन्हीं के ऊपर में अपना स्टेटमेन्ट दूं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना स्टेटमेन्ट दिया था।

जहां तक बोर्डर सिक्योरिटी का सवाल है, एक्रास दी बोर्डर क्या हो रहा है। मैंने यह अर्ज किया कि भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है पार्लियामेन्ट के अन्दर उससे अधिक और कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यों ने उसको समाचार पत्रों में पढा होगा। परन्तु मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप यह ख्याल करते हों कि भारत सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान में क्या हो रहा है वह क्या तैयारियां कर रहे हैं, उनकी क्या मिलिट्री फोर्स है या क्या ताकत है उससे हम जानकार नहीं हैं यह मैं अर्ज करूंगा कि यह सही नहीं है। जैसा कि गृह मंत्री भारत सरकार ने कहा है कि सारी बातों की जानकारी उनको है और जो कुछ भी कार्यवाही करनी चाहिए वह बराबर कर रहे हैं उसके लिए। रहा सवाल इस बात का कि जैसे कुछ एयर वायेलेशन की बात है वह कुछ हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैंने खुद कहा है कि एयर वायेलेशन्स हुए हैं और भारत सरकार के गृह मंत्री ने पार्लियामेन्ट में भी यह बात कही है और आप खुद भी जानते हैं कि जो हमारी इन्टेलीजेन्स है उसकी जो खबरें हैं वह हमारे पास आती रहती हैं और भारत सरकार को भी बराबर पहुंचती रहती हैं। वह इससे वाकिफ हैं और इसी तरह से जो उनकी मिलिट्री इन्टेलीजेन्स है वह भी खबरें उनको वहां देती हैं, इसलिए यह ख्याल करना कि हमको या उनको पता नहीं है, बिलकुल गलत है····

श्री भैरोंसिंह : एक बात आप बता दें। भारत सरकार की मिलिट्री इन्टेलीजेन्स तो डाइरेक्ट खबर देती है लेकिन मिलिट्री इन्टेलीजेन्स के अलावा जो सिविल इन्टेलीजेन्स है वह भारत सरकार को इत्तला देती है वह आपको देते हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह हमको भी देते हैं और उनको भी देते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : स्टेट की नहीं सेन्टर की इन्टेलीजेन्स ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कई जरियों से हमारे पास खबरें आती हैं। मैंने अर्ज किया कि हमारी स्टेट इन्टेलीजेन्स है, सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स है और कोई खास खबरें होती हैं तो हमको मिलती हैं और उनकी मिलिट्री इन्टेलीजेन्स उनको इत्तला देती रहती है। इसलिए भारत सरकार को यह तमाम बातें वक्त वक्त के ऊपर मालूम रहती हैं। उन्होंने खुद ने माना है कि कब और क्या एक्शन लें यह उन के ऊपर छोड़ने की बात है। रहा सवाल इस बात का कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठायें कि पंच और सरपंच चले गये उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपको जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि जो चले गये थे उनको पंच और सरपंच के पद से अलग कर दिया गया था। उस समय यह विभाग मेरे पास था और मैंने खुद ने उनको रिमूव किया है पंचायतों से पंचों को और सरपंचों को आपका यह कहना कि···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने 16 व्यक्ति डी. आई.आर. में डिटेन हुए हैं, उनके बारे में कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया न कि मैंने खुद ने रिमूव किया है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मोहम्मद सुवन, सरपंच तहसील चोहटन सस्पेंड है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, इसकी सूचना आप चाहेंगे तो दे दूंगा। बहरहाल मुझे मालूम है कि एक दर्जन से ज्यादा मैंने सस्पेन्ड किये थे। अब अलग अलग नाम तो इस समय नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो जो 16 व्यक्ति डी. आई. आर. में डिटेन किये थे उनके बारे में पूछ रहा हूं। उनकी एक्टीविटीज के बारे में क्या है और उन सब की जानकारी रखते हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं आपके मतलब को। जो डी. आई. आर. में पकड़े गये थे उनको छोड़ने के लिए उनकी एक्टीविटीज के बारे में मैंने अर्ज किया कि यह स्टेटमेन्ट केवल जो एडजार्नमेन्ट मोशन था और जो पोइन्ट्स उसमें उठाये गये थे उनके ऊपर ही दिया है। आप मुझसे कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं हर सूचना मेरे पास रखूं। मैं इसकी जानकारी करके अवश्य दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एफीशियेन्ट होम मिनिस्टर को सारी जानकारी होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसा कि विरोधी दल के नेता ने भी कहा कि देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी का प्रश्न है सरकार और विरोधी दल अलग अलग नहीं हैं। एक दूसरे का सहयोग उसमें मिलता रहना चाहिए और मिलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। परन्तु एक बात याद रखिये कि कोई सूचना आपके पास आती है तो उसके लिए यह मत समझें कि वह सही ही है और सरकारी पक्ष के पास जो सूचना है वह गलत है और हम उसको कोई मोड़ देना चाहते हैं या रंग देना चाहते हैं यह कतई ख्याल नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात खास तौर से अर्ज करना चाहता हूं कि यह समझते हुए कि सूचना हमारे पास सही है आवेश में आकर ऐसा न कह दें कि जिससे कुछ वास्तविकता के ऊपर पर्दा पड़ जाये और जो अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि जो आपके पास सूचना है और मेरे पास है वह ख्याले तबादले से हम अच्छी तरह से हल कर सकेंगे और जैसा मैंने कहा कि इंजिन के कल पुर्जे निकाल ले गए हो सकता है कि आपके पास सही सूचना हो लेकिन मैंने कोशिश की है और मेरे पास निश्चित रूप से सूचना है कि यह वाकया गलत है और आप कहते हैं कि इस प्रकार की सूचना अन्य महकमे के अधिकारियों ने भेजी है, उसकी जानकारी करेंगे। परन्तु बात यह है कि आप हम आपस में मिलजुल कर तबादले ख्यालात से जहां कहीं गलत सूचना हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और सही बात मालूम कर सकते हैं। आपके अनुभवों से, आपकी सलाह से इसमें कुछ मदद मिलेगी तो हम आपके आभारी होंगे परन्तु ऐसा मत कीजिये कि यह समझ बैठें कि जो सूचना आपके पास मिली है वह 100 परसेन्ट सही है और सरकार के पास जो सूचना है वह गलत है। कई बार यह पोजीशन आती है कि गवर्नमेन्ट सही सूचना को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हाउस में नहीं कहना चाहता हूँ और अगर ऐसा होगा तो मैं कह दूंगा कि सुरक्षा की दृष्टि से कहना उचित नहीं है। परन्तु आप यह उम्मीद मत कीजिए कि मैं तोड मरोड कर गलत सूचना हाउस को दूंगा ।

अब रहा सवाल पीस कोर का । मैंने साफ कह दिया था । अलवर के माननीय सदस्य को उसमें बड़ी दिलचस्पी है । उन्होंने कोशिश नहीं की इसको समझने की, जब मैंने कहा कि पीस कोर का कोई भी वालन्टियर किसी भी बोर्डर एरिया में नहीं है । मेरे ख्याल से यह जानकारी काफी थी परन्तु मैं फिर रिपीट करता हूं कि इस पीस कोर का कोई भी वालन्टियर किसी भी बोर्डर एरिया में नहीं है । रहा सवाल इस बात का कि उनकी एक्टीविटीज क्या हैं मैंने इसके लिए शुरू में ही कह दिया कि हम [illegible]री निगरानी रखते हैं और रखते रहेंगे, इस [illegible]र आप निश्चित रहिए । मैंने आपसे कहा [illegible]क इसके लिए कोई नीति निर्धारित करने की [illegible]ात होती है जब कि उनकी एक्टीविटीज [illegible]लत मालूम हों ।

आपने एक अमेरिकन फर्म के लिए यह [illegible]हा कि उस अमेरिकन फर्म को सर्वे का काम [illegible]दया है । मैं बीच में समझाना चाहता था कि [illegible]ाप अपनी स्पीच को कम कर दें और जितनी [illegible]ात आपको मालूम है वह गलत होने की [illegible]जह से आप शायद इसको नहीं कहते । आपको अर्ज करना चाहता हूं कि [illegible]मेरिकन कोलाबोरेशन से राजस्थान में [illegible]रावली हिल्स का सर्वे कराने का एग्रीमेंट [illegible]आ है । अरावली हिल्स का एग्रीमेन्ट है कि बोर्डर एरिया का या मिलिट्री इंस्टालेशन का । That is not correct आपकी यह सूचना है कि उन्होंने फ्लाई करके बोर्डर एरिया की इन्फोर्मेशन कलेक्ट की है तो That is not correct. इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आपको करैक्ट कर लिजिए। ज्यादा अच्छा तो यह था कि शुरू में ही मैं आपको क्लेरीफाई कर देता लेकिन उस समय मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी एग्रीमेन्ट हुआ है उसके अनुसार वे अरावली एरिया में जिसमें भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहीं पर फ्लाई करेंगे और इसमें कोई भी बोर्डर नहीं आता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आपने कहा कि आपके पास सूचना है । मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार राजस्थान केनाल का जो काम चल रहा है उसके सैकिंड स्टेज के काम का सर्वे करने का अमेरिकन गवर्नमेन्ट ने भारत सरकार से समझौता किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या राजस्थान केनाल का ?

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान केनाल की सैकिंड स्टेज, जिसमें जैसलमेर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां का सर्वे करने और मैप्स लेने के लिए अमरीकी सरकार को कहा गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप का प्रश्न था माइनिंग डिपार्टमेन्ट के सर्वे के बारे में वह मैंने बता दिया ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल बोलने के लिए खडे हुए)

श्री अध्यक्ष : आप उनको कहने दीजिये पहले ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने हवाई उड़ान के बारे में बात कही है और इसके बारे में मन्त्रीजी कह रहे हैं कि अरावली के ऊपर उड़ान करने का ही उन्हें अधिकार है लेकिन उन्होंने सीमाओं पर भी उड़ान की है । लेकिन यह अखबार है, 20 मई का ब्लिट्ज है जिसमें न्यूज छपी है, अगर आप कहें तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूं । आप कहें तो मैं इसे सदन की मेज पर रख सकता हूं, यह 20 मई का ब्लिट्ज है····

श्री दामोदरलाल व्यास: ब्लिट्ज की न्यूज हो सकती है लेकिन गवर्नमेंन्ट के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह हर एक गलत शलत न्यूज को कोंट्राडिक्ट करती रहे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीमेन्ट का ताल्लुक है वह एग्रीमेन्ट के अनुसार हवाई जहाज पर चढ़ कर उड़े हैं और अपने जहाज को उधर की तरफ ले गये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास: इसकी जानकारी आपको होगी, इसके लिए धन्यवाद है । कोई पटवारी भी कह देगा तो भी कह देंगे कि उसको पकड़ लाओ ।

रहा सवाल बोर्डर रोड्स का मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह अर्ज करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि पिछले साल बोर्डर रोड्स के लिये कितना प्रयास हुआ है वह शायद इस बात को जानते हैं और मैं फिर उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस तरफ पूरी तरह से जागरूक है । बोर्डर रोड्स के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और जो कुछ भी डिसार्जेज हैं उनको डाइवर्ट भी कर रहे हैं कि जिससे उन रोड्स के अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, जल्दी से जल्दी वे बन सकें इसकी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं । कुछ बातें रोड्स के मामले में इंजिन खरीदने के मुतल्लिक और कुछ दूसरी बातें भी यहां कही गई । कोई भी ठेकेदार मोटर खरीद कर अपने पास रख सकता है और अपने काम में ला सकता है··

श्री देवीदत्त : आप यह बताने का कष्ट करें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त : कि जो रोड्स बनी हैं उसमें बाडमेर धोरी के बीच की सात माइल की सड़क किस प्रकार बनी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! शांति रखिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस साल भी मैं समझता हूं कि इन बोर्डर रोड्स के लिए काफी रुपया रखा गया है । करीब छः करोड़ रुपयों का प्रावधान है जो खर्च किया जा रहा है।

मुनावर रोड के जिस दो ट्रेक के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, यह मैंने शुरू में कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, घुसपैठिए, डेकोइट्स वगैरह आते हैं, ऊंटों की चोरी कर जाते हैं, लर्डी, बकरी वगैरह की चोरी कर जाते हैं । लेकिन जिस तरह का यह ओपन बोर्डर है उसमें दो, तीन, चार आदमियों का घुस आना नामुनासिब नहीं है लेकिन वहां पर जो हमारी इण्टरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वे बराबर उनको परश्यू करती हैं और वहां उनको खदेड़ती हैं । उनको गिरफ्तार करती हैं, उनके चालान पेश किए जाते हैं और उनके खिलाफ केसेज चलते हैं । यह नामुमकिन है

(श्री दामोदर लाल व्यास)

कोई हमारे बोर्डर में आ जाय और चोरी कर जाय और हमारी फोर्सेज को मालूम न पड़े।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एयर वायलेशन के सम्बन्ध में जो फ्रिक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आती है यह मोर और लैस स्टैडी हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन दिनों के अन्दर रात के वक्त में कुछ एयर वायलेशन हुए हैं और वे काफी ऊंची उड़ान करते हैं जिसकी सूचना भारत सरकार को वक्त वक्त पर दी जाती है। लेकिन वे इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि रात के वक्त उनका आइडेंटीफिकेशन नहीं हो पाता, लेकिन उनके आने का पता लग जाता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक बोर्डर की सेफ्टी का सवाल है, भारत की सिक्योरिटी का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जायेगी। आपका ख्याल है कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए हैं वे वापिस यहां आकर, गुजरात से या सांचोर से या पाली से आकर, सर्टीफिकेट, सनद वगैरह प्राप्त कर वापिस इस देश के अन्दर रहकर के और राष्ट्र विरोधी काम करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितने ही बड़े आदमी से उसकी मुलाकात हो इस मामले में किसी से रियायत नहीं बर्ती जायेगी। जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि सर्टीफिकेट वगैरह गुजरात से लेकर आते हैं तो भी उन सर्टीफिकेट्स को सरकार ने सही नहीं माना है और वहां के मुख्यमन्त्री को, मुख्य सचिव को, होम सेक्रेट्री को यहां से बराबर सूचना दी है और अब इस बात की छानबीन की जा रही है कि वास्तव में जो लोग सर्टीफिकेट लेकर आए वे सही हैं या नहीं। उनकी जांच बराबर की जा रही है। हमारी पुलिस कर रही है और गुजरात गवर्नमेन्ट भी कर रही है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक रूल 25(ए) डिफेंस ऑफ इण्डिया रूल्स का ताल्लुक है उसके अनुसार इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जो इस तरह से अवैध रूप से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं या आ गये हैं। उनको यहां पर किसी प्रकार से नहीं रहने दिया जाएगा, अगर वास्तव में पाकिस्तान चले गए हैं और उस जमाने में चले गए हैं जिस जमाने में कि भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल 25(ए) को तो फोर्स में आए करीब साल भर हो गया है आखिर आपने कितनों के खिलाफ कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि आपकी सूचना सही नहीं है। हमने एक्शन लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो चार के खिलाफ लिया होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने थे उनके खिलाफ ही एक्शन लिया है। आप चाहते हैं कि आपके संतोष के लिये दो चार हजार फर्जी मुकदमे बना दिए जायं।

मेरा अर्ज करना यही है इस मामले में, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, मैं विश्वास के साथ जानकारी देता हूं और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में कभी कमी नहीं आएगी। सुरक्षा के मामले में किसी के साथ

(श्री दामोदर लाल व्यास)
रियायत नहीं वर्ती जाएगी और जो भी कोई मामला आया उसके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी और जो भी विशेष जानकारी होगी वह वक्तन–फवक्तन दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मन्त्री ।

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, शांति सेना के विषय में इसी अखबार में (ब्लिट्ज में) जो खबर छपी है उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं । इसे सुनाने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : अभी आप रहने दीजिए । इसे आप सदन की मेज पर रख दीजिये । That will be property of the House. आप इसे सदन की मेज पर रख दें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक मिनट का टाइम लगेगा, सुन लीजिए ।

श्री शिवचरणसिंह : इसमें यह लिखा है "शांति सेना के ज्यादातर लड़के लड़कियां महारानी गायित्रीदेवी के साथ उनके महलों में रहते हैं" । इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो समाचार दिया है शांति सेना के विषय में और इसी अखबार में जो समाचार आया है विशेषतौर से महारानी गायत्री देवी के बारे में लिखा है तो इनकी गतिविधियों के बारे में कडी निगरानी रखने की इस सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ।

(श्री शिवचरणसिंह ने अखबार की प्रति सदन की मेज पर रखी)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या किसी भी अखबार को सदन की मेज पर रखा जा सकता है ? इस सम्बन्ध में पहला प्रश्न तो यह है कि किसी भी अखबार में कुछ भी लिख दिया और उसे सदन की मेज पर रखने की अनुमति दे दी जाती है तो उसके परिणाम क्या होंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि महारानी गायत्री देवी के खिलाफ यह बहुत ही सीरियस एलीगेशन है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यहां पर अखबार की कटिंग रखी है उसके सम्बन्ध में मैं यह कह दूं कि मामला चाहे सही हो या नहीं लेकिन महरानी गायत्रीदेवी खुद पार्लियामेन्ट की मेम्बर हैं और उनकी अनुपस्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना अनुचित है । इसलिए म निवेदन करूंगा कि इसे सदन की प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : समाचार पत्र को ···

श्री भैरोंसिंह : एक बात और अर्ज कर दूं इस सम्बन्ध में कि जिन माननीय सदस्य ने यह अखबार सदन की मेज पर रखा है, क्या वे मानते हैं कि इसमें जो कुछ लिखा है वह सही है ?

श्री पी. के. चौधरी : जब आपने श्री रामानन्द अग्रवाल ने जिस कटिंग को रेफर किया उसको सही माना है तो उसी अखबार का दूसरा कोटेशन है उसको भी मानना पडेगा । अगर इस पोरशन को सदन की प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज किया जाता है तो जो कुछ श्री रामानन्द अग्रवाल ने कहा है उसे भी एक्सपंज किया जाय, नहीं तो इसे भी एक्सपंज नहीं कर सकते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारी बात की जानकारी कर ली जाय, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वह अखबार का रेफरेन्स है और क्योंकि वह रिलायेबल नहीं होता है। अखबार का रेफरेन्स अखबार ही है, इसलिए विश्वास का प्रश्न पैदा नहीं होता। सदन की मेज पर रखे जाने का मैं ने कहा वह मेज पर न होकर अध्यक्ष के पास भेज दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैसे तो पाकिस्तानी एजेन्ट जगह जगह पर रह रहे हैं। इस गवर्नमेंट के मंत्रियों में····

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य दें। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर ! आर्डर !

अजमेर जल प्रदाय योजना के बारे में शासकीय वक्तव्य

श्री नारायणसिंह (स्वायत्त शासन मंत्री) अजमेर जल-योजना के बारे में ?

श्री लादुराम सुलानिया : माननीय भैरोंसिहजी ने अभी यह कहा है कि एक लोकसभा के सदस्य के लिए··

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदय !

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा नलों के फब्रीकेशन और कोन्कस्ट्रथटि का काम समय पर समाप्त नहीं हो सका, क्योंकि टिन-प्लेटस और इलेक्टोरोड्स का इन्तजाम एग्रीमेन्ट के मुताबिक नहीं किया जा सका था। एग्रीमेन्ट के मुताबिक कम्पनी को 250 टन के नल देने थे···

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आवाज दोनों तरफ से नहीं आती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : लाउड स्पीकर का दोष है।

श्री अध्यक्ष : आप मुंह थोडा सा पास रख लें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा नलो के फेब्रीकेशन और कोन्क्रीट का काम समय पर समाप्त नहीं हो सका, क्योंकि टिन प्लेट्स और इलेक्टोरोड्स का इन्तजाम एग्रीमेन्ट के मुताबिक नहीं किया जा सका। एग्रीमेन्ट के मुताबिक कम्पनी को 250 टन क नल देने थे। अक्टूबर 66 में सरकार ने कम्पनी को सूचित किया कि वह एग्रीमेन्ट में दिये हुए समय से जल्दी कार्य समाप्त करे। इसके अलावा उन 5 लाख का ऋण भी स्वीकृत किया गया था जिसके लिए बीमा कम्पनी की गारन्टी प्राप्त की गई थी तथा बैंक की गारन्टी भी प्राप्त की गई थी। जनवरी, 67 तक कम्पनी ने करीब 3 हजार नल दिये, लेकिन बाद में आर्थिक संकट के कारण आगे प्रगति नहीं हो सकी। विभाग ने तुरन्त कम्पनी तथा उसके बैंकर्स एवं बीमा कम्पनी को नोटिस दिया। इसी बीच में विभाग को यह सूचित किया गया कि कम्पनी मेसर्स टाटा केमिकल्स के साथ सम्मिलित होने के लिए विचार कर रही है। अब विभाग को इसके प्रतिनिधि ने बताया कि दिसम्बर 67 तक यह कार्य निश्चित रूप से पूरा करदिया जायगा। विभाग निरन्तर इस सम्बन्ध में प्रगति पर निगरानी रख रहा है। विभाग की यह राय थी कि मुकदमेबाजी में

Page No.52

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

जाने के बजाय यह ठीक होगा कि कम्पनी कार्य को पूरा कर दे, क्योंकि यदि दुबारा टेन्डर मंगवाये गये तो इससे भी अधिक समय एवं धन लगने की सम्भावना है। जहां तक विभाग के ऋण के सुरक्षित रहने का प्रश्न है विभाग के पास बीमा कम्पनी तथा बैंक की कुल मिलाकर 35 लाख की गारन्टियां हैं। विभाग इस सम्बन्ध में प्रगति पर पूर्ण निगरानी रख रहा है तथा 15 जुलाई, 67 तक कम्पनी ने यदि निर्धारित प्रगति नहीं दिखाई तो इस सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायगा। तथा अन्य स्रोतों द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने की आवश्यक कार्यवाही भी की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय

श्री अम्बालाल शर्मा (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अजमेर के जल-संकट का छोटा सा इतिहास सुना दिया और उन्होंने एक सफाई पेश की जिसको पेश करने के लिए उनको स्वयं को दुःख होना चाहिए और सुनने वालों को भी दुःख होता है। इस योजना में आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आपने ऐसी कम्पनी को जिसके प्रोस एण्ड कोन्स का पता नहीं लगाया, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं किया और उसको 5 लाख रुपये दे दिये और कुल मिलाकर 35 लाख रुपये तक दे दिये। हमारी सूचना से मालूम हुआ है ऐसा। यह आश्चर्य की बात है। यहां आपके लिए आर्थिक संकट का सवाल रहता है, इकोनोमी डिसकस होती है और एक एक पैसे को बचाना चाहते हैं और उधर उस कम्पनी को 35 लाख रुपया दे दिया। इस बात से मालूम होता है कि कहीं न कहीं गंदगी है इसके अन्दर उसका पता लगायें। मैं थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ यहां पर बहस हो गई है उससे शान्ति नहीं हो सकती है। मैं, श्रीमान आपके द्वारा श्री मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ चलें और वहां का निरीक्षण करें और थोड़ी सी मेरे साथ गालियां खायें।

श्री भैरोंसिंह : आप माननीय मंत्रीजी को और अध्यक्ष महोदय को भी साथ ले जायं।

श्री अध्यक्ष : मुझको भी गालियां पड़ेगी।

श्री अम्बालाल शर्मा : हमने बातचीत की तो निश्चय समझिये यह प्रश्न ऐसा आ रहा है कि वहां पर पानी की इस तरह की स्थिति है कि अजमेर के सैकड़ों लोग यहां आयेंगे और आपके घर जाकर सत्याग्रह करेंगे। यह मैं थ्रेटनिंग नहीं दे रहा हूं लेकिन यह निश्चित बात है कि आप इसको बिल्कुल उपेक्षापूर्वक ले रहे हैं और एक साधारण सा स्टेटमेन्ट दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भूखा मरते हुए आदमी के सामने केवल लड्डू का नाम लेने से कैसे उसको तृप्ति हो सकती है? आप मरते हुए आदमी को कहें कि काश्मीर का वायुमंडल एक स्वास्थ्य दायक है, तो कैसे उसको शान्ति मिल सकती है? वहां का आदमी दुःखी है वहां की स्त्रियां दुःखी हैं, वहां के पशु दुःखी हैं वहां के पक्षी दुःखी हैं। वहां पर जानवर के लिए पानी का राशन हो गया है। तांगों के घोड़े बाजारों में गिर जाते हैं। चारों ओर हाहाकार हो रहा है। आपका स्टेटमेन्ट अपर्याप्त है, असन्तोषजनक है। इससे

Page No.53

(श्री अम्बालाल शर्मा)
जरा भी सदन में न इधर वालों को और न उधर वालों को शान्ति मिलेगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा पूर्वक इमर्जेन्सी की कोई न कोई स्थिति निकालें और स्थिति ऐसी निकालें जो कि व्यावहारिक हो। आप जैसा भी कार्य करें वह संतोषजनक हो। एक कुए से पूरा नहीं होगा। सारी योजना आपकी फेल होती जा रही है। आपने बांध बान्धा तिलोडा का तो मैं निवेदन कर दूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका फाउन्डेशन स्टोन रखा, लेकिन अभी केवल 21 गज की जमीन खोदी हुई है, शेष वैसी की वैसी पडी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आमा का तालाब बांध बन चुका है। वहां पर थोडा सा काम हुआ है। घानाहेडा के बांध का फाउन्डेशन रख दिया गया है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। मैं सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के लिए पानी का मैं निवेदन कर रहा हूं वह इससे काम नहीं चलेगा।

श्री नारायणसिंह मसुदा : कौनसा बान्ध बना है?

श्री अम्बालाल शर्मा : तिलोडा का। मेरे पास लिखा हुआ है। मैं आपको सारी चीज भेज दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पढेगा कौन?

श्री अम्बालाल शर्मा : उस जगह कृपा पूर्वक ऐसे कुए बनवाइये और वहां से एक मील दूर पाइप लाइन है उसका उससे सम्बन्ध कीजिये। भावता का कुआ खत्म हो रहा है। वहां का पानी समाप्त हो रहा है। आस-पास की जमीन सूखतीजा रही है। वहां के वृक्ष सूखते जा रहे हैं और सदन के अन्दर यहां पर जो यह डिस्कशन हो रहा है उससे तृप्ति नहीं हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और आपके द्वारा सारी केबिनेट से निवेदन करूंगा कि अजमेर की उपेक्षा न करें। अजमेर को चाहे आज आप नापसन्द करते हो लेकिन, श्रीमान, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि जिस स्वाधीनता का आज आप उपभोग कर रहे हैं वह अजमेर में रहने वाले ठाकुर केसरी सिंहजी के बदोलत है जिनके पुत्र को फांसी पर लटका दिया गया था। अजमेर ठाकुर गोपालसिंहजी का कार्य क्षेत्र रहा है। वह विजयसिंह पथिक का कार्य-क्षेत्र रहा है। वे अजमेर में रहते थे। स्वामी कुमारानन्दजी का कार्य क्षेत्र रहा है। वह श्री अर्जुन लालजी सेठी का कार्य-क्षेत्र रहा है। माणिक्यलालजी वर्मा अजमेर में रहते थे। अजमेर हमारी स्वतन्त्रता से पूर्व सारी सोशियल, पोलिटिकल एक्टीविटीज का एकमात्र केन्द्र रहा है। आप संकीर्ण दृष्टि से अगर देखें कि अजमेर से आपकी पार्टी नहीं जीती तो इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है। कोई इधर बैठे या उधर बैठे इसका प्रश्न नहीं है। कल आप इधर बैठेंगे और आपको बैठना चाहिए अगर आप सचमुच में डेमोक्रेट हैं तो और डेमोक्रेसी को चाहते हैं तो परिवर्तन बहुत आवश्यक है, अन्यथा डेमोक्रेसी उपाहास्यास्पद होगी। श्रीमान् आज आप चाहे अजमेर से निराश हों लेकिन अजमेर ने काफी दिया है और अजमेर ने जितना दिया है उतना किसी ने नहीं। अजमेर ने आपको जागृति दी है, अजमेर ने आपको

(श्री अम्बालाल शर्मा)
प्रेरणा दी है, अजमेर ने आपको राजनैतिक चेतना दी है।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि इस सारे प्रश्न को इमर्जेन्सी और वारफुटिंग पर टेकल किया जाय और जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट को बुलाएं और बुलाकर ऐसी तात्कालिक योजना बनाएं कि कम से कम 10-15 दिन के अन्दर पानी मिल जाय। अगर वह नहीं मिलेगा तो निश्चय ही बात भयंकर होगी अजमेर खाली होता हुआ चला जायगा और उसका श्रीमान् आप पर बहुत बडा दोष जल प्रदाय मंत्री होने के नाते नहीं होगा, लेकिन श्री नारायण सिंह मसूदा होने के नाते से होगा। उसका दोष मुझ पर भी होगा और आप पर भी होगा। आप उससे बच नहीं सकेंगे। यही मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलना नहीं चाहेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे संक्षेप में।

श्री भगवान दास शास्त्री : प्रश्न पूछूंगा। स्थगन प्रस्ताव में मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर में हाउस टैक्स 1947 से प्रारम्भ हुआ था, वह इस कारण हुआ था कि अजमेर में जल का बडा संकट रहा था··

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन करूं

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बोलना चाह रहे हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य के लिए आदेश दिया गया वह दे दिया। अब ठीक यह रहेगा समय की बचत के हिसाब से कि जिस प्रकार प्रश्न उठायें जायं उसी प्रकार मैं संक्षेप में कहता जाऊं। नहीं तो यह तो डिबेट का सारा प्रश्न हो जायगा···

श्री अध्यक्ष : दोनों का उत्तर इकट्ठा दे दीजिये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : और उसमें समय बहुत ज्यादा लग जायगा।

श्री अध्यक्ष : आपके सामने जो प्रश्न आयें उनको आप नोट कर लीजिये और फिर साथ ही जवाब दे दीजिये।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसमें समय ज्यादा लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो कह दिया कि साथ उत्तर दे दें लेकिन उनको अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नोट कर लें यह मैंने कहा है।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 1947 से जल की समस्या अजमेर में पैदा हुई। उस समय जो नगरपालिका के अध्यक्ष थे, जिनको चेअरमैन भी कहा जाता है, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अजमेर में हाउस टैक्स इस मायने में लागू किया है कि इस जल समस्या का हल निकाल कर हम दे

Page No.55

(श्री भगवान दास शास्त्री)
दें। उसके बाद में 1952 में गानाहेडा और भावता की जल योजना प्रारम्भ हुई। उसके पहले बूढा पुष्कर और फाई सागर से अजमेर को पानी मिलता था। तो 1952 से गानाहेडा और भावता की योजना प्रारम्भ हुई जिनके कुओं का बोरिंग करते करते यह स्थिति हो गई है कि उनमें पानी नहीं है। अब वहां पर परिस्थिति इस प्रकार की हो गई है कि अजमेर में 1952 से जो हाउस टैक्स लगान के बाद में जल योजना लागू की गई, उसकी जो वितरण की व्यवस्था है, जो पाइपों के जरिये जल की वितरण व्यवस्था है वह हाई लेबल पर जो वस्ती है आशागंज, भजन गंज वहां तक तो कुछ पानी पहुंच जाता है

(1.33 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन जो दूसरी बस्ती हैं, रामगंज, भगवान गंज आदि वहां ज्यादातर वितरण व्यवस्था ठीक न होने के कारण पानी नहीं पहुंच सकता है। अब 1952 से बराबर अजमेर में हाउस टैक्स रेज होता गया है, पहले जहां 35 प्रतिशत जनता हाउस टैक्स का भार भुगतती थी वहां अब 75 प्रतिशत जनता हाउस टैक्स का भार भुगतती रही है और भुगत रही है। अब हाउस टैक्स देने के बाद भी जो हाउस टैक्स लगाने का कारण था, जो एग्रीमेन्ट के आधार पर हाउस टैक्स अजमेर की जनता पर लागू किया गया उसके अनुसार अजमेर की जनता को पानी, हाउस टैक्स देने वाली जनता को पानी प्राप्त नहीं हो। इसके साथ ही जो मिनिमम चार्जेज तीन रुपये के थे वह बढा कर इस समय तक पांच रुपये तक जा चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जल योजना और जल की व्यवस्था की योजना अजमेर के नगर की है, वह शायद 1962 से लेकर इन्जीनियरिंग कम्पनी बम्बई को दे रखी है। और जो कुछ मंत्री महोदय ने बताया उसके अनुसार एग्रीमेन्ट के मुताबिक उस कम्पनी ने कार्य नहीं किया है। उसके बाद में आपने शो कोज नोटिस उस कम्पनी को दिया है। लेकिन बावजूद इसके आपके पास में उस कम्पनी का कुछ एडवान्स नहीं है बल्कि उल्टे 35 लाख रुपये की आपकी सिक्योरिटी उनके पास है। तो उनको तो इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है। जब आपने टैण्डर लिये थ उस समय 35 लाख रुपये के बजाय लाख रुपये कम में टेन्डर देकर काम मांगने वाली कम्पनी को··

श्री उपाध्यक्ष : यह तो चर्चा में आ चुका है

श्री भगवान दास शास्त्री : चर्चा में तो आ चुका है लेकिन यह जल योजना के प्रश्न पर ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। लम्बा चौडा भाषण मत फर्माइये। इतना ही प्रश्न है कि हाउस टैक्स इस वास्ते अजमेर में लगाया गया कि वहां जल की व्यवस्था की जाय।

श्री भगवान दास शास्त्री : वह भी इनके साथ सम्बन्ध रखता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री भगवान दास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, गानाहेडा और भांवता की योजना शुरू हुई और अजमेर की जनता के ऊपर हाउस टैक्स लगा दिया गया पानी के संकट के बावजूदा उसके बाद में अभी जैसा मंत्री

(श्री भगवान दास शास्त्री)

महोदय ने फर्माया कि हम जितना जल्दी हो सकेगा अजमेर को पानी देने में सम्पूर्ण शक्ति को लगाने की कोशिश करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं विश्वास से कहता हूं कि यह आश्वासन पहले 1962 में दिया गया था और उसके बाद 1964 के अन्दर भी जब आदरणीय मंत्री मिस्टर जोशी खुद अजमेर आये थे तो कुछ वरिष्ठ लोगों को, वहां की जनता के कुछ लोगों को और वहा के लीडर्स को वह मोटर में बैठा बैठा कर जो नदी है, जहां चालीस कुए बनाये हैं, उस जगह ले गये और उन को दिखाया। जब बनास नदी के कुए देखे गये, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि चाहे वह बीस फीट गहरे हों या चालीस फीट गहरे हों लेकिन अजमेर की बढी हुई जनता अभी दो तीन लाख की है, लेकिन राज्य का यह दृष्टिकोण होना चाहिए, राज्य का यह नियम होना चाहिए कि जो मास्टर प्लान किसी ऐसे शहर के लिए बने जो शहर या सिटी बढोतरी की तरफ जा रहा हो तो एक लाख के बजाय चार लाख बढा हुआ मान कर स्कीम को बना कर चलें। पहले यह स्कीम राजमहल की थी, उस स्कीम को काट कर बनास नदी की योजना बनाई गई। उसमें भी हमें आपत्ति नहीं, चाहे राजमहल का पानी आप जयपुर को दे दें या चाहे अजमेर को दे दें। लेकिन राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है है और इसमें मंत्री महोदय का तो विशेष कर्त्तव्य है कि जिस शहर का मास्टर प्लान उसकी आबादी के अनुसार बनता है, उसमें हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आज हर शहर की आबादी बढ़ती हुई है। आज भारत वर्ष की आबादी 45 करोड से बढ कर 51 करोड हो चुकी है, तो अजमेर की जनता की संख्या भी तीन लाख यदि है तो उसको पांच लाख सोच कर किसी वाटर स्कीम का निर्माण करना चाहिए। आज अजमेर की दुर्गति पानी के संकट के कारण हो रही है। जिस वक्त कैपीटल का प्रश्न आया तो पानी के संकट के कारण जयपुर कैपीटल हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि अजमेर में उस दिन एक भी दीपक नहीं जलाया गया था और जयपुर ने इस तरह से खुशी मनाई थी जैसे अजमेर पर उसने विजय प्राप्त की हो, जैसे युद्ध में अजमेर से जीते हों। अजमेर के लिए दुर्भाग्य का दिन था वह। खैर कैपीटल जयपुर रहे, अजमेर की जनता तो सहनशील है और पढी-लिखी है। वह सीमा में रहती है लेकिन जो अगस्त में संघर्ष समिति बनी थी उसमें कोई पोलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं था फिर भी भूख हडताल . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप कृपया प्रश्न पूछें। आपने जो इतनी लम्बी-चौडी बात कही है वह तीन सेन्टेन्सेज में आ सकती थी।

श्री भगवान दास शास्त्री : उस समय संतुलन सारी जनता का ही करके सारे अजमेर शहर का बाजार बन्द रहा, जिसमें एक माचिस तो क्या एक आलू तक प्राप्त नहीं हुआ। मैं एक सिद्धान्त के साथ में दृष्टान्त को मिला कर, विशेषण में विशेष्य को मिला कर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अजमेर की जनता की सीमित सहनशीलता है वह काफी बढ चुकी है। और जैसा कि कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हम अजमेर में जा नहीं सकते हैं। हम जनता के बीच जाते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो रोज भी जाते रहेंगे। अजमेर की जनता हमारे साथ में है

Page No.57

(श्री भगवानदास शास्त्री)

और हम जनता के बीच में हैं। लेकिन सरकार में रह कर जो एशो आराम पसन्द व्यक्ति हो गये हैं वे जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। अजमेर की जल प्रदाय योजना जैसा कि राज्य सरकार ने कहा है प्रगति पर है यह सर्वथा असत्य है। प्रगति उस चीज को कहा जा सकता है जिसको सम्पूर्ण किया गया हो। हमारे मंत्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य से मैं बार बार कह रहा हूं कि वह प्रश्न पूछें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं योजना के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। जो स्टेटमेन्ट दिया जाता है....

श्री भगवानदास शास्त्री : स्थान ग्रहण करने से पहले मैं अर्ज करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : जल प्रदाय योजना के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया नियमों को पढ़ा कीजिये। मंत्री महोदय किसी विषय पर स्टेटमेन्ट देवें उस पर चर्चा नहीं होती है, यहां तक कि सवाल भी नहीं पूछे जा सकते हैं। यह क्योंकि अहम सवाल था इसलिए आपको यह आज्ञा दी गई, यह पर्मीशन दी गई कि आप उस पर कुछ सवालात पूछ सकते हैं। आपने इतने लम्बे भाषण में तीन चार सवाल पूछे हैं वे आप तीन चार सिम्पल सेन्टेन्स में पूछ सकते थे, आपने उनको भाषण में परिणत किया, उससे समय सदन का व्यर्थ में जाता है। माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं वह प्रश्न के रूप में पूछ लें। आपने प्लानिंग के बारे में कहा...

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं संक्षेप में पूछ लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कि प्लानिंग का तरीका यह है कि एक लाख हो तो दो लाख का करना चाहिए। दूसरे आपने हाउस टैक्स का कहा।

श्री भगवानदास शास्त्री : 26 जनवरी को आश्वासन दिया था और बार बार मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने मना नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : बाकी रह गया है वह आप अपनी ओर से पूछ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या फर्माया।

श्री भैरोंसिंह : जो शेष रह गया है, आपकी नालेज क्योंकि ज्यादा है इसलिए अपनी तरफ से पूछ लीजिये तो काम पूरा हो जायगा।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस कम्पनी ने यह पाइप बनास से लेकर अजमेर तक, जहां तक लगाये हैं, वह इंजीनियरिंग पाइन्ट आफ व्यू से, इन्जीनियरिंग के नियमानुसार लगाये हैं या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न मेरा है, उपाध्यक्ष महोदय....

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस पर मेरा पहला प्रश्न यह है कि अजमेर में जिन क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं जाता है और जिनके प्राइवेट कनक्शन्स लगे हुए हैं उनसे मिनिमम चार्जेज वसूल किये जाते हैं। पानी गरीबों को नहीं मिलता और फिर उनसे मिनिमम चार्जेज वसूल किये जाते हैं ऐसा क्यों ? अगर यह सही है तो इसको बन्द किया जाना चाहिये और गलत है तो माननीय मंत्री बता दें। दूसरी बात यह है कि जो रुपया इस कम्पनी को देने के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कहा, क्या इस सम्बन्ध में इस कम्पनी से कोई एग्रीमेन्ट हुआ था और एग्रीमेन्ट में यह शर्त थी। अगर यह शर्त उस एग्रीमेन्ट में नहीं थी तो एग्रीमेन्ट के अलावा यह रुपया उनको क्यों दिया गया।

तीसरी बात यह है कि जो रुपया आपने अग्रिम दिया है, क्या यह रुपया उन रुपयों के अलावा है जो माल सप्लाई किया है उससे 90 परसेन्ट अदा कर दिया गया ओवर एन्ड अबाऊ 35 लाख रुपया और दिया गया है यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : दो बातें मैं भी पूछना चाहता हूं। मगर उपाध्यक्ष महोदय, पूछूं किससे।

श्री उपाध्यक्ष : फाइनेन्स मिनिस्टर बैठे हैं उनसे पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : उनको मालूम होता तो वे बता देते।

(इतने में श्री नारायणसिंह मसूदा आ जाते हैं)

जिस फर्म को आपने रुपया दिया है उससे आपने कोई एग्रीमेन्ट भी एग्जिक्यूट कराया या नहीं और अगर कराया है तो उस एग्रीमेन्ट के अनुसार काम नहीं किया तो आपने क्या कोई पेनल्टी इम्पोज की है या नहीं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि आप पानी तो कम देते हैं और आपने पिछले महीने से वाटर रेट्स और बढा दी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि अगर एग्रीमेन्ट है तो उसको सदन की मेज पर रखने में कोई आपत्ति तो सरकार को नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वयोवृद्ध नेता डा० अम्बालालजी जिनके प्रति मैं हमेशा से श्रद्धा रखता रहा हूं और जो आध्यात्मिकता में विचरा करते हैं, उस लिहाज से आज भी उन्होंने अच्छी राय दी और श्री भगवानदासजी के विषय में मैंने सुना है कि उन्होंने भी बहुत सुन्दर बातें कहीं कि जिनसे कई बातों का भान हुआ। उन्होंने सारा इतिहास बताया। हाउस टैक्स की बात कही और हाउस टैक्स-और जल प्रदाय की बात कही। वास्तव में मैं बताना चाहता हूं कि हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटी की लाजमी ड्यूटी है . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेन्डेटरी है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस दृष्टि से हाउस टैक्स लिया गया है। केवल इसलिये नहीं लिया गया है कि जल प्रदाय कार्य होगा, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी बात है . .

श्री भैरोंसिंह : यह तो बजट में है। जो सेंक्शन मांगी गई है उसमें यह बात है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसमें होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुराने बजट में हैं पहले के बजट में हैं ।

श्री नारायण सिंह मसूदा : दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि म्युनिसिपल बोर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट है । वह अपने तरीकों से निर्णय लेता है कानून के मातहत और उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया उसकी एक सीमा तक ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

अब सवाल यह रह जाता है कि अजमेर में जो जल, प्रदाय के लिये कोशिश की गई और कं. को कोन्ट्रेक्ट दिया, उसके बारे में और गवर्नमेन्ट के बारे में आशंका उठी । उसके विषय में मैं निवेदन कर दूं कि जिस समय यह मेरी जानकारी में आया और दोनों डा. भी अब सदन के सदस्य हो गये हैं, उनको सारी बातें मालूम हैं, मैं भी अवगति अभी प्राप्त कर रहा हूं, उसके अनुसार मैं निवेदन करूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, यह मुझे भी दुःख है कि अजमेर में इस प्रकार का जल संकट है । मसूदा में जल संकट रहे उसको भूल जाता हूं मगर अजमेर में जल संकट रहे, यह बात ऐसी है कि मुझे भी वहां जाने आने का मौका मिलता है । मैं यह स्वयं देख रहा हूं कि पाइप लाइन लग रही है वह कब तक लगती रहेगी और वह सारा काम कब खत्म होगा । मैंने जानकारी की है । इसके अलावा जब कोन्ट्रेक्ट किया गया था उस समय उसकी आर्थिक दशा ठीक नहीं थी । बैंक गारन्टी 10 लाख की ली गई । उस समय 7 टेन्डर आये उसमें 5 इस प्रकार के टेन्डर थे, मैं इस समय यह भी कह दूं कि डा. भगवानदासजी ने पहले जिक्र किया कि इंडियन कम्पनी थी उसके साथ बात चीत चली । 7 टन्डर आये उसमें पांच इस प्रकार की कम्पनीज थीं जिनके टेन्डर्स कम्पलीट नहीं थे । केवल दो के कम्पलीट थे एक तो यह कम्पनी और दूसरी ह्यूम पाइप, बम्बई की थी । उन्होंने 75 लाख के लिये कोट किया था और फिर जो कुछ टेन्डर दिया वह इससे कम पड़ता था । फिर उसके बाद उन्होंने रिवाइज्ड करके 12 लाख को कम करने के लिये अपनी रजा मन्दी जाहिर की और इसके अलावा 2 परसेन्ट रिडक्शन की है उसका डिस्काउन्ट देने को कहा । पर उनको नहीं देने के कारण ये रहे कि जहां एक तो डीलीवरी पीरियड था वह 18 महीनों में करना था वहां वे 24 से 28 महीने तक का हिसाब बताते थे और उसके अलावा बैंक गारन्टी जो देते तो वे पाइप देने को तैयार नहीं थे । उन्होंने 5 लाख एडवान्स मांगे और डिलीवरी पीरियड 24 से 28 महीने का बताया । इसलिये 2।। साल में ब्याज का हिसाब लगाया गया तो काफी दिक्कत सामने आई । इन सब बातों को देखते हुए इस कम्पनी के साथ में कन्ट्रेक्ट जारी रखने का फैसला किया है । इसलिये अभी अभी यह बात मेरे सामने जब आई कि जब जल प्रदाय विभाग मेरे पास है तो अजमेर वालों के लिये यह स्वभाविक ही है कि जहां का हूं वहां के लोगों के लिये जल का कष्ट हो तो पहल होती है ....

कई माननीय सदस्य : तो इससे गैरों को खतरा पैदा हो जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मुख्य मन्त्री ने परम्परा डाली है उन्हीं परम्पराओं पर चलते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अजमेर में राजस्थान की राजधानी नहीं हुई, अजमेर में

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
हाई कोर्ट नहीं बना और फिर भी परवाह नहीं मगर....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पानी नहीं मिले तो भी परवाह नहीं, मर जावें तो भी परवाह नहीं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अजमेर जैसा सज्जन है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : परवाह किस को है दूसरी दुनिया जाय जहन्नुम में। हम तो कुर्सियां पकड़े बैठे रहें।

(हंसी)

श्री नारायणसिंह मसूदा : ये महारावल साहब मेरे परम स्नेही और मेरे पूजनीय हैं पीढ़ियों से हम कुर्सियां पकड़ कर बैठे रहे हैं। आपका ही पकड़ने को है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी यह तमन्ना नहीं है कि यहीं होना चाहिये। 18/18 वर्षों तक मंत्री बने रहे, आपकी कुर्सी जनतन्त्र के लिए अशोभनीय है।

श्री मथुरादास माथुर: कोशिश तो आपने बहुत की।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस कम्पनी के इंजीनियरों के साथ तकाजा किया और मैंने यह आर्ग्यू मेंट रखा कि अगर वे नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों न दूसरा कदम उठाएं और इस प्रकार की कम्पनी से क्यों न पिण्ड छुड़ावें। मगर प्रश्न यह आता है कि अगर हम मुकदमेंबाजी में पड़ जाते हैं तो इतना लंबा समय लग जाता है कि एक गर्मी और निकल जावेगी और दूसरी गर्मी भी निकल जावे और अजमेर में जल पहुंचाने का मौका नहीं मिले। हमने इसके लिए कि उनकी माली हालत किस प्रकार की है, अपने रेवेन्यू ऑफिसर को भेजा और वह उनकी माली हालत देखने गए। उन्होंने कहा कि जुलाई तक एक स्टेज तक हम काम पूरा कर लेंगे। इसलिये यदि वे जुलाई तक काम पूरा कर देते हैं तो हमें कोई दूसरी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

हमने 5 लाख एडवान्स दिये जिसका जिक्र आया। इसके लिये मैं कहूंगा कि 35 लाख की बैंक गारन्टी इतनी पर्याप्त है कि उनकी गारन्टी से पेनल्टी और दूसरे सब ड्यूज कवर हो जाते हैं, तो इसका खतरा तो नहीं है। हम यह चाहते हैं कि हम कानूनी झकझोर में न पड़ें, लड़ाई में न पड़ें। बात तो हो चुकी है, जैसे भी हुआ करे। उनसे झगड़े में पड़ जाय इससे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा ....

श्री भैरोंसिंह: इसका मतलब यह है कि अजमेर में पानी आये न आये यह सब इस कम्पनी की दया पर निर्भर करता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जयपुर से पहले वहां पानी लाने का मेरा विचार है।

श्री भैरोंसिंह: जयपुर से पहले अजमेर को मिलेगा, आप मंत्री रहें या न रहें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: मेरे मन्त्री रहने न रहने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अजमेर को सबसे पहले पानी मिले। डा. अम्बालालजी भी मन्त्री बन जाते तो उनको भी दूसरों का सबका काम देखना पड़ता, जयपुर के स्वाब में भी आना पड़ता, जयपुर की रोटी खाते हैं, इतना सा रेला तो आ जाता है। पर यह हमारा प्रयत्न

Page No.61

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
जरूर है कि इसी के द्वारा कार्य कराया जाय। आशा तो करते हैं कि यह कार्य नसीराबाद में जनवरी फरवरी तक हो जाय। हम मुकदमें बाजी में नहीं पड़ना चाहते। अगर यह नहीं हुआ तो दूसरी सूरतों को देखेंगे, उनकी गारन्टी जब्त कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, दूसरी तरह भी देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो उनसे बात हुई है, पहले हमारा खयाल था कि टाटा केमिकल इसको टेक ओवर कर लें और हमारा काम आसानी से चले, अभी वह बात पर नहीं जमे हैं पर स्ट्रक्चरल्स ने उनको काफी धमकी दी है और कहा है कि जुलाई तक काम कर सकेंगे। इससे उनकी मंशा भी मालूम हो जायगी।

इस विषय में काफी काम हो चुका है, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता जब बांध की और दूसरी योजना आई थी। इसमें डिफेन्स और रेल्वे विभाग ने दिलचस्पी ली है, 80 लाख रुपया उनसे भी प्राप्त हुआ है। रक्षा मन्त्रालय के हिस्से में 56 लाख रुपया, नसीराबाद में 13 लाख गैलन पानी रोजाना देने के लिये और रेल्वे को 6 लाख गैलन पानी प्रतिदिन देने के लिये 24 लाख रुपया स्वीकार किया है तो मूल में जो योजना थी उसमें परिवर्तन करना पड़ा है।

अब मैंने सारी वस्तुस्थिति रख दी है कि इस प्रकार इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है।

अभी जो जल संकट है यह यद्यपि पूर्णतया मेरे विभाग का नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का है, फिर भी 45 हजार रुपया कुओं को खुदवाने के लिये, कुओं को ठीक करवाने के लिये, फेमीन रो दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद): हम यह जानना चाहते हैं कि नसीराबाद में जुलाई में और अजमेर में दिसम्बर में पानी देंगे या नहीं। सरकार चाहे कम्पनी को पकडे, या बन्दर को पकड़े या और कोई सोर्स निकाले चाहे ट्रेन से पानी दे या ट्रकों से पानी दे या जमीन से श्रोत निकाले।

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैंने वस्तुस्थिति रख दी है, एक चरण में जुलाई तक दूसरे चरण का कार्य दिसम्बर तक हो जायगा। मैं वादा नहीं दे सकता।

श्री विजयसिंह: तो फिर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अजमेर में कोई उपद्रव होते हैं, अजमेर से कोई एजीटेशन आता है, हल्ला आता है तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर होगी, जनता पर नहीं होगी क्योंकि मन्त्री महोदय और राजस्थान सरकार जनता को किसी कम्पनी की दया के ऊपर जिंदा रखना चाहते हैं, यह हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री नारायणसिंह मसूदा: मैंने सारी वस्तुस्थिति अर्ज की है। हमने एक एडवाइजरी कमेटी निर्माण करने का कदम उठाया है, जिसमें अजमेर के गण्य मान्य एम. एल. ए. अम्बालालजी आदि हों, यह भी रखा जायगा, क्या क्या कदम उठाये जा सकते हैं, उनकी अनुमति से कार्य आगे बढ़ाया जायगा।

श्री विजयसिंह: इसे बार बार टाला जा रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार कब पानी दे सकेगी।

श्री नारायणसिंह मसूदा: आश्वासन जो था वह मैं दे चुका हूं, अब मैं कोई झूठा वादा नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : जुलाई तक एक चरण और दिसम्बर तक दूसरा चरण पूरा होगा, यह आश्वासन दे चुके हैं।

श्री लादूराम मुलानिया (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय कह दें कि पानी का प्रबन्ध समय पर नहीं कर सकते तो फिर इस सदन में बोलना और बैठना बेकार है।

भरतपुर जल प्रदाय योजना के बारे में शासकीय वक्तव्य

(2 म. प)

श्री नारायण सिंह मसूदा : भरतपुर नगर के लिए जल प्रदाय योजना 1960 में में चालू की गई। और इन योजनाओं में अजन बन के नीचे की ओर बने 15 कुओं से पानी लेने का प्रावधान था। उस क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण की सम्भावनाओं पर भी गौर किया गया था और आवश्यक सर्वेक्षण भी किये गये थे। किन्तु इस क्षेत्र में खारे पानी के कारण कोई उपयुक्त नलकूप बन सकना संभव न था। उपयुक्त कुओं में पानी की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र को अजनबन से कृत्रिम रूप से बाढग्रस्त किया जाता है।

भरतपुर नगर की पानी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए और कुओं में अनिश्चित तथा पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 1963 में एक योजना स्वीकृत की जिसकी अनुमानित लागत 35) लाख रुपए थी। इस योजना के अन्तर्गत बन्ध बारेठा से प्रतिदिन 20 लाख गैलन पानी लिया जाना था। इस योजना की आवश्यकता इसलिए भी थी कि एम.ई.एस. विभाग (रक्षा विभाग) ने विभाग से पानी की मांग की थी। विभाग ने पाइप्स के लिए टेन्डर्स आमन्त्रित किये और भरतपुर में टंकियों के निर्माण का काम हाथ में लिया किन्तु उसी समय यह स्कीम आगे न चल सकी क्योंकि बन्ध बारेठा से पानी लिए जाने के विरोध में कई विरोध पत्र विभाग को प्राप्त हुए जिनमें यह कहा गया था कि बंध बारेठा जल प्रदाय योजना के लिए पानी लिए जाने के फलस्वरूप सिंचाई में लगभग 10 प्रतिशत कमी हो जायेगी किन्तु सिंचाई में इस तथाकथित कमी को पूरा करने के लिए योजना में अलग से सिंचाई कुओं का प्रावधान रखा गया था फिर भी यह योजना भारत सरकार के विद्युत व सिंचाई मन्त्रालय को इस बात के विचारार्थ भेजी गई कि क्या योजना के अन्तर्गत आगरा नहर से पानी लिया जाना उचित व संभव होगा? केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन विद्युत व सिंचाई मंत्री ने इस प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई अभियन्ताओं के साथ विचार किया। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत बन्ध बारेठा वाली स्कीम ही ली जाय। विभाग ने पुनः पाइप्स के लिए टेन्डर्स आमंत्रित किए हैं और जैसे ही उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होगी योजना का शेष कार्य हाथ में लिया जावेगा। धनराशि के संबन्ध में भारत के जीवन बीमा निगम से इस योजना के लिए 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है जो कुल दो करोड़ के ऋण में शामिल है। इस योजना पर अब जो काम शेष करना है वह मुख्य रूप से फिल्टर हाउस के निर्माण करने का और बंध बारेठा से पाइप लाइन बिछाने का है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

गत वर्ष वर्षा के अभाव में वर्तमान कुओं वाले क्षेत्र में कृत्रिम बाढ़ नहीं लाई जा सकी। इसके फलस्वरूप कुओं में पानी कम हो गया। और जिसके परिणाम स्वरूप नित्य वितरण किये जाने वाले पानी की मात्रा में कमी की है। विभाग ने वितरण किये जाने एवं पानी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तीन कुएं भरतपुर शहर में दिए हैं जिन पर पम्प भी लगा दिए हैं। निकट भविष्य में ही 1 और कुआ लेके चालू कर दिया जायगा। इस समय विभाग प्रतिदिन 2 घंटे प्रातः काल तथा 1/1-2 घंटे सायंकाल पानी का वितरण करता है। वितरण किये जाने वाले पानी की मात्रा 6 लाख गैलन प्रतिदिन है।

श्री रामकिशन : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, तीन चार बातों की जानकारी चाहता हूं। पहले तो जो योजना 1960 में चालू हुई, आपके टेक्नीशियन्स ने बनाई, फिर 1963 में ही कैसे कमी आ गई जबकि 1963 तक आबादी में भी कोई वृद्धि नहीं हुई।

दूसरा आपने बंध बारेठा की बात कही है। यह सही है कि इसके दोनों पक्ष हैं। शहर में पानी चाहिए। भरतपुर जिले में केवल बंध बारेठा ही ऐसी जगह है जिससे सिंचाई का काम करते हैं। बाकी पानी की सप्लाई कुओं से या दूसरे सिस्टम से होती है। तो क्या और कोई चारा नहीं है कि सर्वेक्षण कराया जाय जहां पानी उपलब्ध हो सके। इस संबंध में पहले भी चीफ इंजीनीयर साहब से डेप्युटेशन मिला था और जांच की गई थी लेकिन वह अधूरी थी। बंध बारेठा से पानी लाने के साथ जहां शहर की दिक्कत दूर हो सकती है वहां कम से कम 10 हजार एकड़ जमीन जिस पर गन्ना और दूसरी खेती होती है, उसका नुकसान होगा। आज 20 साल के बाद आप भरतपुर के लिए पानी का अंदाजा लगायें। भरतपुर की ब्रोड गेज और मीटर गेज की क्या स्थिति है, औद्योगिक दृष्टि से भरतपुर की क्या स्थिति है। इसलिए आपके इस योजना पर फिर दुबारा विचार करना पड़ेगा। या तो उत्तर प्रदेश की जमुना से पानी लिया जाय या सर्वेक्षण कराया जाय।

आपने टेम्पोरेरी व्यवस्था की बात कही है और कहा है कि डेढ़ और पौने दो घंटे पानी देते हैं। आप चाहे कोई काम न करें लेकिन अपने विभाग के अधिकारियों से सच्चा उत्तर जरूर दिलायें। घड़ी लगाकर आप देखे, पौन घंटे से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। मैंने खुद ने यह देखा है। एक दिन जयपुर से मैं भरतपुर पहुंचा। मेरी पत्नी ने कहा, नहा लो। भीतर गया तो पानी बंद। यह है आज भरतपुर की स्थिति। मैं तो दो तीन बातों की सरकार से जानकारी चाहता हूं, आपने योजना बनाई, 15 लाख खर्च किए और तीन साल तक शहर में पानी नहीं दे सके इसके लिए मेरा तीसरा सुझाव यह है कि भरतपुर शहर को केवल नलों से ही पानी नहीं मिल सकता बल्कि एक नहर भी है। पहले सुरक्षा के काम आ सकती थी लेकिन यह पानी का बहुत बड़ा साधन है। रियासत के समय इसकी मरम्मत होती रहती थी और भरदी जाती थी लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई मरम्मत नहीं करवाई न खुदाई की न सफाई करवाई। बंध बारेठा से पानी आने के लिए शायद आंदोलन भी हुआ। जब तक सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से तय करे और सर्वेक्षण के कामों को पूरा

(श्री रामकिशन)
करे तब तक यदि सरकार नहर के काम को पूरा कर सके तो मैं समझता हूं कि शहर की समस्या हल हो सकती है और अब जो आप बंध बारेठा की स्कीम बना रहे हैं वह 5 साल बाद पूरी हो सकती है इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि टैक्नीक दृष्टि से भी इन तीन चार बातों का निराकरण करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल : (बयाना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जिन तीन कुओं से पानी दिया जाता है उनका पानी भी कभी टेस्ट करवाया। उनका पानी इतना कड़वा और खारा है कि अगर पक्षी भी वह पी जाय तो वह मर जाय। अगर इस पानी की जांच की जाय तो यह बात सही निकलेगी। गंगा मंदिर वाले कुए का पानी अगर एक घूंट भी पिया जाय तो एक दो घंटे तक पीने वाला सेन्स में नहीं रहेगा। इस तरह से उपेक्षावृति बरती जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर पानी नहीं मिले तो इससे बेहतर होगा। पानी के अंदर कड़वा पानी डालकर और जो कुछ उपलब्ध पानी है, खराब करके लोगों को एक तरह से सजा दी जा रही है। तो इस चीज को आप थोड़ा एग्जामिन कर लें।

दूसरी बात, केवल कागजात में दिखाने के लिए घंटे दिखाये गए हैं परंतु शायद ही कोई ऐसा दिन आता है जब पानी बहुत सी जगह उपलब्ध होता हो। रात दिन जो नल लगे हुए हैं वहां झगड़े होते हैं, कई मटके फूटते हैं, घड़ों की लाइन लगी रहती है।

तीसरी बात अगर आपने बंध बारेठा से भरतपुर के अंदर पानी लाने के लिए, प्रयास किया तो हो नहीं सकता कि वह लोग आंदोलन न करें। 45 गांवों के वे किसान जो वहां से पानी लाकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं और धंधा करते हैं, एक तरफ तो 45 गांवों के आदमियों को बरबाद किया जाय और दूसरी तरफ भरतपुर शहर को पानी दिया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता कि 45 गांवों के लोगों की रोटी रोजी छीनी जाय और भरतपुर के लिए पानी लाया जाय। इसको वहां के लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। यहां पर सर्वे की बात की गई। एक छोटा सा कुआ खोदने की बात है, कुओं को गहरा किया जाय 55–56 फीट पम्प डाला और कहा कि सर्वे हो गया। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।

बन्ध बारेठा के बारे में मैं निवेदन करूं कि वहां का पानी इरिगेशन के काम आता है उसमें भी पानी की कमी होती जा रही है। उसको गहरा करके कमान्ड एरिया को बढ़ाया जाता। नहर नं. 3 भी खत्म हो रही है वैसी हालत में बन्ध बारेठा से पानी लेने की स्कीम बनाकर आप दो इलाके के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। यह समस्या ऐसी है जिससे दोनों इलाके के लोगों में वैमनस्यता पैदा हो सकती है ऐसी स्थिति में मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं अगर आप भरतपुर की जल समस्या का समाधान वास्तव में करना चाहते हैं, अम्युनिशन डिपो को पानी मिलना चाहिए। इन्डस्ट्रियल इस्टेट को पानी मिलना चाहिए और भरतपुर के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भरतपुर के लोग पानी के अभाव के कारण दुखी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिनको पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कह दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : केवल आधा मिनिट में समाप्त कर दूंगा। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं भरतपुर में केवल जमना नहर से पानी आ सकता है किन्तु बन्ध बारेठा का क्लेम भरतपुर के पानी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नहीं तो किसानों के लिये जिससे आजीविका मिलती है उस पर डाके डालने वाली बात होगी। यह बांध उत्पादन बढाने के लिये है लोगों को रोटी रोजी देने के लिये है न कि घरों की शोभा बढाने वाले लोगों के लिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन बातें पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय ने कहा जिस कुए द्वारा भरतपुर को नल का पानी दिया जाता है वह पानी पर्याप्त नहीं होने के कारण पूरा नहीं दिया जाता क्योंकि उसमें पानी का अभाव है। एक बात तो सही है कि लोगों को पानी बराबर नहीं मिल रहा है। उस कुए से उसकी पूर्ति नहीं की जासकती है। क्या वजह है कि शहर के कुए से जो पानी मिलता है वह हर साल अप्रेल में देना शुरू कर दिया जाता है जब कि इस बार आधा मई बीत जाने पर किया गया यह क्यों? जब कि नलों में कतई पानी नहीं आता तो डेढ महीने बाद इसका इन्तजाम क्यों किया गया?

दूसरी बात यह है कि आखिर यह क्या बात है कि जब कभी उत्तर प्रदेश या पंजाब सरकार से कोई बात का सामना हो जाता है तो आपको मुंह की खानी पडती है। उस जमुना पर उत्तर प्रदेश का या पंजाब का ही हक नहीं है बृज प्रदेश का भी उतना ही हक जमुना के पानी पर है। जमुना से पानी लेने का हक भरतपुर वालों को उतना ही है जितना कि अन्य प्रदेश का है। अगर सरकार इसमें असफल रहती है तो भरतपुर वालों को कहीं इस बात के लिये मजबूर न होना पड़े कि वहां की जनता को हरियाना या उत्तर प्रदेश के साथ सम्बन्ध जोड़ना पड़े। क्या बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ती है कई बार कहा गया कि भरतपुर को जमुना से पानी मिलना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि मुकुटबिहारीजी ने कहा, वहां पानी खारा मिलता है जिसका कारण अभी रामकिशनजी ने बताया कि वहां पर जो नहर बनी हुई है उसकी आजतक सफाई नहीं हुई, उसकी खुदाई नहीं होने के कारण भरतपुर शहर के अधिकांश कुओं में पानी की कमी हुई है और पानी खारा हुआ है। नहर को साफ करवा कर उसकी खुदाई या उसकी मरम्मत करवा दी जाय तो यह जल संकट मिट सकता है और जनता को पानी मिल सकता है। इसके अलावा जहां आप केवल एक घंटा पानी देते हैं और फ्लैट रेट 8 रुपया चार्ज करते हैं जब आप पानी सप्लाई पूरा नहीं कर सकते तो यह रेट कम क्यों नहीं करते।

इसके साथ साथ बन्ध बारेठा से पानी देने का सवाल है वहां किसानों के हक का पहले ध्यान रखा जाय उसके साथ-साथ शहर में रहने वालों की समस्या का समाधान किया जाय इस समस्या का हल बन्ध बारेठा नहीं बल्कि जमुना से पानी लेने का प्रबन्ध किया जाय। जब जमुना से पानी आने लग जायगा तो बन्ध बारेठा से पानी लेने का सवाल नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किया

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
था कि यह जो स्कीम शुरू में थी उसके अन्दर विशेष तौर पर नल कूपों में यह अनुभव हुआ कि ट्यूबवेल्स से पानी जिस प्रकार से निकल रहा है उससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी इसलिये दूसरी योजना की तरफ ध्यान दिया गया। उस दूसरी योजना के बारे में मैं कह चुका हूं। बन्ध बारेठा के बारे में जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है उसमें केवल दस प्रतिशत की कमी होगी। उसका विरोध कितना है यह इस हाउस में आपके सामने है इस बारे में वहां के जो माननीय सदस्य आये हैं वे मुख्तलिफ राय रखते हैं इस स्कीम को भारत सरकार के मन्त्री श्री के. एल. राव से सलाह लेने के बाद उठाया गया। उनका मानना यह था कि इससे केवल दस परसेन्ट इरिगेशन में फर्क पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने साफ तौर से सवाल रखे थे उनमें से उनका पहला यह सवाल है कि ओरीजिनल स्कीम आपने जब शुरू की तब आपने क्या इस बात की जांच नहीं की कि पानी काफी मात्रा में है या नहीं ?

दूसरा यह जो नहर भरतपुर में है उसके पानी से शहर के कुओं में पानी की मात्रा बनी रहती है उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई ?

मौजूदा पानी की सप्लाई सोर्स के इनडेशन के बारे में, चौथा बन्ध बारेठा का जो विरोध हो रहा है, पांचवा जमुना से पानी लाने के सम्बन्ध में इस बारे में आप वक्तव्य दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: पहली चीज यह है खारा पानी होने के कारण इस चीज को हाथ में नहीं लिया गया।

दूसरा प्रश्न बन्ध बारेठा का उठाया गया..

श्री रामकिशन: सन् 60 में वाटर वर्क्स लगाया, उसमें करीब 15 लाख रुपया खराब किया गया उसके दो साल बाद ही पानी का संकट शुरू होगया आपकी कोई ऐसी योजना है जिससे दस बीस साल तक लोग पानी के लिये निश्चिन्त रहें ?

श्री नारायण सिंह मसूदा: बन्ध बारेठा के विषय में मैंने जैसा कि निवेदन किया इनन्डेशन की बात है, जहां है वहां इसको उस समय नहीं उठाया गया उसमें एक बात जरूर है ड्रेनेज स्कीम इरिगेशन के हाथ में है।

श्री नत्थीसिंह : इससे ड्रेनेज स्कीम का कोई ताल्लुक नहीं नहर पानी के लिये है जो किले के आस पास है और पक्की है।

श्री रामकिशन : मन्त्री जी को पूरी जानकारी नहीं है इसलिये हमारा सुझाव है कि जो भी आप वक्तव्य दें वह जानकारी करके दें यहां दें या हमें अलग से बता दें। तो ज्यादा उचित होगा।

श्री नारायण सिंह मसूदा: आपने मोड के बारे में भी जिक्र किया था।

श्री रामकिशन: वह तो कच्चा किला है वहां से जो नहर निकलती है लेकिन हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वह वहां के लोगों ने विजेताओं की हैसियत से बनायी थी जो भरतपुर शहर के भीतर किला बनाया गया है उसके पास है जो सुजान कैनाल नाम से है उसको ठीक करवाइये। पहले स्टेट के समय में प्रोवीजन था। इसलिये पूरी जानकारी के साथ आप कहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपका अर्थ यह है कि सुजान कैनाल...

श्री रामकिशन : सुजान कैनाल की खुदाई, मरम्मत और सफाई कराई जाय। बीस साल से कोई कार्य नहीं हुआ है। किले के पास ही नहर है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : बांध बारेठा की स्कीम ?

श्री रामकिशन : वह तो 28 मील दूर है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ये जो सुझाव हैं उनके लिये मैं एक वक्तव्य दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कल ही मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिये। भरतपुर की समस्या एक भारी समस्या है। भरतपुर ऐसा स्थान था जहां कि पानी की समस्या कभी नहीं थी। अभी रूठ रूठ कर और लम्बे लम्बे हाथ करके कह रहे थे कि यमुना से पानी नहीं आवेगा तो राजस्थान को छोड देंगे। आपको सोचना चाहिये 15 लाख का खर्चा किया वह डूब गया। 35 लाख का अजमेर में खर्चा किया वह डूब गया। किसी सम्बन्ध में जिम्मेदारी नहीं है, किसी विषय में उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक ढंग से समस्या पर विचार करके उत्तर देना चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं कि जो बातें उठायी गयी हैं उनके विषय में पूरी जानकारी करके, मुझे खेद है कि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं आ पायी, मैं सदन के सामने एक वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : बजट पर वाद विवाद।

श्री **मुकुटविहारीलाल गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और मंत्री महोदय को दे दूं। भरतपुर की नहर की सफाई करायें, दिल्ली को भरतपुर वालों ने लूटा था तो उस नहर में करोडों रुपयों का खजाना दबा हुआ है, उसका भी पता लगा लें तो राजस्थान का जो अर्थ संकट है वह दूर हो जावेगा। महाराजा सूरजमल लूट कर आये थे। भरतपुर शहर की नहर में ही वह खजाना है। पता लगा लीजिये।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के के फाइनेन्स मिनिस्टर को ले जा सकते हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री दौलतराम सारण।

(2.23 म. प.)

आयव्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी की चतुरता है....

श्री उपाध्यक्ष : 40 मिनिट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : 40 मिनिट से क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई व्यक्ति 40 मिनिट में अपनी बात नहीं कह सके।

श्री रामकिशन : अलग अलग दल के लिये समय निश्चित कर दें, वे उसके अनुसार एडजस्ट कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दल के नेता 40 मिनिट और दूसरे माननीय सदस्य 30 मिनिट। 7 दल हैं। 1½ घंटा एक दल का टाइम आता है। फिर अधिक व्यक्ति बोल नहीं सकते।

(श्री उपाध्यक्ष)
अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोल सकें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : आपने मुझे पहले ही बांध दिया है इसलिये अब मैं मेरे खजाने को भरतपुर की तरह दिल्ली से नहीं लूट कर लाया किन्तु वित्त मंत्री के इस खजाने से निकाला गया है-उसको संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा।

माननीय मंत्री ने सुन्दर शब्दों में अपने भाषण के अन्त में कहा है "योजना बद्ध विकास के जरिये हम जनता के लिये सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने की दिशा में आगे बढने के लिये कृत-संकल्प हैं। 1967-68 का वर्ष तो केवल उस लम्बी सफर के रास्ते पर हमारा एक आगे कदम है जिस पर आगे बढते हुए, हम जनता को सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति दिला सकेंगे। जनता के जीवन को भरा-पूरा और समृद्ध बनाने के इस प्रयास में आपकी आस्था और सहयोग की मैं सच्चे दिल से कामना करता हूं।"

माननीय उपाध्यक्ष, आपके मार्फत मैं वित्त मंत्रीजी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जनता के जीवन को समृद्ध बनाने में हम पूर्णतया आपके साथ हैं। परन्तु केवल शब्द-जाल फैला कर आप हमारा सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप वाकई कृत-संकल्प हैं तो आपको अपनी क्रियान्वित का प्रदर्शन करना होगा। आपने अभी तक केवल घोषणायें की हैं, आपने अभी तक केवल योजनायें बनायीं हैं, आपने अभी तक कार्यक्रम निर्धारित किये हैं लेकिन आपने अभी तक उनकी क्रियान्विति नहीं की है। उन्हें निष्ठा के साथ सम्पादन नहीं किया है, निष्ठा के साथ उनका अमल नहीं किया है। उसी का परिणाम है कि आज चारों तरफ संकट है। आज हमारे पास अन्न नहीं है, आज मंहगाई आसमान को छू रही है और आज बेकारी बढ़ रही है। सारा भारत और राजस्थान प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर है राजस्थान में तो विकास की अतुल्य संभावनायें हैं, राजस्थान में खनिज सम्पदा है, राजस्थान में कृषि-योग्य भूमि है, राजस्थान में वन-सम्पदा है, सब कुछ संभावनायें मौजूद हैं, लेकिन उन सब संभावनाओं को क्रियात्मक स्वरूप देना उनकी प्रगति के लिये क्षमता और दूरदर्शिता चाहिये जो आपने बीस साल में प्रदर्शित नहीं की। उसी का यह परिणाम है कि राजस्थान प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न होते हुए भी राजस्थान का नागरिक अपनी आजीविका पूरी तरह नही प्राप्त कर पा रहा है, वह अपना जीवन-यापन करने में कष्ट पा रहा है और उसके सामने रोजी और रोटी का प्रश्न मुंह बांधे खडा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक स्वप्न रखा राजस्थान के लोगों के सामने। आप कहते हैं। बडे सुन्दर शब्दों में आपका बखान है सामाजिक न्याय से जुडे राजनीतिक लोकतन्त्र के लिये मानव का विकास जितना आवश्यक है, उतना ही आर्थिक तरक्की के लिये मानव-साधनों का विकास जरूरी है। आपने बडे सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्ति की है लेकिन काश इस अभिव्यक्ति को मूर्तरूप देने की चेष्टा करते! आपने मूर्तरूप देने की चेष्टा नहीं की। आपने लोकतन्त्रीय समाजवादी उद्देश्य रखा, आपने आर्थिक और सामाजिक न्याय प्राप्त कराने के लिये नारा दिया और आपने योजना-जन्य विकास से आर्थिक शोषण से

(श्री दौलतराम सारण)

मुक्त कराने का संकल्प लिया और आपने उत्पादन बढ़ा कर असमानता दूर करने की बात कही। आपने सामाजिक न्याय देने की बात कही लेकिन आपके वे सारे नारे खोटे निकले। आप उनको पूरा नहीं कर सके। बीस वर्ष आपके शासन के बाद आज राजस्थान की यह स्थिति है कि राजस्थान का उत्पादन गिर रहा है, आज राजस्थान की यह स्थिति है कि जनता पर कर भार बढ़ रहा है, राजस्थान का नागरिक पीने के पानी से महरूम है, राजस्थान के नागरिक को आज आपके बीस साल के शासन के बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं। बीस वर्ष के अवसर के बाद भी आज राजस्थान की यह स्थिति है। इतने लम्बे अर्से में आप गम्भीरता से सोचते, चिन्तन करते निष्ठापूर्वक योजनाओं और कार्यों पर अमल करते तो उसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आते। मुझे लगता है आपने यह सब नहीं देखा। आपने बताया जोत योग्य कास्त में भूमि 3,11,20,242 एकड और एक जगह 5 करोड के लगभग बतायी। यह कौनसी ठीक है आप जानें ? अगर जोत की भूमि एकड में 3,11,20,242 मानें तो उसमें से आपने केवल 40,67,308 एकड भूमि सिंचित की। जहां राजस्थान के निर्माण के समय आपकी सिंचित योग्य भूमि जो थी वह करीब 29 लाख एकड थी वहां आज वह आपके कथनानुसार 51.41 लाख एकड है। इन पिछले 20 वर्षों में, 48 से पीछे को जाने दीजिये सन् 1952 से ही ले लीजिये, पिछले पन्द्रह वर्षों में सिंचित भूमि आप दूनी से अधिक नहीं कर पाये। इसका कारण क्या है ? जब राजस्थान बना तीन लाख एकड भूमि नहरों से सिंचित थी, 6 लाख तालाबों से थी, 20 लाख कुओं से सिंचित होती थी, लेकिन राजस्थान बनने के बाद आपने केवल महत्वाकांक्षी योजनाओं की तरफ देखा। उनको तरफ देखना बुरा नहीं था। पर पहले यह देखना चाहिये था कि योजनाएं बनाते वक्त आप अपनी क्षमता को, अपने साधनों को और अपनी शक्ति को देखकर काम करें। अगर तुरन्त परिणाम देने वाली लघु सिंचाई योजनाओं को लेकर चलते तो निश्चित रूप से परिणाम कहीं अच्छा होता।

आज उत्पादन गिर रहा है। रोजगारी के लिये आदमी रोजगार की तलाश में है, मिल नहीं रहा है। भोजन की तलाश में है, पानी की तलाश में है। फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। शहरों में पानी की कमी और गांवों में कमी। कहीं खारा पानी पशु पीकर मरते हैं। फिर आप कहते हैं अपने गौरवपूर्ण शब्दों में कि हमने बहुत शानदार सफलताएं प्राप्त की हैं और उनका लम्बा चौडा विवरण दिया है उनके बारे में भी मैं दो तीन संकेत करके स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि वे कैसी सफलताएं हैं ?

एक तो बताया इरिगेशन का। इसमें इतनी भारी रकम खर्च करने के बाद भी बहुत थोडी सफलता प्राप्त की है। इतने लम्बे समय के बाद भी आपने बहुत थोडी सफलता प्राप्त की। इसका एक मात्र कारण यह है कि कुओं के द्वारा सिंचित होने वाली सिंचाई-व्यवस्था की ओर आपने ध्यान नहीं दिया जिसको आज आपने महसूस किया है।

छोटी योजनाओं की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह है कि सिंचाई

(श्री दोलतराम सारण)

का क्षेत्र बढ नहीं सका । फिर ऐसे बान्ध निर्मित किये गये जिसका कैचमेन्ट एरिया और कमांड एरिया तो बता दिया स्कीम स्वीकृति के लिये परन्तु वह पानी से भरा है, पर सिंचाई के काम नहीं आता । उनके नीचे सिंचाई योग्य भूमि जितनी बताई थी, उसे छोड़ उसके चौथे हिस्से में भी सिंचाई नहीं होती । ऐसे अनेकों बान्ध हैं । इस सिंचाई के पैसे का सदुपयोग नहीं हो सका । यह भी सिंचाई कम होने का एक कारण है ।

अगर इन बान्धों के निर्माण में राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं लेते, टैकनिकल दृष्टिकोण अपनाया जाता तो इसका लाभ मिल सकता था । पर राजनैतिक प्रभाव से सब बातें कराई गई । ऐसे उदाहरण भी मेरे पास मौजूद हैं । लेकिन उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता । समय नहीं है ।

कृषि योग्य भूमि राजस्थान में, जैसा मैंने निवेदन किया, काश्त में बढ़ा । पर उत्पादन में हमें क्या सफलता मिली यह बताता हूं । 50-51 में खाद्यान्न की पैदावार 29 लाख टन थी जब कि 65-66 में 44 लाख 69 हजार टन हो गयी । मैं निवेदन करूं कि यह आपको कारीगरी नहीं है । इसमें आपकी कोई सफलता नहीं है । इसलिये नहीं कि राजस्थान की जो पैदा वार बढ़ी है उसमें सबसे बडा हाथ है नौतोड भूमि का । जिस समय राजस्थान बना उस समय राजस्थान में जो कृषि योग्य भूमि काश्त में थी वह 1 करोड 19 लाख एकड थी लेकिन इसके बाद आज राजस्थान में 3 करोड 42 लाख के लगभग काश्त में कृषि योग्य भूमि हो गई है । जहां एक करोड 19 लाख में 29 लाख टन पैदावार होती थी, वहां 3.42 लाख में 44 लाख 69 हजार टन हो गई तो इसमें आपने क्या किया ? कृषि योग्य भूमि काश्त में दो गुना से जहां ज्यादा बढी वहां पैदावार भी उसी अनुपात से थोडी बढी । अब नौतोड भूमि होती है तो किसान जानता है कि दो-तीन वर्षों तक शुरू में ज्यादा पैदावार होती है उसमें । इसलिये नोतोड भूमि ज्यादा बढने से यह पैदावार बढी है । अगर आपकी सफलता होती तो वह पैदावार फिर घटती नहीं । उसका क्रम टूटता नहीं। पर सफलता जहां होती है वहां तो गौरवपूर्ण शब्दों में उसका बखान कर देते हैं पर जहां असफलता होती है वहां यह चेष्टा करते हैं कि अकाल पड गया, अनावृष्टि हो गई, जनसंख्या बढ गई । ऐसे दो तीन मुद्दे हैं जो फौरन प्रस्तुत कर देते हैं और इस तरह से आप अपने आपको सन्तुष्ट करके दूसरों को सन्तुष्ट करना चाहते हैं ।

पर कोई भी समझदार इस दलील से सन्तुष्ट नहीं हो सकता । अगर प्राकृतिक कारण ही से यह सब हैं तो फिर आपको योजनाओं का जो मकसद है वह फेल हो जाता है । योजनाओं का मतलब ही है कि हम कुछ ऐसे आधार तैयार करें जिससे उत्पादन की लगातार सम्भावनाएं बढती जावें यहां पर आपने अपने भाषणों में भी व्यक्त किया है । पर हमारी योजनाएं तो ऐसी हैं कि वे दिन प्रतिदिन इधर से उधर खिसकती जाती हैं और इस वर्ष के बजट में तो कोई योजना है ही नहीं । आपने तोड-मरोड कर प्रावधान किया है पर उससे तो चालू कार्यों को भी चालू नहीं रख सकते । नये कार्यों को हाथ में लेने का तो प्रश्न ही नहीं है ।

(श्री दौलतराम सारण)

समयाभाव से मैं केवल उत्पादन और वितरण के मुद्दे को ही लेना चाहता हूं। वैसे मसाला तो कहने को बहुत है। आप कह सकते हैं कि इतने बडे क्षेत्र में अकाल पडा। ठीक, मानता हूं। पर अकाल रोकने के लिये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिये आपने इन बीस वर्षों में क्या प्रबन्ध किया? अकाल तो यहां पडते आये हैं। राजस्थान के लोग तो देखते आये हैं, कहते आए हैं-शताब्दी का विवरण देते हुए:—

"सात काल सत्ताइस मांजरा, तिरहेसठ कोर मान,
तीन काल इस्या पडे मावां मिलै नें वच्च।"

राजस्थान के लोग तो सदियों से कहते आये हैं :—

"ग पूंगल धड मेडता, बाहू बाहडमेर।
घिरतो फिरतो बीकपुर, ठावो जैसलमेर।"

अकाल तो आते हैं पर तब भी जैसलमेर से आगे नहीं बढते थे। पर आज तो वह चलते चलते आपके जमाने में बाडमेर, जालोर और उदयपुर बांसवाडा तक पहुंच गया है। वहां तक जा घुसा है। आज अकाल-का क्षेत्र बढ रहा है। अनावृष्टि और अकाल बढ रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह किन पापों का फल हो सकता है। कुदरत की कोप-दृष्टि हो सकती है। लेकिन यह सही बात है कि अकाल बढ रहा है। अगर आप सावधान रहते अकाल के के क्षेत्र को सीमित करने की, संकुचित करने की चेष्टा करते तो इन बीस वर्षों में ऐसे स्थायी आधार ढूंढ सकते थे जिससे अकाल की सीमा कम होजाती। संकट कम आते। पर आपने इसके लिये कोई चेष्टा नहीं की। पांच, दस, ग्यारह पन्द्रह करोड रुपया खर्च हो जाता है। एक बरस अकाल आता है खर्च कर देते हैं और फिर चुप। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। पीने का पानी नहीं। जहां 74 व्यक्ति पर वर्ग मील पर बसते हैं वहां पीने के पानी का प्रबन्ध आप नहीं कर सके। करोडों एकड भूमि पडत पडी है उस जमीन का कोई उपयोग आज तक नहीं ले सके। आपकी नीतियां ऐसी हैं जिनके कारण जमीन इस्तैमाल की नहीं जा सकती।

राजस्थान कैनाल में लाखों एकड जमीन पडी है। कृषि योग्य है। भाखरा में है। लाखों मन अनाज इसमें पैदा हो सकता है। पर आप की एलॉटमेन्ट की नीति ठीक नहीं। नियम ऐसे नहीं कि जिससे किसान ठीक तरह से से उसको ले सके और उत्पादन कर सके।

आप एलाटमेन्ट करते हैं नीलामी के द्वारा करते हैं। गरीब किसान नीलामी में नहीं ठहर सकता। परिणाम यह होता है, बडे बडे लोग सैकडों बीघा जमीन ले लेते हैं और खेती करते हैं और उसमें से ज्यादातर खाली पडी रह जाती है।

इस तरह से जमीन बहुत बेकार पडी है। पर भूमिहीन गरीब किसान मारा-मारा फिरता है। सरकार को तो पैसा चाहिये। मैं मानता हूं पैसे का भी स्थान है। पर इस तरह से मुनाफाखोरी की नीति से पैसा नहीं आता। निश्चित नीति और निश्चित कार्यक्रम से ही आ सकता है। इस तरह बटोरने से पैसा नहीं आता। फिर राज्य का पैसा बटोरने का ध्येय भी तो नहीं हो सकता। राज्य का ध्येय, लोक-कल्याणकारी राज्य का ध्येय जनता का हित होता है। इसलिये आपके सामने खाद्यान्न के हल का प्रश्न है। आप महसूस करते हैं कि

(श्री दौलतराम सारण)

यह राष्ट्रीय सवाल ह । सबको इसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये तो आपको भी इसको अपने संकुचित स्वार्थ की दृष्टि से नहीं सोचकर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखना चाहिये । आज भाखरा में और राजस्थान नहर की भूमि एलॉटमेन्ट क संबंध में, कॉलोनाइजेशन की पॉलिसी के संबंध में आपको निश्चित रूप से जल्दी फैसला करना चाहिए लेकिनआप फैसला नहीं कर रहे हैं और उससे देश को और राजस्थान को बहुत बडा नुकसान हो रहा है । आज इतने वर्षों से कॉलोनाइजेशन का एक्ट लागू है लेकिन आज तक लोगों को बसाने के लिए जमीन नहीं मिलती, इधर शासन के पास पैसा नहीं आता **जमीन का घाटा और लाखों रुपयों का घाटा** इसलिए हुआ है कि आपका विभाग नियम नहीं बना सका, आपका विभाग निर्णय नहीं ले सका । इसलिए आपको लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। वह कमी पडी है आपके बजट में।

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप वाकई इस प्रश्न के लिए महसूस करते हैं कि यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न ह और इसको ऐसा मानते हैं तो आप इस लेण्ड एलॉटमेन्ट की पालिसी को और कॉलोनाइजेशन को पालिसी को ठीक तरह से देखें। अगर थोडा सा पानी आ जाता है और थोडी उस एरिया में नहर पहुंच जाती है तो आपकी बैटरमेन्ट लेवी चार्जेज शुरू हो जाती हैं । आप कहते हैं कि जमीन का बैटरमेन्ट हो गया। सदियों से जो लोग प्रकृति की प्रतिकूलता को सहन करते आ रहे हैं और जो लोग जमीन को पालपोस रहे हैं वह लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा राज्य आयेगा और हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। जब आजादी आई तो उनको क्या मिला है ? वह सदियों से रहने वाले भूमि से महरूम हो रहे हैं और उनकी जगह लोगों को भूमि दी जा रही है । उनके ऊपर नियम लागू हो गए कि तुम्हें इसमें से ज्यादा जमीन नहीं मिल सकती, खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते । खातेदारी अधिकार क्यों नहीं मिल सकते, इसलिए नहीं मिल सकते कि तुम कॉलोनी के एरिया में आ गए, राजस्थान नहर के क्षेत्र में आ गए और राजस्थान के क्षेत्र में आ गये, नहर के क्षेत्र में आ गये इसलिए खातेदारी हकूक प्राप्त नहीं कर सकते । उनको पहले खातेदारी के अधिकार जागीरदारों ने नहीं दिये और अब राजस्थान सरकार नहीं देना चाहती है। हाईकोर्ट तक लडने के बाद, और वहां से जीतने के बाद भी वहां का किसान खातेदार नहीं बन सकता । क्या आप सोचते हैं कि वह शान्त चित्त होकर पूरी मेहनत करेगा ? कहां करेगा ? जमीन नहीं, पानी नहीं आता नहर हो गयी लेकिन टेल तक पानी तो जाना दूर रहा आम नहर में भी पानी नहीं और वाटरिंग नहीं होता और फिर भी पूरे वाटरिंग चार्जेज लागू हो रहे हैं। उसके बाद भी संतोष नहीं उसके बाद में पानी का रेट बढा रहे हैं। आपने चुनावों से पहले 5 रु. खाद्यान्न के अलावा फसलों पर मतलब कमर्शियल क्राप्स के ऊपर 5 रु. प्रति एकड रेट बढाई थी लेकिन चुनाव के कारण वोट लेने के लिए वोटों में कोई कमी नजर आई तो वह लागू नहीं किये और अब आप उसको लागू करना चाहते हैं। एक तरफ वह 5 रु. एकड लेना चाहते हैं उससे भी आपको संतोष नहीं हुआ, दूसरी तरफ 25 परसेन्ट आपने फिर वाटर रेट बढाई

(श्री दौलतराम सारण)

और तीसरी तरफ उससे भी संतोष नहीं हुआ वह किसान जो अपने जानवरों को अपने घरों में पालता है, उनके साथ मेहनत करता है और अपना इनवेस्टमेन्ट करता है उस जानवर पर भी आपकी नजर चली गयी और उस पर भी सेल्स टैक्स। मेला टैक्स अलग है और सेल्स टैक्स अलग है। आपकी कोई नीति और आमदनी का सवाल नहीं है। आप केवल यह देखते हैं कि आपके खजाने में पैसा आना चाहिए—चाहे गरीबों की कमर टूटे, चाहे उसके पास रोजी-रोटी का साधन नहीं रहे, फिर भी आप टैक्स लगायेंगे। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं गत वर्ष पार्टी मीटिंग में जिस समय मैं भी कांग्रेस में था हमने मजबूर किया था सरकार को कि यह टैक्स विद्ड्रा करने के लिए लेकिन आज फिर नये रास्ते से वह टैक्स ले रहे हैं। इसलिए आप भी इस मामले को देखिये। इससे आपके खजाने में कुछ लाखों रुपये की बात है पर यह दूसरी तरफ नहीं देखते कि किसान को कितनी बडी हानि होगी और किस तरह से उत्पादन को सेट-बेक मिलेगा। आप यह नहीं सोच रहे हैं कि इससे किसानों को निराशा होगी और असंतोष बढ़ेगा और आपके प्रति रोष और क्षोभ पैदा होगा और उत्पादन की दिशा में आपको किसानों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप इस पर पुनः विचार कीजिए। यह उचित और व्यवहारिक प्रश्न नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की पार्टी मीटिंग में तय करके शहरों में जो खाली प्लाट्स पड़े हैं, जो लोगों ने प्लाट्स खरीदकर छोड़े हुए हैं और जो लोग अन-उत्पादक का इनवेस्टमेन्ट करते हैं उन लोगों के ही प्लाट्स के ऊपर टैक्स लगाया था खाली जमीनों के पट्टों पर और दूसरा टैक्स लगाया था जमीनों के तबादले पर लेकिन दोनों टैक्स आपने लागू नहीं किये। ये 20 लाख रुपये के करीब टैक्स देने वाले थे वह लागू ही नहीं हुआ और 20 लाख रुपये का घाटा बजट में हो गया। दूसरी तरफ आप चेष्टा करते हैं आप गरीबों से लें।

आपने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है कि योजनाओं के द्वारा हमने सिचाई पर बहुत खर्च किया है, हमने दूसरे कामों पर खर्च किया है उसका लाभ जिन लोगों को मिल रहा है उन लोगों से हम कुछ भी न लें तो यह न्याय नहीं है। न्याय की परिभाषा आपने बडी अच्छी की है। जिनके पास अन्न नहीं, जो देश का मेरुदण्ड है, जो देश का अर्थ-व्यवस्था का आधार है उस तरफ तो आपका इतना ध्यान गया उनसे लेने को, ये ही दूसरी तरफ जो कुल राज्य की आय का 43 से 50 परसेन्ट देते हैं उसकी तरफ तो आपकी इतनी कडी नजर है, उसकी उन्नति से आप इतने बेचैन हैं और दूसरी तरफ जो 1 और कुछ परसेन्ट देते हैं उनकी तरफ आप बड़े मेहरबान हैं।

औद्योगीकरण के नाम पर मालिकों को उत्साह देने के लिए पूरे के पूरे राज्य का पैसा रहमदिली से दे रहे हैं और कहीं औद्योगीकरण के नाम पर लाखों रुपया मामूली ब्याज पर लोगों को किश्तों पर दे रहे हैं और बकाया की वसूली नहीं कर रहे हैं, और कई उद्योगों को आप राजकीय उद्योग में ले रहे हैं, और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि यह लाभ का धंधा नहीं है। आप एक्सपर्ट्स बैठा रहे हैं उनका निर्णय आयेगा तब फैसला देंगे। यह सब अदूरदर्शितापूर्ण है। वह इस

(श्री दौलतराम सारण)

लिए है कि आपको अपनी नीतियों पर भरोसा नहीं है, आप बीच-बीच में झूलते हैं। कभी आप इसको राजी करते हैं और कभी उसको राजी करते हैं। बीच-बचाव का रास्ता लेकर चलने वाले कभी राष्ट्रहित का काम नहीं कर सकते।

एक तरफ आप स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं, एक तरफ आप कोआपरेटिव मूवमेन्ट की बात करते हैं, कभी आप राजकीय उद्योगों की बात करते हैं, एक तरफ प्राईवेट उद्योगों को भी खुली छूट देने की बात करते हैं। आखिर क्या आपकी नीति है ? समझ में नहीं आता कि कोआपरेटिव का और खाद्य-निगम का कम्पीटीशन चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको कोओपरेटिव के ऊपर भरोसा नहीं है कोआपरेटिव की मार्फत आप डिस्ट्रिब्यूशन और लेनदेन नहीं मानते। आपके पास डिस्ट्रिब्यूशन का काम है। आपका कन्ट्रोल का माल है उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी प्राईवेट लोगों के मार्फत किया जाता है। यह इसका प्रमाण है कि आपको अपनी नीतियों के ऊपर विश्वास नहीं है। कभी ऐसी बात नजर नहीं आती जिसको लेकर हम अन्दाजा लगायें कि आप कहीं तो टिकते हैं।

आप कहते हैं कि हम हरिजनों का बडा कल्याण करना चाहते हैं। आदिवासियों और पिछडे वर्ग को ऊंचा उठाने की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। क्या यह सब करना चाहते हैं कुछ लाख रुपया उनकी तरफ रखकर ? एक तरफ ड्राई-डे मनाते हैं 29 नवम्बर को और दूसरी तरफ हरिजनों को छूट देते हैं दारू पीने की और उनके मोहल्ले में दारू का ठेका खोलते हैं। आप कहते हैं कि हम धीरे-धीरे नशाबन्दी करेंगे और टेकचन्द कमेटी के रिपोर्ट पर अमल करेंगे और दूसरी तरफ जीपों में रखकर गांव गांव दारू पहुंचाते हैं, और कहते हैं कि पीओ और गमों को भुलाओ। समाज के कल्याण के लिए 8॥ करोड रुपये आप दारू से लेना चाहते हैं। दारू पिला कर मदहोश करके गरीबों की जेबों से 8॥ करोड रुपया लेना चाहते हो अगर आपकी कल्याणकारी नीति है तो आपको चाहिए, अगर आप वाकई उत्पादन बढाना चाहते हैं, अगर वाकई आप लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत बने तो आपको निश्चित नीति अपना कर चलना पडेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप अपनी नीतियों पर टिकते नहीं हैं। आपकी नशाबन्दी की नीति है, लेकिन आप नशे का बराबर प्रसार करते हैं। जब से आप शासन में आये हैं तब से नशा कितना गुना बढ गया है यह आपके आंकडे बताते हैं। दूसरी तरफ उत्पादन के मामले में आपका कोई निश्चित आधार नहीं है। जिस खेती की वजह से, जिस पशुपालन के धन्धे की वजह से राज्य को आमदनी होती है, उस धन्धे को उद्योगों की श्रेणी में नहीं मानते। मुर्गी-पालन आपकी इण्डस्ट्री है अण्डे देने की लेकिन दूध देने वाली गाय इण्डस्ट्री में शामिल नहीं है। अगर कोई बडा पैसे वाला यह बात करे कि डेयरी खोल ले और उसमें दूध से बनने वाले पदार्थ तैयार करने लगे तो फूड इन्डस्ट्री बन जाती है लेकिन किसान की गाय इण्डस्ट्री नहीं बन सकती। 80 प्रतिशत निरामिष राजस्थानियों के लिए गाय का कितना महत्व है, उनके लिए गाय कितनी महत्वपूर्ण जानवर है लेकिन वह इण्डस्ट्री की श्रेणी में नहीं आ सकती। भेड कैटल की सीमा के अन्दर नहीं

Page No.75

(श्रीदौलतराम सारण)

आ सकती। भेड किसी भी चरागाह में नहीं चर सकती। क्योंकि वह पशुओं की श्रेणी में नहीं आती इसलिए सरकारी चरागाहों में भेड नहीं चर सकती क्योंकि भेड पशुओं की श्रेणी में नहीं आती। इसलिए उसके लिए कोई चरागाह नहीं है। पशुओं के लिए चरागाह की व्यवस्था नहीं है और पशुओं के लिए इनको उद्योग मान कर और दूसरी बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी इनके लिए नहीं हैं जिससे कि कुछ इस काम के लिए पैसा वगैरह देकर इस धन्धे को प्रोत्साहन दिया जा सके, इसकी व्यवस्था नहीं है। आप पैसा नहीं दे सकते। माना कि जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही पैसा आप देंगे। लेकिन कम से कम दूसरे सोर्सेज हैं उनको तो अपनाने के लिए गवर्नमेन्ट मौका दे लेकिन वह भी मौका नहीं। इस तरह से कैसे काम चलेगा, मेरी समझ में नहीं आता है। आप दूसरे देशों को जिनको समाजवादी या साम्यवादी देश कहते हैं मैं उनकी बात नहीं कहता। उनकी बातों से आपको प्रेम है तो रहा करे क्योंकि आपको भी राजकीय उद्योगों में और समाजवादी समाज में विश्वास है। लेकिन जाने दीजिए कुछ लोगों को आप में से डर लगता है इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। आपके योजना मंत्री और वित्त मंत्रीजी समाजवाद के सिवाय बात ही नहीं करते। उनके हर वाक्य में समाजवाद का पुट रहता है लेकिन व्यवहार ठीक इससे उल्टा रहता है। बात करते हैं समाजवाद की और व्यवहार रहता है पूंजीवाद का। बात बघारेंगे समाजवाद की और व्यवहार करेंगे पूंजीपतियों का। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

(श्री मोहनलाल ने कुछ कहा जो अश्राव्य था)

आप क्या मुझ से कोई विशेष बात कहलाना चाहते हैं। मैं वह भी कह दूंगा। मैं गोली काण्ड की बात भी कह दूंगा। मेरे पास सब बातों की तैयारी है (व्यवधान अश्रव्य) अगर आप सुनना चाहें तो मैं सब बातें कह दूंगा। धैर्य रखिए और सारी बातें सुनिए।

श्री मोहनलाल (नोहर का थाना) : आज से तीन चार महिने पहले क्या हो गया था। आज ही नीतियों की बातें आ गई, पहले क्या हो गया था जब मिनिस्टर थे?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री दौलतराम सारण : आप मेहरबानी करिये जिस स्तर पर आप मुझे लाना चाहते हैं मैं उस स्तर से कुछ दूर रहना चाहता हूं, उससे दूर रह कर बोलना चाहता हूं लेकिन अगर आप की इच्छा है कि मैं उसी स्तर पर आकर बोलूं तो उसकी भी मेरे पास तैयारी है। मेरे पास जानकारी की कमी नहीं है।

श्री मोहनलाल : आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कहना चाह रहा था कि आप अपनी नीतियों पर अमल कीजिए। हम जो कुछ कहते हैं उसको आप चाहे न सुनें, आप चाहे न मानें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम जिसको आप स्वयं मान कर चलते हैं, जिसको आप घोषित करके चलते हैं, जिसको आप कह कर चलते हैं उसको तो मानिए। आपने कहा कि सीलिंग लागू करेंगे। किन्तु

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं, आठ वर्ष के बाद भी लागू नहीं। आठ वर्ष के अन्दर कितनी खरीद फरोख्त हुई है लेकिन उसको कानून ही नहीं मानता और उसका कसूर किसानों के जिम्मे। आपका अपना जिम्मा नहीं। आपने घोषित किया कि सीलिंग लागू करेंगे लेकिन अभी तक लागू नहीं कर सके और इसी बीच में करोड़ों रुपयों के ट्रांजेक्शन्स हो गये और आप कहते हैं कि कानून सहमत नहीं है। आज उसकी वैधता को स्वीकार नहीं करते। गल्ती आपकी और नाम नागरिकों का। इसी तरह से आवास भूमि की बात है। लोगों ने अपनी मजबूरी की वजह से, आवश्यकता की वजह से भूमि खरीदी लेकिन आप कहते हैं कि यह गलत है और फिर आप ही उसे रेगुलराईज करते जाते हैं और अवसर देते जाते हैं चोरी और सीना जोरी करने का। इस बार गली रख ली है आपने। पचास लाख रुपया कमायेंगे आप इससे। जो शहर के पास जमीन होगी उसको रेगुलराइज कर देंगे और इसके नए नियम लागू करेंगे। खैर इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन आज जो जमीनें हजार दो हजार रुपये बीघा की हैं और उन जमीनों को जब आप रेगुलराइज करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? वही जमीन पचास रुपये वर्ग गज, तीस रुपये वर्ग गज, बीस रुपये वर्ग गज के भाव से बिकेगी। करोड़ों की जमीन बन जायेगी जो आज हजारों की है। खैर यह तो आपकी मर्जी है, जैसी आपकी इच्छा हो करते जायं। मैं तो आपको राष्ट्रीयता की भावना से ही यह बात कहता हूं। जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी खड़े होते हैं अकाल के मामले में तो बार बार कहते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। मैं पूर्णतया सहमत हूं कि मानवीय दृष्टि से ही सोचना चाहिये अकाल के मामले में। लेकिन मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप भी कम से कम अकाल को राजनीति से दूर रखिए। कोटा में अकाल पड़ता है लेकिन कलेक्टर ने रिपोर्ट नहीं की। दो सौ गांव अभाव ग्रस्त हैं लेकिन उनमें इसलिये काम शुरू नहीं किया जा सकता क्योंकि कलेक्टर ने रिपोर्ट नहीं की। चूरू में अकाल पड़ा। पहले तो बहुत से क्षेत्रों को अकालग्रस्त ही नहीं माना गया। पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किए, जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया लेकिन कोई जांच नहीं, उसे अकालग्रस्त तक नहीं माना गया। फिर जब माना गया तो जो गांव ऐसे हैं जिनमें पिछले दो तीन सालों से अकाल है उनमें अकाल राहत कार्य ही शुरू नहीं किये गए। यहां पर आपका मानवीय दृष्टिकोण कहां गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? तीन चार साल से जो गांव अकाल ग्रस्त हैं क्या वहां पर काम की जरूरत नहीं है? मुझे आप जरा एक दो साल तो बिना काम के रह कर दिखाइए किस तरह से आपकी रोजी रोटी चलती है? आप बातें तो करते हैं मानवीय दृष्टिकोण की लेकिन आपके हर कार्य में राजनैतिक दृष्टिकोण है। आपके प्रशासन में राजनीति, उत्पादन के कार्यों में राजनीति, योजना में राजनीति और अकाल के कामों में भी राजनीति। मेहरबानी कर जरा अपना स्तर ऊंचा उठाइए। राजनैतिक गुटबन्दी को, घृणित पार्टीबाजी को हर मामले में मत लाइए, इससे देश का नुकसान होता है। आपकी पार्टी का नुकसान होता है। आज जिस कांग्रेस पर पहले लोग जान देते थे उसी

(श्री दौलतराम सारण)

कांग्रेस को गाली देते हैं। जिस कांग्रेस से लोग प्यार करते थे आज उसी कांग्रेस से लोग क्यों घृणा करते हैं ? क्योंकि आप मर्यादा लांघ कर काम करने लगे हैं इसी वजह से यह सारी बातें हो रही हैं। आपकी इन बातों का यह नतीजा हो रहा है कि आज पिछले दो चार सालों में ही 46 प्रतिशत सारे देश में भाव बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा आज से दो तीन महीने पहले गेहूं जिस भाव मिलता था उसमें आज तीस चालीस रुपया ज्यादा बढ़ गया है। कल क्या होगा, दो महीने के बाद क्या होगा। आप कहते हैं कि और ज्यादा संकट का समय आ रहा है। उस संकट से क्या होगा यह तो भगवान, ही जानें। यह संकट आप ला रहे हैं, और कोई नहीं ला रहा है। आज किसान कुआ बनाता है और अपनी मेहनत लगाता है उसमें, अपना श्रम लगाता है और जब आप री-सैटलमेंट करेंगे तो उस कुए की वजह से जमीन को चाही जमीन कर देते हैं और उसका लगान दूना चौगुना कर देते हैं। किस तरह से किसान को प्रेरणा मिलेगी ? दुनियां में चाहे, पूंजी-वादी हो या समाजवादी हो, किसी देश में लैंड रेवेन्यू नहीं है लेकिन आपके यहां कहीं आठ रुपया लेते हैं तो कहीं 17 रुपया लेते हैं। हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में इतना भू-राजस्व नहीं है सिवाय आसाम को छोड करके, जितना इस राजस्थान में है । कहीं उत्पादन की किस्म का सवाल नहीं है, कोई जमीन का सवाल नहीं है। मनमाने तरीके से लगान लगा रहे हैं । अब आप इन पर सोचने के लिए तैयार हुए हैं और वह भी जब कि विरोधी पक्ष ने अपना 17 सूत्री कार्यक्रम रखा और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भू-राजस्व माफ कर देंगे तो उस भय के मारे, जनमत के प्रेशर से केवल कुछ छोटी जोतों पर लगान हटा दिया है और वह भी कितना ? केवल 75 लाख का लगान माफ किया है टोटल और दूसरी तरफ से किसान के पेट में छुरा मारा है यह सरचार्ज और अधिभार बढाने के नाम से और सिंचित भूमि पर कर लगाने के नाम से, पशु बिक्री कर लगा कर क्या ...

(3 म. प.)

आप उससे कई गुना रुपया निकालना चाहते हैं। जो आपने लगाया उससे कहीं अधिक पैसा उनसे वसूल होगा ।

इसी तरह आप एक तरफ तो कहते हैं कि राजस्थान जो है उसकी आधे से अधिक आमदनी का जरिया खेती और पशु है और जो राजस्थान का पशुधन है और वह हमारी सम्पत्ति है जिस तरह से भूमि है तो उस राजस्थान के पशु की जो हालत है उस पर आप उस तरह से गौर नहीं करते हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। केवल कुछ विभाग खोलकर, कुछ लोगों को एम्प्लायमेन्ट देकर पशुओं की नस्ल नहीं सुधारी जा सकती है आप केवल कुछ लोगों को नौकरियां देकर किसानों के इस रोजगार को नहीं सुधार सकते हैं। आज किसान अपनी मेहनत से और सूझ-बूझ से करता है उसको भी आप माफ नहीं करते हैं। उस पर भी आपने 5 प्रतिशत सेल्स टैक्स लगा दिया है । उससे भी आप लेने की चेष्टा करते हैं तो उन गरीबों पर क्या

(श्री दौलतराम सारण)

गुजरेगी इसका आपको कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जिस इलाके की जनता केवल पशुओं पर निर्भर करती है और जहां पर 3-4 वर्ष में एक बार फसल होती है उस इलाके के लोगों पर भी आपको दया नहीं आती। उन लोगों की तरफ भी आप नहीं देखते हैं जिनके मुख्य रोजगार का आधार पशु-पालन है। उन लोगों के प्रति आप कितने उदार हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो अच्छी भेड़ हैं वह हमारे यहां हैं और जो भेड़ की सबसे बड़ी सम्पत्ति है ऊन, वह भेड़ 46 प्रतिशत ऊन हिन्दुस्तान को कुल ऊन देती है और हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी क्वालिटी की भेड़ें आपके यहां हैं उस भेड़ को भी आपने माफ नहीं किया। बकरी को भी माफ नहीं किया। उस पर भी टैक्स लगा दिया। उसको आप चरागाह नहीं देना चाहते और देने के लिए आपके पास साधन नहीं हैं। आप से साधन मांगते हैं तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। साधनों के बिना अपने साधनों से, जनता अपने साधनों से काम करती है तो उसको आप सफलतापूर्वक करने नहीं देना चाहते। उसके मार्ग में आप बाधाएं पैदा करते हैं, दखल करते हैं, उनको निरुत्साहित करते हैं, उनको प्रेरणा नहीं देते हैं। बजट का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जनता को प्रेरणा दे आर्थिक दृष्टि से। बजट पार्टी या शासक दल का दर्पण होता है, लेकिन आपका बजट वह बिल्कुल आपकी नीतियों के विपरीत है, आपकी जो घोषित नीतियां हैं उन नीतियों के विपरीत है कोई प्रेरणादायक चीज यह नहीं प्रस्तुत करता है। इस बजटमें गरीबों को प्रोत्साहन देने की बात नहीं है। आवास की ही समस्या को ले लीजिये। आपने कहा कि हम पिछड़े वर्ग की आवास समस्या की ओर ध्यान देंगे तो 20 वर्ष तक आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया और अब देंगे? हमें खुशी होगी कि अब भी आप ध्यान देंगे तो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ध्यान नहीं देंगे। वे प्लाट जो उनके नाम पर होंगे उनके नाम से एलाट करके दूसरों के नाम हो जायेंगे जिस तरह कि आज भी कई प्लाट बड़े बड़े लोगों के नाम हो गये हैं। गरीबों के आवास की समस्या के लिए आपका कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं है। आज अगर गरीब मांगता है जमीन बसने के लिए तो उसे नहीं मिल सकती है और खरीदने की उस की हैसियत नहीं है। व मकान के लिए आप से सहायता मांगे तो आप मकान के लिए उनको सहायता नहीं दे सकते। गरीब कोई रोजगार चाहे और कोई होशियार आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो ट्रेन्ड आदमी हो, टैक्निकल हैण्ड आदमी हो, और स्वतन्त्र रूप से रोजगार करना चाहे तो उसको आपसे सहायता नहीं मिल सकती। जब तक कि आपके नियम के अनुसार किसी के पास धन नहीं होता है, सम्पत्ति नहीं होती है तब तक उसको आपके पास से पैसा नहीं मिल सकता है, इस देश के नागरिक को। जितने जिसके पास साधन ज्यादा हैं उतना ही वह ज्यादा आपसे ले सकता है। इसलिए आपकी नीतियों का परिणाम यह आया, आपकी योजनाओं का परिणाम यह कि पैसे वाले अधिक पैसे वाले बनें और गरीब अधिक गरीब बनें, क्योंकि गरीब कोई सहायता नहीं ले सकता। वह उसकी क्षमता के बाहर की बात है। आपके शासन के अनुसार कोई गरीब आदमी ऋण लेना चाहे तो नहीं ले सकता क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और

Page No.79

(श्री दौलतराम सारण)

आर्थिक दृष्टि से उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वह आपसे ऋण ले सके। आपके यहां भूमि बन्धक बैंकों की संख्या बढ़ी है। आप कुओं के लिए ऋण देने की बात करते हैं कि आधा वे लगायें, तो उनकी हैसियत नहीं है। बीज खरीदने के लिए देते हैं तो उसकी बहुत ऊंची कीमत पर आप देते हैं। "संकर बीज बोओ" इसका आपने सारे राजस्थान में हल्ला कर दिया लेकिन बीज मांगते हैं तो है नहीं। कहां से दें? इससे अच्छा तो यह है कि जितना आपके पास हो उतना ही करें। आपने जखराने के बाजरे के लिए प्रचार किया तो जखराने में इतना बाजरा नहीं होता है पूरे गांव में भी और आप जखराने के नाम का बाजरे का बीज देते हैं तो यह कहां से आता है। लेकिन मार्केटिंग बीज के नाम से होता है आपको कुछ ढंग अपनाने चाहिएं लोगों को राहत देने के लिए। पहले तो आपको यही दृष्टि कोण बदलना चाहिए कि आप लेने की क्षमता के आधार पर देने की बात करें। अगर किसी तरह की तकावी दी जाय तो किसान को जाकर दी जाय। शासन की तरफ से अगर खाद और बीज दिया जाय तो किसानों में जाकर दिया जाय। शासन की तरफ से जो भी सहूलियतें या सुविधाएं दी जाती हैं तो वे किसानों में जाकर दी जाय, लेकिन यहां तो लिये जाने का प्रावधान है, दिये जाने का प्रावधान नहीं है। यहां तो वह लेता है जिसकी जितनी क्षमता है। न्याय किसी को लेना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जाने की क्षमता हो तो उसको मिलता है और श्री मूलचन्द डागा जैसे वकील चाहिएं उसको न्याय मिलता है। न्याय दुर्लभ है सस्ता नहीं है। सब जगह लेने से मिलता है और देने का यहां पर प्रावधान नहीं है। इस लिए सारी नीतियों को ओवरहाल करने की जरूरत है। समूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर आप चाहें वाकई आप जिस जनता के प्रतिनिधि हैं उस जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे तो हमें चाहिए कि हम जनता की भावनाओं, उसकी इच्छाओं और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सोचने की बात सीखें और उसकी आवश्यकताओं को जितने हमारे साधन हों यह मैं नहीं कहता कि एक दिन में सारे कष्टों को दूर कर दें मैं यह नहीं मानता कि एक दिन में ही सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, लेकिन जितने साधन हैं जितनी क्षमता है, जितनी हैसियत है उसके मुताबिक तो काम करें। आप शक्ति और साधनों को छितराइये मत जगह जगह। आपने सारे साधनों को जगह जगह छितरा दिया है उसका नतीजा यह हुआ कि हम किसी भी क्षेत्र में कोई परिणाम नहीं निकाल सके। इसलिए मेरा यह निवेदन है••

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि उत्पादन बढ़ाने के लिए••••

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चार मिनिट और चाहूंगा। मेरी पार्टी के मेम्बरों का समय काट लें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको और भी बहुत से

Page No.80

(श्री उपाध्यक्ष)
अवसर प्राप्त होंगे। कई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिए कृपा करके समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय इनको समाप्त कर लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बिरधीचन्द जैन

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, इनको समाप्त कर लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त कर दें।

श्री दौलतराम सारण: आपका हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं। मैं दो तीन मिनिट बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: जो अलग अलग दलों के नेता हैं उनसे मेरा खास तौर से निवेदन है कि जब नियम के अनुसार व्यवस्था दी जाती है कि अमुक समय पर समाप्त करेंगे तो मुझसे ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो उनको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दौलतराम सारण: मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो मैं दो तीन मिनिट में दे दूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करूंगा कि आप दो तीन मिनिट बोल कर समाप्त कर दें।

श्री दौलतराम सारण: इनसे शासन का लाभ हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन के बहुत से खर्चे हैं वे फिजूल के हैं और उनमें कटौती करनी चाहिए जो कि आसानी से की जा सकती हैं। और वे खर्चे ये हैं:—

(1) कुछ विभाग हैं जो बिना किसी कारण के पैदा किये गये थे, जैसे कि बोर्डर कमिश्नर का था और भी ऐसे कई विभाग हैं जिनकी जरूरत नहीं है। समाज कल्याण विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी सारी मदें हैं खर्चे की वे अलग अलग विभागों द्वारा खर्च की जाती हैं तो यह पैसा पंचायत समितियों या जिस विभाग से उसका सम्बन्ध हो उसके द्वारा दिया जाना चाहिए। इस विभाग को तोड़ दें तो इसकी बचत है वह समाज-कल्याण की और उपयोगी मदों में काम में ली जा सकती है। इसी तरह से यह फूड डिपार्टमेंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस फूड के मामले में कलैक्टर और सेक्रेटेरियट का डाइरेक्टली सम्बन्ध होना चाहिए।

इसी तरह से कम्युनिटी डवलपमेंट एण्ड पंचायत और लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट यह दो अलग अलग विभाग नहीं होकर एक होने चाहिए। इस वक्त कम्युनिटी डवलपमेंट और पंचायत तथा लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। दोनों विभाग से सम्बन्धित मुद्दे हैं उनको वह अलग अलग कम्पाईल करके अलग अलग सरक्यूलर्स वगैरह निकालते हैं। कम्युनिटी डवलपमेंट का अलग जाता है, पंचायत का अलग जाता है,

(श्री दौलतराम सारण)

लोकल सेल्फ का अलग जाता है, पशु पालन का अलग जाता है और भेड़ पालन का अलग जाता है। मेरे विचार में इस कम्युनिटी डवलपमेंट और पंचायत विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक फिजूल का डिपार्टमेंट है। इसलिए स्वायत्त शासन का एक विभाग होना चाहिए। ऐसा करके इसमें बहुत बड़ी कटौती की जा सकती है और बहुत बड़े बड़े आफिसर कम किये जा सकते हैं।

इसी तरह से जो पंचायत सर्विस कमीशन है, वह भी फालतू का डिपार्टमेंट है। इसके बजाय तो जिला प्रमुख और कलेक्टर की एक कमेटी बना देनी चाहिए और उस कमेटी के द्वारा ही सिलेक्शन का काम होना चाहिए। इस पंचायत सर्विस कमीशन का कोई उपयोग नहीं है, यह बिल्कुल फालतू का डिपार्टमेंट है।

इसी तरह से पंचायत समिति और तहसील को अलग अलग रखना गैर वाजिब है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिले तो इस काम को पंचायत के सुपुर्द कर देना चाहिए। आप लैण्ड रेवेन्यू तो माफ कर ही रहे हैं। जब तक इस सम्बन्ध में पूरा काम न हो जाय तब तक आपको पंचायतों को लैण्ड रेवेन्यू की वसूली करने का अधिकार दे देना चाहिए। इस मामले को सीमित करके खर्च में कटौती की जा सकती है। यह बिल्कुल फिजूल का विभाग है।

इसी तरह से और कई विभागों में आप कटौती कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कटौती के लिए ऊपर से देखिये। आपके सेक्रेटेरियट में बहुत कुछ कटौती कर सकते हैं। सेक्रेटेरियट में सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी है और फिर आफिस सुपरिटेंडेंट है। इतनी लंबी चौड़ी कड़ी नहीं रख कर केवल दो अधिकारी रहने चाहिए। आफिस सुपरिटेंडेन्ट के तुरन्त बाद में सेक्रेटरी होना चाहिए। बीच में जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं वह बिल्कुल फालतू की नोटिंग करते हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। मिनिस्टर, सेक्रेटरी और आफिस सुपरिटेंडेंट के सिवाय और जितनी कड़ी होती है वह फालतू होती है। वह केवल मेथड और आर्डर निकालने वाले होते हैं उनका कोई उपयोग नहीं है।

इसके अलावा सेक्रेटेरियेट में जो ठण्डक के लिये पैसा इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय थोड़ी सेक्रेटेरियट में गरमी रखें। वहां आज इतनी अधिक ठण्ड हो गई है कि न तो आपका हुक्म कलेक्टर मानता है और न एस. डी. ओ. मानता है। इसलिये थोड़ी गर्मी भी रखिये और ठण्डक कम रखिये।

इसी तरह से मिनिस्टरों के कूलर, हीटर और बहुत से आइटम हैं, वे बिल्कुल फिजूल हैं। इसमें रेफ्रीजेटर भी है। उनमें आप कटौती कीजिये और खर्च में कमी कीजिये, इससे दूसरे लोगों को भी पेट को पीठ से लगाने की प्रेरणा मिलेगी—यह मेरा निवेदन है। आप अब इससे कितनी प्रेरणा लेंगे यह तो मुझे पता नहीं है। आपका जो बिजली और पानी का खर्चा है उसके अन्दर बहुत बड़ी कटौती हो सकती है। मोटर के खर्चे में बहुत बड़ी कटौती की अपेक्षा की जा सकती है। आप अपने स्तर पर इस प्रकार कटौती करेंगे तो इससे आपके अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

श्री देवीदत्त (बारां) : मिनिस्टरों में भी कटौती करायें।

श्री दौलतराम सारण : मिनिस्टरों की संख्या में कटौती की बात मैं नहीं कहता। कई उम्मीदवार मेरे मित्र बैठे हैं, मैं उनकी शुभ कामना करता हूं।

तो इस प्रकार यह सब कटौतियां आपको करनी चाहिये। इसके अलावा मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं--जिस तरह मैंने तहसील और पंचायत समिति के एकीकरण की बात कही, उसी तरह मैं मानता हूं कि जिलों का पुनर्गठन होना चाहिये, तहसीलों का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिये और वह ब्लाक स्तर के हिसाब से करना चाहिये। जिलों के कारण जो खर्चा होता है उसको बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि ए., बी., सी--तीन क्लास के जिले हों। अभी तो जो छोटे छोटे जिले राजनैतिक कारणों से बनाये हुए हैं उनमें आर. ए. एस. कैडर के कलेक्टर रहने चाहियें, अगर आप उनको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो ऐसा करने से उनके खर्च में कमी होगी। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने बताया ए, बी, सी-- जिले बनायें तो सी में ए. डी. एम. कैडर का कोई सीनीयर आदमी होना चाहिये और बी में सीनियर आर. ए. एस. का कलेक्टर रखना चाहिये और ए में केवल आई. ए. एस. सीनियर ग्रेड का रखना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आपका जो मोटर गैराज है इसके बजाय गाडियां कार्मशियल बेसिस पर पूल को देनी चाहिये। इससे जो मोटर गैराज हैं उनके अन्दर इकानामी होगी। मेरा यह अनुमान है कि डिस्ट्रिक्ट पूल में अलग अलग विभागों में गाडियां लेने की प्रवृत्ति बढ रही है। यह फालतू खर्चा बढता है। इसलिये हर विभाग की गाडियां डिस्ट्रिक्ट पूल के अन्तर्गत करनी चाहिये, इससे गाडियों के ऊपर नियन्त्रण रहेगा और जो गाडियों का सिनेमा जाने में या व्यक्तिगत कार्यों के लिये इस्तेमाल होता है, जिससे खर्चा बढता है वह भी बचेगा। इसके अलावा मैं (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(व्यवधान)

आप मुझे डिस्टर्ब न करें। मुझे घण्टी से भी खतरा लग रहा है।

इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, जैसे जो कर हमसे आपने पास करवाये थे उनको आपने लागू नहीं किया है, आपके विभाग की और सरकार की सुस्ती के कारण वह कर लागू नहीं हुए हैं और लाखों रुपयों की कमी इस वजह से रह गई है। या तो ऐसे कर आप हमसे पास नहीं करायें और पास करायें तो उनको लागू करना चाहिये। अगर लागू नहीं करते हैं किसी न किसी बहाने से तो मैं इसे ब्रीच आफ ट्रस्ट मानता हूं। इसलिये आपको चाहिये कि भविष्य में इस तरह की गलती न की जाय।

एक माननीय सदस्य : नहीं करेंगे।

श्री भवानीसिंह बांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय · · · · ·

श्री दौलतराम सारण : इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द ! ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1967-68 का जो वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। तीन वर्षों से भयंकर अकाल राजस्थान के 26 जिलों में से 23 जिलों में है, और बाड़मेर जिले में भी भयंकर अकाल है। इस भयंकर अकाल से अपने वित्तीय साधनों पर बड़ा प्रहार पड़ा है। सन् 66-67 में इस अकाल के कारण सड़कों के निर्माण में 10 करोड़ 49 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो जब हम इस बजट के अन्दर देख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि हमारे जो वित्तीय साधन हैं, जो वित्तीय साधनों पर आघात पड़ा है इसे अकाल के कारण और जो महंगाई भत्ता हमने बढ़ाया है इन सबको देख कर हमें इस बजट पर गौर करना होगा। अगर राजस्थान का जो बजट पार्लियामेन्ट में पेश किया गया था उसमें तीन करोड़ का घाटा था और वास्तव में यह साढ़े छः करोड़ का घाटा था। इस घाटे को भी हमें मीट करना है। अगर साढ़े छः करोड़ के घाटे को हम मीट नहीं करें तो वास्तविक रूप में गवर्नमेंट अपना कर्त्तव्य अदा नहीं करती है। साढ़े छः करोड़ के घाटे की पूर्ति के लिए जो सुझाव वित्त मन्त्री जी ने रखे हैं उनके कुछ सुझावों को छोड़ कर दूसरे सुझावों का मैं समर्थन करता हूं। लक्जरी गुड्स पर जो टैक्सेज लगाये हैं वह लगाये जाने चाहिए क्योंकि उसका गरीब लोगों पर असर नहीं पड़ता है। कूलर पर और रेफ्रीजेटर पर जो कर लगाया है वह कर गरीबों पर नहीं पड़ता है। इसलिए इस कर का हमें स्वागत करना चाहिए। इस बजट में मुझे जो विशेष तौर पर उल्लेखनीय बात मिली वह यह है कि राजाओं को सुविधा बिजली और पानी की दी जा रही थी वह बन्द कर दी गई है, यद्यपि इससे तीन लाख रुपये की आय होती है...

श्री दौलतराम सारण: साठ लाख कहां गये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तीन लाख रुपये की आमदनी होती है परन्तु यह सेन्टीमेंटल है और समाजवाद की ओर ले जाने का संकेत है। इस कदम को उठाया जाना चाहिए था पन्द्रह साल पहले। मैं यह समझता हूं कि जो कदम गवर्नमेंट उठा रही है वह कदम बहुत धीमे उठा रही है लेकिन जो कदम उठाया गया है वह जरूरी है और उन कदमों की हमें सराहना करनी चाहिए और राजाओं को और सुविधा दी जा रही है मैं चाहता हूं कि उन सुविधाओं को खुशी से छोड़ देना चाहिए और जो कांग्रेस के साथी राजा प्रीवी पर्स उठाते हैं, अन्य सुविधा उठाते हैं। उनको खुशी के साथ में उन सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए.....

श्री भैरोंसिंह : नवाब साहब के लिए बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नवाब साहब से घोषणा करवायें जो मंत्रीमण्डल में बैठे हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : अगर वह नहीं करते हैं.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उनको मंत्रीमंडल से निकालें।

श्री वृद्धि चन्द जैन : जो मंत्री महोदय प्रीवी पर्स की सुविधा उठाते हैं और वह घोषणा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाजवाद को मानने वाले, नहीं हैं...

(हियर-हियर)

और वह कांग्रेस की नीतियों पर नहीं चलते हैं (हिअर-हिअर)

कैप्टिन ठाकुर श्री मदनसिंह : और कोई मारा नहीं गया, नवाब मारा गया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जो इधर बैठे हैं और जो उधर बैठे हुए हैं राजा महाराजा, जिनको सुविधायें मिलती हैं वह खुशी के साथ इनको छोड़ दें तो अच्छी चीज होगी अन्यथा कानून इसके बारे में जल्दी बनना चाहिए। इसके सम्बन्ध में एक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव भी पास किया था....

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर राजाओं की जगह ले रहे हैं वह भी छोड़ दें।

श्री वृद्धि चन्द जैन : और वह प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया गया है। इसको जल्दी कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अगर इस पर डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं और निर्णय जल्दी नहीं लेते हैं तो हम समाजवाद को वास्तविक रूप में नहीं मानते हैं। आपने जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ पर बीघोड़ी के बराबर सरचार्ज लगाया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। यह कोई गरीब आदमी पर कर का भार नहीं लगेगा। यह कर का भार बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े किसानों पर लगेगा जो तीस एकड़ से ज्यादा स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि रखते हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश गरीबी हालत में है तो ऐसी हालत में बड़े बड़े जमींदारों और बड़े बड़े किसानों को यह खर्चा वहन करना चाहिये अगर वे लोग इसको वहन नहीं करते हैं तो वे समाजवाद के उत्थान में अपना सहयोग नहीं देते हैं। इसलिये जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ पर आपने सरचार्ज बढ़ाने की तजवीज की है और बढ़ोतरी की है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और इसका हमें किसी भी तरफ से विरोध नहीं करना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस 30 स्टेन्डर्ड एकड़ पर सरचार्ज लगाने की ओर में सीलिंग बन्द किया जाता है और सीलिंग को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो यह गवर्नमेन्ट की बहुत बड़ी कमजोरी होगी। आज हम देखते हैं कि सीलिंग कानून को पास किये पांच साल हो गये हैं। जब आपने सीलिंग के कानून को पास किया है तो आपको उसको इम्पलीमेन्ट करना चाहिये। आप उसको अभी तक इम्पलीमेन्ट क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको इसको इम्पलीमेन्ट नहीं करना था तो आपने एक्ट को पहले पास क्यों किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत से किसानों के पास जमीन नहीं होने से उनके पास खाने को नहीं है। इसलिये आपको सीलिंग कानून को जिसको आपने पास कर दिया है उसको जल्दी इम्पलीमेन्ट करना चाहिये और अगर आप उसको इम्पलीमेन्ट नहीं करते हैं तो यह बहुत बड़ी भूल होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चाहे किसी के पास जमीन हो। सीलिंग को पूरी तरह से लागू करेंगे।

श्री वृद्धि चन्द जैन : मैं चाहता हूं कि जब हमने इस प्रकार का निर्णय किया है तो हमें उस पर अमल करना चाहिये। अगर हमें प्रजातन्त्र के युग में प्रगति करनी है, यदि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हम गरीबों की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें सीलिंग एक्ट को लागू करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो अब तक किसानों के पास जमीन नहीं है उनकी क्या हालत होगी। आप जानते हैं कि जिस किसान के पास जमीन नहीं है वह मजदूरी करके अपना पेट पालता है। उसको आज एक रुपया रोज की मजदूरी नहीं मिलती है और आपने सालाना आय जो बताई है प्रति व्यक्ति वह रु. 232) बताई है। मगर आज हम देखते हैं कि उस किसान की आय जिसके पास जमीन नहीं है 20) प्रति माह आती है। इस प्रकार की हमारे देश की स्थिति है। इसलिये जो बड़े बड़े किसान हैं और पूंजीपति हैं जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा भूमि रखते हैं, जो जागीरदार हैं, उनको त्याग करना चाहिये और सरकार को चाहिये कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेन्ट करें।

तीसरी चीज बजट में देखने को मिलती है वह जल प्रदाय योजना के लिये। आपने 30 लाख से 80 लाख का प्रावधान किया है। यह बहुत ही अच्छा कदम है पर मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो बोर्डर क्षेत्र है, जो सीमा का क्षेत्र है, अभी उसका प्रश्न आया था। उसमें इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए अभी तक जल के बारे में बहुत कम कार्य किया गया है। अभी हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध हुआ। मिलिटरी के पर्सनल्स थे, सर्वेन्ट्स थे, उन लोगों को पानी नहीं मिला और उन लोगों को मतीरे खा खा कर अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी।

श्री मदनसिंह : आपको यह भी सूचना है कि पाकिस्तान की तरफ से उधर नल लगे हुए थे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उधर भी इसी प्रकार की हालत होगी और हमारे तरफ भी इसी प्रकार की हालत थी। अगर पाकिस्तान में इसका प्रबन्ध नहीं हो और उन्नति नहीं हो तो उसका मतलब यह नहीं कि हम भी इसका प्रबन्ध नहीं करें। युद्ध के समय में बड़ी कठिनाई आती थी। एक एक दिन उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था। वे लोग मतीरों से अपनी प्यास बुझाते थे। यह स्थिति मैंने वहां पर देखी है और अभी तक भी सरकार सीमावर्ति क्षेत्र है, मुन्दरा, हरसाणी, शिव का क्षेत्र है वहां पर अभी भी कोई भी व्यवस्था नहीं और अभी भी बोरिंग से कुओं से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। यह देश की रक्षा का प्रश्न है, यह इस पार्टी या उस पार्टी का नहीं है। इसके लिए कुछ बोरिंग और ट्यूब वेल्स खुदे हैं उनको वर्किंग आर्डर में लाकर काम में लाना चाहिए और अगर पानी नहीं निकलता है तो उसकी सर्वे करा कर और बोरिंग कुएँ खुदवाने चाहिए और पानी की व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। मुन्दरा जैसा एक गांव जिसका बड़ा क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में जहां पानी पीने का साधन नहीं है उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। हम यह समझने लगें कि यह रेगिस्तान ही रहे और इसमें कोई घुस नहीं सकता है उसके लिए आपने देख लिया कि पिछली बार पाकिस्तान वालों ने काफी अपना हिस्सा कब्जे में कर लिया था और यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं थी।

तो यह इस प्रकार की नीति कि एक जिले को बिलकुल उपेक्षित रखना दूसरे जिले की तरक्की की ओर ज्यादा ध्यान देना यह न्यायसंगत नहीं है। विरोधी पार्टी के नेता कभी कभी कहते हैं पर मुझे यह देख कर बड़

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

दुःख होता है कि कोई चीज सही भी कही जाय तो उसकी हम कद्र नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि आज जिलों के बीच में बाड़मेर जिले को 20 वर्ष तक बिल्कुल उपेक्षित रखा गया। उदयपुर डिविजन को विकसित करने की ज्यादा कोशिश की गई। क्यों नहीं इस प्रकार के जिले को विकसित करने की कोशिश करते ? यह जिला तो सीमावर्ती क्षेत्र है। इससे हमारे देश की रक्षा होती है। अब वहां बोर्डर रोड्स का काम चला है, वह भी इस कारण हुआ कि पाकिस्तान-हिन्दुस्तान युद्ध के कारण वहां रोड्स का बनाना अनिवार्य हो गया। बोर्डर रोड्स के अलावा दूसरी रोड्स के लिए बाड़मेर जिले में 20 हजार रुपया रखा गया है। बोर्डर रोड्स के अलावा दूसरी सड़कें हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, उन दूसरी रोड्स के लिए 67-68 में 20 हजार रुपया रखा गया है। दूसरे जिलों में रोड्स के लिए जब आप इतना खर्च करते हैं तो यह तो सीमावर्ती जिला है यहां पर भी इन रोड्स के लिए खर्च करना चाहिए, पर इसके लिए बाड़मेर जिले में 20 हजार रुपया रखा गया है। इस प्रकार की घोर उपेक्षा की जाती है।

अकाल की भी यही हालत है। मैं कहता हूं उदयपुर जिले के लिए इतनी राशि खर्च की जाती है तो बाड़मेर जिले के लिए क्यों नहीं खर्च की जाती ? बाड़मेर जिले में भी भयंकर अकाल है, पर उसका ध्यान नहीं रखा जाता .....

एक माननीय सदस्य : आपने आंकड़े अच्छी तरह नहीं देखे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। मुझे पता है कि बाड़मेर जिले में क्या हुआ है, बांसवाड़ा में क्या हुआ है? सही स्थिति को मैं कभी नहीं छुपा सकता, यह मेरा दृष्टिकोण है और रहेगा। आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा।

मैं अक्सर देखता हूं कि बजट एलोकेशन किया जाता है। डिस्ट्रिक्टवाइज बजट एलोकेशन कभी सामने नहीं लाया जाता। मैंने तो पंचायत समिति, जिला परिषद् में कोशिश की डिस्ट्रिक्टवाइज एलोकेशन मंगाने की पर कभी भी गवर्नमेन्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्टवाइज बजट एलोकेशन नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि गत वर्ष पर केपिटा एक्सपेन्डीचर बाड़मेर में सब से कम है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कम है।

तो मैं कह रहा था कि डिस्ट्रिक्टवाइज एलोकेशन बजट और खर्चा है वह भी सदन के सामने रखना चाहिए ताकि एक दूसरे का कम्पेरिजन करके मालूम कर सकें कि अविकसित क्षेत्रों को विकसित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज यह हो रहा है कि अविकसित क्षेत्रों को विकसित नहीं कर रहे हैं और जो विकसित क्षेत्र हैं उनको और ज्यादा विकसित कर रहे हैं, यह अविकसित क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं है। हमें अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

इसमें जो दो टैक्सेज लगाये गये हैं उनका मैं विरोध करता हूं। एक तो सीमेन्ट पर टैक्स लगाया है, आज के समय में सीमेन्ट लग्जरी की वस्तु नहीं रह गई है। यह तो आज आम जरूरत की चीज हो गई है। कोई गरीब आदमी टांका बनाये, हमारे क्षेत्र में टांके

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
बनाते हैं तो उसके लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है । तो इस तरह आम लोगों के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता है । कृषि के कार्यों के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता होती है । कुए वगैरह के लिये सीमेंट की आवश्यकता होती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज सीमेंट आम लोगों के लिये बहुत ही आवश्यकता की चीज है । इस पर किसी भी सूरत मे टैक्स नहीं लगाना चाहिये । दूसरे टैक्सेशन का जो मैं विरोध कर रहा हूं वह है मेले में पशु-बिक्री पर टैक्सेशन, मेलों में पशु बिक्री पर टैक्सेशन, 5 परसेंट लगाया गया है, वह टैक्सेशन भी उचित नहीं है । मेरे जिले की स्थिति मैं देखता हूं कि जो लोग पशुपालन का धंधा करते हैं, उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति है । वे लोग अपने पशुओं को लेकर गुजरात में जाते हैं, दूर-दूर जाते हैं । वहां तीन वर्षों में दो अकाल पड़ते हैं । एक जमाना होता है । अकाल के वर्षों में वे लोग गुजरात जाते हैं । कई यू. पी. में जाते हैं, कई बम्बई में जाते हैं । अपने घरबार छोड़ कर अपने पशुधन को बचाने के लिये दूर दूर जाते हैं, और इस प्रकार उन्हें अपने मवेशियों को बचाने के लिये कितने मील पैदल जाना पड़ता है, कितनी यातनाओं को सहना पड़ता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से उन जानवरों को बचा पाते हैं, जब कि अकाल में हजारों जानवर मर जाते हैं । आज दिन बदिन यह हालत होती जा रही है कि उनके जानवरों के लिये कोई चरागाह की व्यवस्था नहीं है । अकाल में हजारों मवेशी मर जाते हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई लाभप्रद धंधा नहीं है । ठीक है कि उन्होंने इस धंधे को शुरू किया है और ज्यों-त्यों इसे चला रहे हैं । ऐसे धंधे पर आप टैक्स लगायेंगे तो यह उन गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा । मेले में आकर उन्हें कुछ कीमत मिल जाती है, वे मेले में आकर अपनी स्थिति को कुछ ठीक करना चाहते हैं, उसको भी आप ठीक नहीं करने देना चाहते, तो मैं इस टैक्स का घोर विरोध करता हूं । मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सीमेंट पर और मेले में पशु बिक्री पर टैक्स लगाया गया है उसे बन्द करना चाहिये । इन दोनों टैक्सेज को हटा लेना चाहिये ।

कुछ खर्चे हैं उनमें इकोनॉमी के बारे में बूंदी से आये हुए माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे हैं, जो इकोनॉमी के सुझाव रखे हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं ।

एक तो जीपों के पूल के बारे में सुझाव दिया । मैं प्रमुख, जिला परिषद् रहा हूं । मैंने देखा है कि पंचायत समितियों की जीपों का बहुत दुरुपयोग होता है । प्रधान इनका दुरुपयोग करते हैं, विकास अधिकारी इनका दुरुपयोग करते हैं, विकास अधिकारी एक्स्टेंशन ऑफिसर होंगे तो प्रधान इनके सर पर चढ जायेंगे और उस एक्स्टेंशन ऑफीसर की कभी परवाह नहीं करेंगे । यह मैं देख रहा हूं । इन जीप्स का बडा दुरुपयोग हो रहा है और जन-धन का बडा व्यय हो रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जीपें भी डिस्ट्रिक्ट पूल में रहनी चाहिये ।

दूसरा यह सुझाव दिया था कि डिप्टी सेक्रेटरी ? असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज की क्या जरूरत है ? बजट बनाया गया, माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट बनाया उसमें राय तो असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सेक्रेटरीज की लेते हैं, इन लोगों की राय लेते हैं तो ये लोग कभी भी अपनी कटौती नहीं करते। मैंने बराबर देखा है। अगर कटौती करेंगे तो या तो टीचर्स की कटौती करेंगे या चपरासियों की कटौती कर देते हैं पर असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज डिप्टी सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की कटौती नहीं करते, इनकी कटौती क्यों नहीं करते ? ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट राय दे और उस पर सेक्रेटरी निर्णय ले तो क्या उतना भी दिमाग नहीं रखते ? यह तरीका गलत है यह तरीका हमारे देश के लिये कभी भी अनुकूल नहीं। मैं तो कहता हूं कि मिनिस्टर 1500 रुपये प्राप्त करते हैं तो इन सेक्रेटरीज को 3 हजार देने की क्या आवश्यकता है ? चीफ सेक्रेटरी को 3 हजार, सेक्रेटरीज को 2500 देने की क्या आवश्यकता है। एक मास्टर दिन भर घोर परिश्रम करता है, उसको आप मामूली तनख्वाह देते हैं और ये लोग दो घंटे भी परिश्रम नहीं करते उनको तीन-तीन हजार, ढाई ढाई हजार रुपया देते हैं ....

श्री मदनसिंह : ये मंत्रियों से ज्यादा योग्य हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : मंत्री योग्य हैं तो अपन भी कम योग्य नहीं हैं। समाजवाद के ढांचे को कांग्रेस अपनाना चाहे तो भी ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। समाजवाद के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स हैं। इनके दिमाग में परिवर्तन करना होगा।

श्री मदनसिंह : पंचायत समितियों में सरपंच के पास भेज दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हम इसके बारे में सोचेंगे, गौर करेंगे। तो यह प्रश्न रह जाता कि इनमें इकोनॉमी करनी चाहिये।

फेमिन के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। हमारे इलाके में लगातार अकाल चल रहा है। अकाल राजस्थान के काफी इलाकों में छागया है पहले तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के इलाकों में ही अकाल पड़ता था पर अब तो राजस्थान के काफी इलाकों में अकाल छा गया है। तो अकाल से लोगों को राहत देने के लिये अकाल का मुकाबला करने के लिये हमें एक ठोस स्कीम बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार अकाल को रोकें, किस प्रकार उन इलाकों को खुशहाल बना सकें। यह ठीक है कि हमारे लोग मजबूत हैं, अकाल का मजबूती के साथ मुकाबला करते हैं। बिहार के अकाल से भी हमारे इलाके का अकाल गम्भीर है पर हम भीख मांगना नहीं चाहते। पर वहां के लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करें, इतनी यातनाएं सहें तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति तो होनी चाहिये।

यह बातें रखते हुए वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, सीमेंट के ऊपर कर लगाया उसके बारे में और पशुओं के मेले में पशुओं की बिक्री पर टैक्स लगाया गया है, इसके बारे में सुझाव रखा है। इन दोनों टैक्सेज को हटा कर आप एक ऐसा उदाहरण रखें कि समाजवाद दिन प्रतिदिन आगे बढ़े।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (श्री रामानन्द के खड़े होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, इनको कितना समय दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : 40 मिनट।

श्री खेतसिंह : यहां न्याय नहीं हो पा पार्टियों के हिसाब से आप समय बांटते तो

(श्री खेतसिंह)
सही होता । स्वतंत्र पार्टी के नेता को भी 40 मिनट । आप उनको 40 मिनट दें तो हमें ऐतराज नहीं क्योंकि उनकी फौज तो करीब 50 की है लेकिन रामानन्दजी को भी 40 मिनट जो अकेले ही नेता हैं और फौज का पता नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके दल के हिसाब से समय दिया गया है ।

श्री विजयसिंह : चाहे एक हैं चाहे अनेक, खेतसिंहजी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री पी. क. चौधरी : आधा समय तो कांग्रेस को देना चाहिए और आधा अपोजीशन को।

श्री उपाध्यक्ष : बराबर ध्यान रखते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : (सरकारी पक्ष से) हम तो आपको पूरा समय दे दें यदि आप इधर आ जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर कल से बहस हो रही है। बजट जब इस सदन के सामने रखा जाता है तो केवल आमदनी और खर्चे के हिसाब का लेखा जोखा ही नहीं होता बल्कि यह कहें कि वह सरकार की आर्थिक नीतियों का दर्पण होता है । मौजूदा बजट इन आम चुनावों के बाद पहला बजट है । पिछले वर्षों में सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं । इन चुनावों के बाद यह उम्मीद की जाती थी कि सरकार उन नीतियों पुनर्विचार चार करेगी और बजट के द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन का परिचय देगी, जिन नीतियों में सुधार की आवश्यकता है, उन नीतियों में सुधार करेगी और इस बजट के द्वारा जो हमारे प्रांत की आवश्यकताएं हैं उनका ठीक दिशा में प्रतिपादन करेगी । इस दृष्टिकोण से अगर हम इस बजट को देखें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस बजट में जो आवश्यकताएं हैं हमारे प्रांत की उनकी पूर्ति की दिशा में बिल्कुल कदम नहीं उठाया । यह बजट तो निराशाजनक इसलिए नहीं है कि मुझे कांग्रेस दल से बहुत बड़ी आशाएं नहीं थीं, बड़ी प्रोग्रेसिव नीतियां इस बजट के जरिए रख पायेंगे इस तरह की आशा लेकर मैं नहीं चलता था लेकिन यह मैं अवश्य कहूंगा कि राजस्थान की जनता की जो आवश्यकताएं हैं, आज जिस दलदल में हम फंसे हैं जिससे आज निकलने की आवश्यकता थी । अगर इस दृष्टि से बजट को देखा जाय तो मैं यह कहूंगा कि उन आशाओं को, उन जरूरतों को यह बजट बिल्कुल पूरा नहीं करता और इस रूप में यह बजट पूरा ही नहीं करता बल्कि उन समस्याओं को अधिक धूमिल और जटिल बना देगा । मैं इस बजट को जन विरोधी मानता हूं, जन शक्तियों के विपरीत मानता हूं । यद्यपि इसमें वित्त मंत्री महोदय ने कुछ सोचने की कोशिश की है परन्तु जिस दल में वह हैं उसकी झलक दीख पड़ती है कि वह उस परिधि से बाहर निकलने का साहस नहीं कर सकते । इस रूप में उसकी झलक होते हुए भी पुरानी जकड़बंदी से बाहर नहीं है ।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में हमारी प्रांत की आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है, उन बातों को दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता, परन्तु मुख्य रूप से वह चित्रण जो मंत्रीजी ने किया है, उनमें दो मुख्य बातें गिनी जा सकती हैं कि हमारी पैदावार का भारी संकट है, कृषि पैदावार

Page No.90

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को भी, औद्योगिक पैदावार को भी भारी कट है। खाद्यान्न की एक बहुत बडी समस्या हम महसूस कर रहे हैं, इसको हम हल करना चाहते हैं।

तीसरी समस्या जो इस आर्थिक स्थिति में नजर आती है, जिसको हल करना है, वह है मंहगाई की समस्या, मंहगाई का संकट। मंत्री महोदय ने कहा है कि सब मुख्य चीजों के भाव बढ गए हैं, उससे कई समस्याएं एडमिनिस्ट्रेशन की खडी हुई हैं, मंहगाई के प्रश्न खडे हुए हैं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन श्रृंखला के बदलने का सवाल पैदा हुआ है, लोगों की वास्तविक आमदनी कम होने का सवाल पैदा हुआ है, इसलिए यह तीसरा प्रश्न हमारे सामने है।

चौथी आर्थिक स्थिति की विशेषता है, जिसका मुकाबला करने की आवश्यकता थी, वह यह है कि इस दौरान में हमारे प्रांत की जो वार्षिक आय है, उसमें भारी गिरावट रही और इसलिए प्रगति होने में गिरावट रही और इसका जो परिणाम निकलता है, जो इकोनोमिक फैक्टर्स के आपरेशन के जो असर होते हैं, उनको मीट करने की आवश्यकता थी।

अंत में जो आर्थिक स्थिति का पहलू है कि जिस योजनाबद्ध विकास में हम चले जा रहे थे, जिस योजनाबद्ध विकास के जरिए हम राजस्थान की जनता, 2,10,00,000 जनता को आगे प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे, वह रास्ता अवरुद्ध हो गया।

इन 5 समस्याओं के दृष्टिकोण से, उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत थी ऐसे बजट की कि यह बजट अपने आप में आर्थिक नीतियों को प्रतिपादित करता, इस प्रकार की नीतियां इस सदन में रखते कि हमें इन पांचों समस्याओं का हल इसके अंदर मिल जाता। इस दृष्टिकोण से मैंने इस बजट को देखने की कोशिश की है। और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री महोदय ने जो उन्होंने जिक्र किया कृषि पैदावार के संकट का, जो उन्होंने जिक्र किया, औद्योगिक पैदावार के संकट का भी जो उन्होंने अपने इस बजट में चित्रण किया है, अपने बजट के प्रस्तावों के जरिए उसमें तालमेल बिठाया है, क्या वह इन समस्याओं को हल करने की दृष्टि से किया है ? मुझे ढूंढने पर पता नहीं लगा कि कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं वित्त मंत्री महोदय के जिससे कृषि उत्पादन के उस संकट से निकलकर आगे प्रोत्साहन मिले। जो कृषि और औद्योगिक पैदावार में अवरुद्धता आ गई, रुकावट आ गई है, कौनसा मद है, कौनसी नीति है, कौनसा प्रस्ताव है जिसके जरिए इसका हल दिखाई देता है ?

कृषि संकट आज देश के सारे संकट का बहुत बडा अंग है। हम उम्मीद करते थे कि वित मंत्री अगर वास्तव में कृषि पैदावार बढाने के लिए कोई प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रस्ताव रखेंगे जिससे कि किसानों को प्रेरणा मिलेगी लेकिन इस तरह का तो कोई प्रस्ताव मुझे देखने में नहीं मिला जिसे लैंड रिफार्म्स की बात या भूमि सुधार या भूमिहीनों को जमीन मिल जाय, इस प्रकार का जिक्र न राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और न ही वित्तमंत्री की ओर से कोई संकेत या जिक्र है। रेवेन्यू लाज कमीशन की सिफारिशें आ गई, प्लानिंग कमीशन की तरफ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से सिफारिशें आ गई। माननीय विरधीचन्दजी ने साजिश का जिक्र किया उसका जिक्र नहीं, राजाओं की लैंड रिजम्पशन के संबंध में 1963 में कानून पास किया गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा, उससे जो जमीन मिलती थी उससे बहुत सी आमदनी हो सकती थी। अभी तक राजाओं को सेल और मारगेज करने का स्टे आर्डर नहीं है। कानून के अन्दर कोई स्टे नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे नहीं है और अगर स्टे नहीं करेंगे तो हाथी निकल जायगा और पूंछ रह जायगी।

कृषि उत्पादन को जिन कदमों के जरिए मदद मिल सकती है उनका कोई संकेत नहीं। संकेत यह है कि इरिगेशन रेट्स 25 प्रतिशत बढ़ा दिये गये। मैं पूछना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि आपने जो कृषि के संकट की बात सदन में बताई तो क्या आपकी इस बात से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा या उसमें और रुकावट आयेगी? मैं समझता हूं कि इस तरह से कृषि उत्पादन के बारे में जो बातें आपने की हैं वे आपकी नीतियों के बिल्कुल विपरीत जाती हैं।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक औद्योगिक उत्पादन की बात है, पहले तो हमारे राजस्थानमें औद्योगिक उत्पादन है ही बहुत कम, औद्योगिक संस्थान हैं ही बहुत कम, और फिर जिस प्रकार की नीति आज राज्य सरकार चला रही है, और मौजूदा बजट में उससे आगे निकलने का कोई संकेत नहीं है, उससे औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकती। माननीय मंत्री महोदय केवल यह कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रकोप है तो इसे कहने से बच नहीं सकते। यह प्रकृति का प्रकोप कोई नई बात नहीं है, वह पुरानी बात है जैसा कि डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आप गम्भीरता से सोचें, आपकी फिनेंशल पालिसीज, आपकी आर्थिक नीतियां, यही हैं जो आज उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने देतीं। मिसाल के तौर पर हमारे राजस्थान में सभी जगह तेल उद्योग हैं, करीब करीब सभी जगह हैं, सरसों से तेल निकालने के उद्योग हैं। ये सब छोटे छोटे उद्योग हैं। हमारे इलाके में एक आध बड़ी मिल को छोड़ कर बाकी सब छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें लोगों के लाखों रुपये लगाये हुए हैं। कोल्हू और एक्सपेलर्स पर। अब सिवाय उस बड़ी मिल के बाकी सब बन्द पड़े हुए हैं। कारण क्या कि आपकी टैक्स की नीति है उसमें रा मेटीरियल सरसों के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन मिलता है और तेल निकालने में मार्जिन रहता ही नहीं है। मार्जिन अगर है तो मोनोपोलिस्टिक कन्सर्नस जिनकी फर्म्स कानपुर और कलकत्ता में हैं उनको है, बाकी जो साधारण कैपीटल लगाकर छोटे उद्योग चला रहे हैं वे मुकाबला नहीं कर सकते। मार्जिन नहीं होने की वजह से बन्द पड़े हुए हैं। सरसों बराबर एक्सपोर्ट होती रहेगी जैसा कि आपने दो रुपये सरसों के एक्सपोर्ट पर रखे हैं, इससे सरसों का एक्सपोर्ट होता रहेगा और आपके कारखाने बन्द रहेंगे। और भी कई मिसालें हैं जिनकी वजह से उद्योग नहीं पनपते। हमारे यहां सेरामिक्स इन्डस्ट्री है जहां बर्तन बनते हैं। उसको राजस्थान सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं देती। दूसरी जगह से बर्तन खरीदती है लेकिन राजस्थान के अन्दर ही जो इन्डस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन नहीं देती। उसके लिये तैयार नहीं है। हरियाना सरकार

Page No.92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हमारी इन्डस्ट्री से खरीद सकती है, पंजाब सरकार खरीद सकती है लेकिन खुद अपनी सरकार की सप्लाई लिस्ट में उसको जगह नहीं मिल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं उद्योगपतियों से हम लडते रहते हैं लेकिन यदि उद्योग नहीं होते तो मजदूरों को रोजगार कहा से मिलता ? तो आप सही तरह की नीतियां अपनायें ताकि उद्योग आगे बढ सकें। लेकिन जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उसमें इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है। ऐसा कोई संकेत देखने को नहीं मिला।

इस तरह से देखें कि आज जो अन्न की भयंकर समस्या है जैसा कि दो रोज से बहस भी चली थी तो उस समस्या को हल करने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री कोई प्रोवीजन ऐसा बता सकते हैं कि जिसमें ऐसा संकेत हो कि अब की बार हमने यह कदम उठाया है और आगे जाकर इस समस्या का हल कर पायेंगे, ऐसा कोई संकेत नहीं है। आप स्टेट ट्रेडिंग से कतराते हैं। आप स्टेट ट्रेडिंग का नाम तो दस साल से ले रहे हैं यह मैंने देखा है लेकिन उसके लिये पहले जो सिन्सीयरिटी थी वह आज देखने को नहीं मिलती। वह आधी भी नहीं दिखती। आप स्टेट ट्रेडिंग के नाम से अब तो बच कर निकलने की कोशिश करते हैं। आपने जो लेवी लगायी है उसके लिये कृषि मंत्रीजी ने साफ तौर से कह दिया है कि उनको इसमें विश्वास नहीं है लेकिन उनको मजबूरी से करना पडा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमें खाद्यान्न की समस्या को बहुत गंभीरता से हल करना है, इसमें चीप स्लोगन्स से काम नहीं होगा। जिसके पास मार्केटेबल सरप्लस है, वह लिया जाना चाहिये रिजनेबल कीमत पर लेना चाहिये। उनको आवश्यक चीजों की सप्लाई की जानी चाहिये। इसके बारे में माननीय मंत्रीजी अपने इस बजट में इस बात का प्रोवीजन रखते जिससे स्टेट ट्रेडिंग को आगे बढाया जा सके, बफर स्टॉक के लिये लोगों को प्रोत्साहन देकर माल इकट्ठा करते लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो आउट लुक है उससे यह जाहिर होता है कि आप इस बारे में सीरियस नहीं हैं। आप प्रोक्योरमेंट इफेक्टिवली करना नहीं चाहते, केवल दिखावे के लिये, नाम मात्र के लिये चालीस पचास हजार टन खर्चा है वह पी.एल. 480 के अन्तर्गत मांगने की तैयारी करें जो एक माह के लिये भी सारे प्रान्त के लिये पूरा न हो सके।

मैं नहीं चाहता किसानों का दमन किया जाय, किसानों की लूट की जाय। हमें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिये जिससे उनको प्रोडक्शन का बोनस दें। जैसा कि केरल की सरकार ने किया वहां के किसानों को प्रोडक्शन बोनस दिया। एक त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में कृषि मंत्री बैठे और वहां बोनस दिया और उसके कारण चार गुना प्रोक्योरमेन्ट हुआ, पैदावार बढाने के लिये बोनस दिया है उनको मदद दी है, उसका फल यह हुआ कि जितने अनाज का टारगेट रखा है उससे चार गुना अनाज वहां मिला। आप भी इस तरह के कदम उठाकर आगे बढ सकते हैं।

आज जहां इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढाने के लिये मुरारजी भाई उद्योगपतियों को इन्कम टैक्स की छूट देना चाहते हैं। बडे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बडे उद्योगपति टाटा, बिडला, डालमिया आदि को इन्कम टैक्स में छूट देकर उनको प्रोडक्शन बढाने की छूट देते हैं। जहां आप इनको छूट देकर प्रोत्साहन देना चाहते हैं इसी तरह से कृषि उत्पादन के लिये भी आप किसानों को प्रोत्साहन दें। खाद्यान्न समस्या को हल करने की दिशा में आप अगर आगे बढना चाहते हैं तो आपको किसानों को भी इस प्रकार की सुविधायें देनी होंगी। इस तरह का कोई आभास इस बजट में नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय, मंहगाई की समस्या आज हमारे सामने भयानक रूप से विद्यमान है, उसीसे बहुत सी समस्यायें पैदा हुई हैं। लोगों की जो रीअल इन्कम है उससे उनके घरों का बजट नहीं चलता । आज राज कर्मचारी घर के बजट से परेशान है, आज उनको चिन्ता है कि वह घर का खर्च किस प्रकार से चलाये। आज किसी को 100 रु. मिलता है किसी को 200 किसी को 400 इससे उनका खर्च चलता नहीं, उसकी समस्या का आपने क्या हल दिया? कहीं वित मंत्रीजी ने रिलीफ की बात कहीं है। कहीं महंगाई को मोट करने की बात कही है, आयन्दा उनके लिये क्या होगा क्या इस ओर संकेत किया है? कुछ नहीं। मैं यह मानता हूं कि इस महंगाई के साथ बहुत से सवाल जुडे हुए हैं। लेकिन जब तक केन्द्र में पुराने और खूसट दिमाग के लोग बैठे हैं, उनकी नीति प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। वह ऐसी गवर्नमेन्ट ही कर सकती है जो प्रोग्रेसिव हो, उसके बिना स्टेट गवर्नमेन्ट भी अपनी बुनियादी नीति में परिवर्तन नहीं कर सकती। इन समस्याओं के होते हुए कम से कम जितना भूतपूर्व वित्त मंत्री कौल साहब ने किया था एक महीने का वेतन अनाज खरीदने के लिये कर्मचारियों को दिया उतना प्रोवीजन आप भी कर सकते थे। वह भी नहीं किया । आपने अखबारों में बहुत ढोल बजाये कि बडा क्रान्तिकारी बजट रखने वाले हैं। इस बारे में भैरोंसिंहजी ने विशेषाधिकार का प्रश्न रखा है वे बतायेंगे यह किस प्रकार सवाल विशेषाधिकार का बनता है। इतने बडे भारी ढम ढम के बाद जो बजट पेश किया गया वह सब चीजें सामने आ गईं।

आपने पे कमीशन मुकर्रर किया यह स्वागत की बात है इसकी आवश्यकता तो बहुत पहले थी। मैं समझता हूं पे कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले इन्टेरिम रिलीफ के लिये आप कुछ प्रावधान रखते कि स्टेट कर्मचारियों को पूरी अवधि तक उसके लिये वेट नहीं करना पडे उनको एक इन्टेरिम रिलीफ के तौर पर मिल जावे। अच्छा होता कि आप खुद घोषणा करते। फोर्थ क्लास कर्मचारी और ये सब लोग इन्तजार कर रहे थे कि बजट आयगा हमें क्या मिलेगा जब आपका बजट देखा तो सब लोग निराश हुए। यह जो महंगाई की समस्या है, मजदूरों को महंगाई की समस्या है उसके कारण जो प्रोब्लेम पैदा होती है उनकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी ने योजना बद्ध विकास के लिये बहुत कम में तो खायी है। आपने यह तो कहा ही है कि कुछ लोगों को इसमें शंकायें पैदा होने लगी हैं। शंकायें तो हैं कि आपने जिस ढंग से काम करना शुरू कर दिया है उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उससे अच्छे अच्छे काम को आप बदनाम करते चले जावेंगे। आप योजनाओं को बदनाम कर दें आप कोओपरेटिव को बदनाम कर दें आप पंचायतों को बदनाम कर दें, आप पब्लिक हित को बन्द कर दें और ऐसे लोग जो पानी पी पी कर गालियां निकालते हैं जो इनको सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं करते हैं उनको कायम रखने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से उनकी बात को आप ऐसी स्थिति बना कर इम्प्लीमेन्ट कर रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को कहा है कि हमारा योजना में पूरा विश्वास है लेकिन वित्त मंत्रीजी आपका भाषण, आपका बजट इस बात को जाहिर नहीं करता है। आपका बजट इस बात को जाहिर करता है कि प्लानिंग को फ्री कर रहे हैं, आगे बढाना नहीं चाहते। आपने क्या प्रोविजन किया है? सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में जो प्रोविजन था, फोर्थ फाइव ईयर प्लान के सेकिन्ड ईयर में उतना प्रोविजन भी नही रखा है। 48½ करोड रुपया फर्स्ट ईयर में खर्चा हुआ तो इस वर्ष वह बढना चाहिये वह बढा नहीं है। 3 करोड रुपया राजस्थान नहर में रखा है। आप उस ढांचे को खडा रख सकते हैं और इधर उधर का खर्चा करके प्लान का नाम रख सकते हैं। स्टाफ रख सकते हैं, ढांचा कुछ नहीं और डेवलपमेंट कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रिलिमिनरी रिमार्क्स के साथ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हुए कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। हम उस बात को स्वीकार करते हैं। राजस्थान जो सन् 1950-51 में था सामन्तशाही जमाने में आज का राजस्थान वह राजस्थान नहीं है। हम लडे इसीलिये, हमने संघर्ष इसीलिये किया था कि उसमें तब्दीली आये। आश्चर्य होता है जब 50-51 की या आजादी से पहले की बात का आज की बात से मुकाबला करके श्रेय लेने की कोशिश करें। 1947 से पहले इस दिन को लाने के लिये, देश में डेमोक्रेसी और प्रजातन्त्र को लाने के लिये, देश में आजादी लाने के लिये संघर्ष किया, उधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, ऐसे लोग भी बैठे जाते हैं जो अंग्रेजों के जमाने में सी.आई.डी. का काम करते थे, सर और राय बहादुर का खिताब था। ये टोपियां लगाकर और ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठ कर मुकाबला करने लगे उन लोगों का जिन्होंने जद्दो जहद की थी उनको यह बात शोभा नहीं देती है। बार बार हमको यह जवाब मिलता है कि 50-51 में हम क्या थे और अब क्या है। यह बात कितने दिन चलने वाली है। आप आज क्या है उससे मुकाबला करो कि हम राजस्थान में क्या हैं।

माननीय मंत्रीजी ने शिक्षा का जिक्र किया। 6 से 11 साल तक के बच्चे 52 परसेन्ट, 11 से 14 साल तक के बच्चे 20.21 परसेन्ट और 14 से 17 साल तक के बच्चे 10 परसेन्ट हो गये। यह सही है। यह तरक्की भी है। लेकिन यह सारे हिन्दुस्तान के विकास में देखें तो आप कहां पर हैं। न केवल शिक्षा में, इरिगेशन में जिसका आपने जिक्र किया बिजली में जिसका आपने जिक्र किया, औद्योगीकरण में जिसका आपने जिक्र किया आप अपने आपका राजाओं से मुकाबला न करें। यहां राजाओं की बात नहीं है। यहां पर कोई राजा नहीं है। रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
होंगे कोई राजा महाराजा, उनके बाप राजा रहे होंगे। यहां पर कोई राजा नहीं बैठे हुए हैं। यहां कोई राजा नहीं है सब ही सदन के माननीय सदस्य हैं। सदस्य हैं उनके नाते ही जवाब देना है। आज इस बात का जवाब मत दीजिये कि डूंगरपुर के राजा के समय गोलियां चलाई गयीं, जिसने गोलियां चलाई तो उसकी अर्थी निकाली गई। आन्दोलन किये गये। कोई मंत्री राजा बन कर, मिनिस्टर बन कर इस प्रकार की बात करेगा उसके लिये इस प्रकार का जवाब होगा। 50-51 से आज का मुकाबला न करें, सामन्तशाही से आज का मुकाबला न करें। आप मुकाबला करिये पडोसियों से, आप मुकाबला करिये दूसरे देशों से। आज अमेरिका कहां खडा है? रूस कहां खडा है?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य संयुक्त दल से अलग हो गये?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बडा अफसोस है माननीय सदस्य अखबार पढने की कभी कोशिश नहीं करते। 8 पैसे या 15 पैसे के अखबार न पढके और अच्छे अखबार पढते तो माननीय सदस्य को मालूम होजाता कि मैं संयुक्त दल का सदस्य नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 8 पैसे 15 पैसे का सवाल नहीं है। चार आने का सवाल है

श्री भैरोंसिंह : वह अखबार पढते हैं जिसमें सुखाडिया जी का फोटो छपता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुखाडियाजी का फोटो देखें अखबारों में। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, फूलमाला चढायें, उस पर मुझे कोई हर्ज नहीं है अर्घ्य चढायें उस पर मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे कहें मैं खुद उनके पास अच्छे अखबार पहुंचा दूंगा। डेली अखबार पढा करें तो इस प्रकार का प्रश्न सदन में फिर कभी प्रस्तुत नहीं करेंगे। उन्होंने यह बन्द कर दिया है।

हमने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी। संयुक्त दल को चिट्ठी लिखी। संयुक्त दल से मतभेद है। जो सम्मिलित पार्टियां हैं इसमें उनसे बुनियादी मतभेद है। यदि संयुक्त दल की गवर्नमेंन्ट बनती तो हमने उसमें सदस्य बनाना स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमने जनता की आकांक्षाओं के अनुसार 17 पॉइन्ट प्रोग्राम जनता के हित में था उस दृष्टि से संयुक्त दल को पूरा सहयोग देने का ऐलान किया था। यदि संयुक्त दल की सरकार बनती और 17 सूत्री प्रोग्राम के अनुसार लाभ दे सकते थे तो इस गवर्नमेन्ट से बेहतर लाभ जनता को दे सकते थे। कम से कम वह सरकार ऐसा बजट तो पेश नहीं करती।

श्री गिरधारीलाल व्यास : संयुक्त दल के सदस्य नहीं थे तो गवर्नर के पास लिस्ट में नाम कैसे गया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जरूरी नहीं है कि गवर्नर के पास संयुक्त दल के ही लोग जावें। कांग्रेस के लोग भी गये थे।

श्री मथुरादास माथुर : ये तो प्रगतिशील हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप लोग निर्दलियों को नहीं मानते तो आज यह गवर्नमेन्ट कैसे बनाये बैठे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जो उपलब्धियां हमारे प्रान्त की हैं, जो तरक्की हमारे प्रान्त में इन तीन योजनाओं में हुई है उससे इन्कार नहीं कर सकते। शिक्षा में 50-51 के मुकाबले तरक्की हुई है। बिजली उत्पादन में, उद्योगों में भी तरक्की हुई है और दूसरी चीजों में भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसके बावजूद भी कहां खड़े हैं? अगर दूसरे देशों को न देखें तो अपने पड़ोसियों को भी देखें और उनसे मुकाबला करें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात कहां हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रान्तों से भी राजस्थान शिक्षा के मामले में इतनी तरक्की करने के बावजूद बराबर नहीं हो सका है। सब प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है। माननीय मन्त्रीजी इन्कार कर रहे हैं। मैं कहूंगा आप अपनी जानकारी को दुबारा ठीक करें।

बिहार में 16.1 है जब कि हमारे यहां 14.7 है।

एक माननीय सदस्य: इस वक्त क्या है?

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस वक्त जो भी है। मैं तो यह कहता हूं कि शिक्षा विभाग ने स्टेटिस्टिक्स दिये हैं उसमें हमारा नम्बर 15 वां है। ऐज लिमिट में 6 से 11 में से 14 में तो सबसे पीछे है। इसके लिये मुझे खुशी नहीं है। खेद है। पर यह वास्तविकता है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो इरिगेटेड एरिया है उसका जिक्र किया। वह बढ़ा है। पर हिन्दुस्तान का सारा मिलाकर केवल गुजरात के बाद राजस्थान का हिन्दुस्तान के इरिगेटेड एरिया में सबसे कम परसेन्टेज है। 5.9 परसेन्ट जब कि और प्रान्तों में हमारे से ज्यादा परसेन्टेज है।

इसी तरह से जो रजिस्टर्ड फैक्टरीज हैं, इन्डस्ट्रीज के दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे पीछे है। 1.1 परसेन्ट। सिवाय जम्मू और काश्मीर के जहां इन्डस्ट्रीज लग नहीं सकतीं। इसके अलावा हम सब जगह से पीछे हैं।

अस्पतालों के बैड्स में हमारा 3.9 परसेन्ट है जिसमें गुजरात हमारे से पीछे है। हमारे से यू.पी. आगे है जहां 10.3, पंजाब में 6.3, बिहार में 10.7, मध्य प्रदेश में 6.3 परसेन्ट बैड्स हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि हम जो अपनी उपलब्धियां देखें तो उसमें हम 50-51 के मुकाबले में आगे भले ही बढ़े हों पर सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में हम काफी पीछे हैं। इन तीन योजनाओं के बाद भी काफी पिछड़े हैं और ऐसे प्रान्तों तक से पिछड़े हैं जिनके साधन कोई विपुल नहीं हैं, ज्यादा नहीं हैं। बिहार से भी जो अकालग्रस्त रहा है। तो हमारी कहीं न कहीं गड़बड़ी है।

एक्चुअल बजट जो, उपाध्यक्षजी, पेश किया गया है उसकी तरफ अगर नजर डालें तो एक गम्भीर बात की ओर, आपके द्वारा मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बजट में एक बहुत ही खतरनाक नीति लेकर सरकार चल रही है और वह नीति रेवेन्यू अकाउन्ट में लगभग हमेशा डेफीसिट का बजट बनाने की ओर इस सरकार की परम्परा रही है।

मैंने पिछले बारह वर्षों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं इनमें 55-56 में, 63-64 केवल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दो वर्षों में सरप्लस रहे हैं इसके अलावा तमाम के तमाम वर्ष में डेफीसिट में रहे हैं और यह डेफिसिट बढ़ता चला गया है । सन् 55 से पहले के आंकड़े नहीं थे। 12 वर्ष के जोड़ें तो 40 करोड़ रुपया हमारी स्टेट का दो वर्ष का सरप्लस था उसको निकाल दिया उसके बाद 40 करोड़ रुपया का डेफिसिट रेवेन्यू अकाउन्ट में हमारी स्टेट का रहा है। यह कहां से पूरा होता है । हम इसे अपनी कैपिटल अकाउन्ट से पूरा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा आधा घंटे का समय और है ।

श्री उपाध्यक्ष: चार मिनिट और हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं तो अपनी पार्टी की ओर से एक ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इसीलिये आपको 40 मिनिट दिये। दूसरों को 30 ही दिये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप एक घंटा दीजिये। इसीलिये मैंने खाद्य नीति पर समय नहीं लिया था।

श्री उपाध्यक्ष: पांच मिनिट और।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं निवेदन कर रहा था कि जिस बजट में हमने 87 लाख का सरप्लस अनुमान लगाया था उस बजट में हमारे सामने जो फिगर आये हैं उसके अनुसार इसमें 19 करोड़ का रेवेन्यू अकाउन्ट में घाटा है ।

इसमें फेमिन के नाम पर केवल 8 करोड़ है। फिर 11 करोड़ दूसरी मदों में किसी न किसी रूप में खर्च किया गया है । यह इलेक्शन बजट था। इस रूप से इससे पहले जो इलेक्शन ईयर था 56-57 इस साल को छोड़ कर पांच सालों में सबसे ज्यादा डेफिसिट पांच करोड़ का था। इसी तरह से हमारी सरकार लगातार रेवेन्यू के अन्दर डेफिसिट को कैपिटल से मीट करने का तरीका अपनाती रही है। इसलिये जो पब्लिक डेट है वह बढ़ता ही जा रहा है।

यह कहा गया कि डाईनमिक इकोनोमी में यह लाजिमी है पर अगर बड़ी बड़ी योजनाओं पर पैसा लगाने से ऐसा होता है तो चिन्ता नहीं। पर आपकी 430 करोड़ की लायबिलिटी है। इसमें से कम से कम 80 करोड़ रुपयों की लायबिलिटी जागीरदारों को मुआवजा देने के लिये थी। वेंकटाचार कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद एज कम्पेन्सेशन और ब्याज को जोड़कर 80 करोड़ रुपया और इस पब्लिक डेट में शामिल है। और इस तरह से यह चालीस करोड़ रुपयों का डेफिसिट बजट जो आप लगातार चलते आये हैं इसमें शामिल है, तो इस तरह से 120 करोड़ के करीब ऐसा है जो इस डेफिसिट पब्लिक डेट में शामिल हो गया।

अब स्थिति यह है कि जैसा पहले कहते थे कि तीन प्लान के चलने के बाद हमारे रिसोर्सेज इतने हो जावेंगे कि अगली प्लान को चलाने के लिए रिसोर्सेज मिल जावेंगे। जो पिछली कर्जदारियां देनी हैं वह तो दूर रहा उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते। इसमें से 16 करोड़ तो ओवरड्राफ्ट है । इसको कर्जे में बदल लेंगे। इससे पिछली किश्त चुका देंगे। इस साल का आशा है उसको उसमें से खर्च करेंगे । इस तरह से दिवालिया की तरह से आपका सारा काम चल रहा है।

Page No.98

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जरूरत है इस नीति में बुनियादी परिवर्तन करने की। पर आपने इस बजट में वही पुराना रवैया फिर अपनाया है। जनता पर टैक्स लगाने का। आपने कहा तो यह कि आमदनी में भारी गिरावट हुई है। और खास तौर पर कृषि की आमदनी में गिरावट हुई है और नतीजा आप इस बजट में यह देते हैं कि उसी कृषि क्षेत्र के ऊपर आप टैक्स थोप रहे हैं। आपने जो टैक्स लगाय हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल ही कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने वास्तविक टैक्स लगाये हैं। वह नये टैक्स वास्तविक 4 करोड़ 55 लाख रुपये के लगाये हैं। लेकिन इसमें शामिल बजट में 9 करोड़ 10 लाख के हैं और बाकी 3 करोड़ 45 लाख के नये टैक्स हैं और इसके अलावा जो सेन्टर ने लगाये हैं टैक्स उनको कुल को मिलाकर, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता पर 10 करोड़ के नये टैक्स हो जाते हैं। आपने इसमें हमारी कुल टैक्स रेवेन्यू 61 करोड़ 20 लाख की कही है, और 3 करोड़ 45 लाख रुपये के नये टैक्स इस तरह से 46 करोड़ 65 लाख रुपया हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जनता के ऊपर टैक्स का बोझ 5 रुपये पर कैपिटा नये करों से हमने अपने राज्य में बढ़ा दिया है। एक परिवार के ऊपर 27 रुपया था और अब राजस्थान का पर कैपिटा टैक्स, उपाध्यक्ष महोदय, 32 रुपया हो गया है। यह बिहार से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, मध्य प्रदेश से ज्यादा है उत्तर प्रदेश का सन् 1966-67 में पर कैपिटा टैक्स 20.91 था, बिहार का 1966-67 का 20.28 था, मध्यप्रदेश का 25.34 था, और हमारे यहां 1966-67 के आधार पर 27.50 था और यह 5 रुपया बढ़ जाने के बाद हम 32 से भी आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपको यह सोचना होगा कि एज्यूकेशन में आप उनसे पीछे हैं, इरिगेशन में आप उनसे पीछे हो, बिजली में आप पीछे हो, उद्योगों में पीछे हो और टैक्स में आप उनसे आगे हो। यह दृष्टिकोण आपको लेकर चलना पड़ेगा। जो टैक्स उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने लगाये हैं उन टैक्सों में उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं है कि हम सब टैक्सों का विरोध करने वाले हैं।

राजस्थान की सरकार ने 75 लाख का जो छोटी जोत वालों को रिलीफ दिया है, वह स्वागत योग्य कदम है। हालांकि जनता की डिमाण्ड थी और दूसरे लोगों ने तो और भी इससे ज्यादा आगे कदम रखने की बात कही, लेकिन जो कदम है वह स्वागत योग्य है। इसी तरह से सरकार ने जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा भूमि वालों पर सेन्ट पर्सेन्ट लगान लगाया है मैं समझता हूं कि वह एक सही दिशा में कदम है। लेट है। जैसे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह पहले ही लगाया जाना चाहिए था और निश्चित तौर से ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिये थी लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार किसको टालती आई है। इसकी वजह से सीलिंग नहीं टालना चाहिए, और इससे जो भी आमदनी होगी ज्यादा होगी और यह और भी अच्छी बात है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इरिगेशन का टैक्स लगाया है 25 पर्सेन्ट

[श्री रामानन्द अग्रवाल]

बढ़ाने का, आपने जो पशु-कर लगाया है, यह जो आपने टैक्सेज लगाये हैं हम इनके पक्ष में नहीं हैं, और हम समझते हैं कि यह जनता विरोधी टैक्स हैं। आपको इन टैक्सों को हटाना चाहिए। जो आपने सेल्स टैक्स बढ़ाया है इस सेल्स टैक्स के जरिये आपने 10 से 15 प्रतिशत कर करदिया है। उसमें कुछ लग्जरी गुड्स हैं उनके बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन बहुत से गुड्स ऐसे हैं जैसा माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया था कि उनके ऊपर यह सेल्स टैक्स बहुत ज्यादा है। आखिर आप इस सेल्स टैक्स कोकहां तक बढ़ाते जायेंगे? राजस्थान में सेल्स टैक्स के जरिये आपने कितनी जबरदस्त आमदनी बढा ली है। सेल्स टैक्स के जरिये आपने 2 करोड़ 10 लाख रुपये की आमदनी इसमें बढाने की कोशिश की है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी तरह से मनोरंजन कर आपने 70 पर पर्सेन्ट तक कर दिया है, और इतना हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान जैसे पिछड़े प्रांत में इतना टैक्स लगाते हैं यह उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

5 मिनट में समाप्त करता हूं। मैं यह समझता हूं कि आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। नॉन-टैक्स रेवेन्यू की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। आपने सोडियम सल्फेट में 10 लाख की बात कहकर और नमक की बात कहकर आपने बताया जरूर है कि आप उस ओर सोचना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती। आप उस दिशा में क्यों नहीं बढते? आप क्यों नहीं पब्लिक सेक्टर को एनलार्ज करते? दूसरे प्रान्तों में रोडवेज करोड़ों रुपयों का मुनाफा दे रही है। पंजाब, यू. पी. में वह मुनाफा में है, और राजस्थान में जब से आपने रोडवेज का कार्पोरेशन बनाया है उसमें 5 लाख 69 हजार का नुकसान बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप भी उस पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, और आप उनका ऐसा मैनेजमेन्ट करते हैं कि वह फेल हो जाये, और फिर ऐसी आवाज आये कि पब्लिक सेक्टर को लोग नहीं चाहते। उनको, कहने का मौका मिल जाये और फिर आप उसको उठा दो। मैं कहता हूं कि जो काम सही है उसको हौंसले के साथ करना चाहिए, वर्ना जनता की समस्या हल नहीं हो सकती। राजस्थान में सारी जगहों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो जायेगा और इसलिए राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए तो भ्रष्टाचार तो पुलिस में भी है, पुलिस को हटवा दीजिए। फिर मजदूर सब ठीक कर लेंगे, परन्तु उसको तो आप रखना चाहोगे चाहे कितना भी भ्रष्टाचार करें। कितने भी डंडे मारें। गोलियां मारे। जौहरी बाजार में गोलियों से 8 आदमियों को उड़ा दिया, लेकिन पुलिस नहीं हटेगी। भले ही पब्लिक सेक्टर हटा दिया जाये। एक कन्डक्टर न पैसे खा लिए तो पब्लिक सेक्टर हटा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दलील पब्लिक सेक्टर को नहीं चाहने वाले देते हैं और वह इस अर्थ-व्यवस्था को निकाल कर एक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था नहीं लाना चाहते हैं। उनकी दलील मैं समझता हूं कि दुरुस्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बचत के प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी ने इसके अन्दर रखे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। बी.डी.ओ. को हटाने की बात उन्होंने कही है। निश्चित तौर से एक नौकरशाही बी.डी.ओ. और प्रधान का झगडा और बी.डी.ओ. की जगह वहां पर थी मैं समझता हूं कि कोई आदमी उसके लिए नाराज नहीं होगा कि बी.डी.ओ. वहां से गया और फेयर वेल दे दिया। लेकिन आपने एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर को भी बी.डी.ओ बना दिया तो उनको हटाने और नहीं हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से आपने चाहे बचत की और जो योजना रखी है मैं समझता हूं कि कहीं और ज्यादा इससे बचत हो सकती है मेरे माननीय सदस्य जो चूरू से आये हैं उन्होंने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं समझता हूं कि उस दिशा के अन्दर और बहुत कुछ हो सकता था। आप बहुत फिजूलखर्ची कर रहे हैं। एक दो मिसाल मेरे नोटिस में भी आई हैं। आप उनको देखें। एक इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने अभी ट्रेनिंग स्कूल खोला है, उस ट्रेनिंग स्कूल में सन् 1964–65 में केवल 2 विद्यार्थी थे जिनको कि टीचर्स ने शिक्षा दी और 88 हजार रुपया उस ट्रेनिंग स्कूल का खर्चा था एक ट्रेनी को ट्रेण्ड करने का खर्चा 44 हजार रुपया आया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में कुछ सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और वह सुझाव मेरे इस तरीके से हैं कि आपके सामने समस्यायें हैं। आप किसी तरीके से अगर यह टैक्स भी नहीं लगायें तो पैसा सरकार को कहां से मिले, किस तरह से इस इकोनोमी को आगे बढा सकते हैं, यह आपके साम्ने समस्या है? मंत्रीजी, हमने इस सदन के अन्दर बारबार इस बात को रखा है कि आपने बेसिकली यह कमिटमेंट कर लिया है जागीरदारों को मुआवजा देने का, लेकिन आप यह तो कर सकते हैं कि मौजूदा अपना केपिटल आउट ले है, उसमें केपिटल को बचाने के लिए आप जो 3 करोड 50 लाख का प्रावधान जागीरी बोंडों को एनकेश कराने के लिए रखते हैं उसको दस वर्ष के लिए स्थगित कर दें। आप उसको डेफर कर दें। जो छोटे जागीरदार हैं उनको रुपया जल्दी मिल जाय इसमें मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन जो बड़े जागीदार हैं, सीकर का ठिकाना और इस तरह के जो बडे 2 ठिकाने हैं उनके पेमेंट हाल फिलहाल डेफर कर दें दस वर्ष के लिए तो यह बचत हो सकती है।

(कांग्रेस पक्ष की ओर से हियर, हियर)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: मैं चार दफा घण्टी बजा चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय एक दो मिनिट में ही अपने सुझाव देकर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अपने सुझाव आप कट मोशन के द्वारा दीजिए या फिर एप्रोप्रियेशन बिल के समय दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मेरे सुझाव इस टैक्सेशन के बारे में हैं। मैं एक मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: : श्री शंकरलाल

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय मैं एक मिनिट में ही समाप्ति कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समय को इस प्रकार बढाना नहीं चाहता। बहुत से माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)
सदस्य बोलने के इच्छुक हैं, वे भी बोलेंगे। पहले आपने फरमाया पांच मिनिट में समाप्त करता हूं, फिर दो मिनिट, फिर एक मिनिट। इस तरह से अपना समय बढाते जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है श्री शंकरलाल

श्री विजयसिंह रावत : एक मिनिट की ही बात है। और लोग भी तो कम समय ही लेते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लास्ट में एक ही मिनिट में सुझाव देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव के नाम पर ही समय लेते हैं। आप सुझाव आयन्दा से पहले दिया करें। माननीय सदस्य अपने भाषण सुझावों से पहले शुरू करा करें ताकि बाद में सुझावों के नाम पर समय न लेना पडे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा दूसरा सुझाव यह है कि डेवलपमेन्ट टैक्स शहरों के अन्दर उन लोगों पर जिनकी जमीनें हैं, जो उनके कब्जे में हैं, उनके बारे में पिछले सेशन में भी जिक्र किया गया था और आपने कहा था कि इसकी लीगेलिटी एग्जामिन करा रहे हैं, आपने इस प्रकार का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आपने उस ओर कदम नहीं उठाया है। उस वक्त भी बहुत से लोगों के पास बडे 2 बाडे थे, बडी 2 खाली जमीनें थी और इससे उनकी अनअर्न्ड इन्कम बढी है, उन जमीनों की नई योजनाओं के जरिये कीमतें बढी हैं और उनको कीमतें दुगुनी तिगुनी हो गई हैं उनसे डेवलपमेन्ट टैक्स लिया जाना चाहि । योजनाओं का फायदा उनको इस तरह से नहीं मिलना चाहिए कि उनकी जमीनों की 2 कीमतें बढ जायं और वे टैक्स भी न दें।

इस तरह से तीसरी बात खाली प्लॉटों के बारे में हैं। इन पर जो टैक्स आपने लगाया था उसे भी आपने काम में नहीं लिया है। आप सैल्स टैक्स क्यों लगाते हैं? आप सैल्स टैक्स मत लगाइए, लेकिन जो सैल्स टैक्स के असेसी हैं उन पर सरचार्ज लगाइए ताकि वह कीमतें ज्यादा नहीं बढा सकें और जो बडे 2 असेसी हैं, छोटों को आप छोड दीजिये लेकिन जो बडे असेसी हैं उन पर ऐसैंशियली आप सरचार्ज लगाइए।

इसी प्रकार जो वनों के ठेकेदार हैं, जो पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदार हैं, उनके ठेकों की रकमों पर सरचार्ज लगाइए। इससे भी आपकी आमदनी हो सकती है और इस तरीके से गरीब लोग बच सकते हैं।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान नहर को भारत सरकार को लेना चाहिए। यह हम सब लोगों का सवाल है, हम सब लोगों की मांग है कि केन्द्रीय सरकार इस बात को माने कि राजस्थान नहर केवल राजस्थान की नहर ही नहीं है सारे हिन्दुस्तान की है, और मैं समझता हूं कि हमको इस बात के लिए भारत सरकार से आग्रह करना चाहिए कि राजस्थान नहर के लिए हमारे फाइनेंसेज ऐसे नहीं हैं कि जो हम उनको मीट कर सकें। आज राजस्थान के अन्दर खाद्यान्नों की कीमतें कम करने लिए, खाद्यान्नों का उत्पादन बढाने के लिए, राजस्थान नहर आवश्यक है सारे हिन्दुस्तान के लिए। आज देश का करोडों रुपया पी. एल. 480 पर बरबाद हो रहा है, सरकार उस पैसे को इधर डाइवर्ट करे और राजस्थान नहर को केन्द्र की योजना के अन्तर्गत मंजूर किया जावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने मेरा नाम लिया था। I was to speek.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की यह इच्छा थी कि श्री रामानन्दजी को समय दिया जाय, उसके बाद में आपका नाम कट गया।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, रामानन्दजी को समय देने के लिए मेरा समय कैसे कट सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : समय आपका कटने का प्रश्न नहीं है। दुबारा आप मेरी नजर में नहीं आए। मैंने उधर की तरफ देख लिया इसलिए उनका नाम ले लिया ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलीय सदस्यों के लिए कब समय दिया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक काफी समय है। यह तो कल भी बहस होगी, सोमवार और मंगलवार को भी बहस होगी। इसमें निर्दलियों का अलग से प्रश्न नहीं है। आप कोशिश कीजिए।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 1967-68 के आय-व्ययक अनुमान माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किए हैं, उसका मैं भी कुछ विवेचन करना चाहूंगी। इससे पहले कि मैं इस पर आगे चर्चा करूं, मुझे इस वित्तीय विवरण को देखने से, जो आय-व्यय के विवरण इस सदन में रखे गये हैं उसको एक नजर से देखने से मोटे तौर पर मुझे एक ऐसे सेठ या व्यापारी की याद आ जाती है जो कभी अपनी आर्थिक दृष्टि से जनता में साख भले ही रखता था, लेकिन अब अपनी कुछ गल्तियों के कारण और गलत नीतियों की वजह से उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि जहां से किसी तरह से सुधार होने की उम्मीद नहीं हो। यही स्थिति मैं आज राजस्थान की लोकप्रिय सरकार के बारे में कह सकती हूं। जहां तक सरकार का सवाल है, किसी भी सरकार को अपने वार्षिक विवरणों को बनाते वक्त कुछ मूल सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध और शक्तिशाली बन सके और लोक राज की भावना को कार्यान्वित करने में समर्थ बन सके। लेकिन राजस्थान में मरूस्थलीय भूमि पर रहने वाली गरीब, अकाल, भूखमरी व अनेक दुःखों से पीड़ित जनता-सरकार द्वारा बनाये हुए आय-व्यय विवरण जब उनकी भावनाओं और नीतियों को देखती है तो ऐसा लगता है कि राज की अर्थ-व्यवस्था भयानक तोपों से पीड़ित हो चुकी है, और बीस वर्षो की यह तथाकथित प्रगति, इस अर्थ-व्यवस्था के सहारे से बताई जाती है। जनता के श्रम का मूल्य, इन टैक्सों के ब्योरों के द्वारा रखा जाता है तो उसको मैं केवल एक मृग-तृष्णा का आधुनिक स्वरूप समझती हूं।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर)

इससे पहले कि बजट में दिए आंकडों के साथ में मैं अपने कथन की पुष्टि में कुछ कहूं, मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि जो आंकडे आय व्ययक विवरण के अनुमान पत्र में दिए हुए हैं उनका उल्लेख **जो स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र में दिया गया है** वे आपस में मेल नहीं खाते हैं, बल्कि कहीं 2 तो अधूरे दिए हुए हैं। उसके बारे

(श्रीमति कान्ता कथूरिया)

में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आय-व्ययक अनुमान पत्र के पेज 87 मद का 2 (ii) के सामने वाले चारों स्थलों में जो आंकडे अंकित किए गए हैं उनका उल्लेख स्पष्टीकारक स्मृति पत्र, जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है, पेज 106 के मद सं. 6 पर किया है, इन फिगर्स का विवरण तो मैं यहां नहीं करूंगी क्योंकि ये फिगर्स बहुत बडे 2 हैं, लेकिन इतना ही निवेदन करूंगी कि यह फर्क किसी भी तरह से मुद्रण की त्रुटि नहीं कही जा सकती। इसका डिफरेंस जरूर जोड-बाकी गुणा से हो सकता है, लेकिन इसको किसी भी तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगी कि मेमोरेंडम के पेज 110 पर जो जल-मंडल जोधपुर का विवरण दिया गया है, उसमें 1965-66 के एक्चुअल फिगर्स के लिए यह लिख कर जान छुड़ा ली गई है कि ये उपलब्ध नहीं हैं। यह किसी भी तरह वित्तीय विवरण के किसी सिद्धान्त से मेल खाने वाली बात नहीं है।

अब मैं सर्व प्रथम सरकार की जो ऋण देने व लेने की नीति है इस नीति के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहती हूं। सरकार ने अपनी तरफ से जो ऋण कई मदों में लगा रखा है, कई इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को दिया गया है और दूसरी बातों में लगा रखा है व उससे जो ब्याज की आय होती है उसके 67-68 में आंकडे 9,34,03,000 में अनुमानित किये हैं। उसके मुकाबले में जो गवर्नमेन्ट इन्टेस्ट खुद पे करती है वह आंकडे बजट के पेज 85 पर 20,09,69,000 दिये हुए हैं जो करीब करीब दुगुने से ज्यादा हैं। जो आय होती है उससे ज्यादा है। इन फिगर्स की पुष्टि जो पिछले साल के फिगर्स हैं उनको देखने से भी होती है। सरकार जो ब्याज देती है वह उसकी आय से दुगना है। परन्तु यह फर्क जो बजट में जो आंकडे दिये हुए हैं उसके मुताबिक है। अगर गहराई में जाकर छान-बीन की जाय तो, मुझे समय नहीं मिला है, पर मैं सोचती हूं और भी बातें मिलती हैं।

सरकार ने आय का अनुमान विवरण-पत्र में दिया है। व उसमें ब्याज जो अनुमानित किया है वह 8,39,02,000 रु. ब्याज के पेटे होते हैं। इसका तो मैं अन्दाजा करती हूं कि मूलधन वसूल होना तो मुश्किल है ही लेकिन ब्याज ही वसूल नहीं हो पायेगा क्योंकि 21 करोड के ऊपर की जो रकम ऋण के तौर पर दी गई थी उससे यह मालूम पड़ता है कि इतनी मोटी रकम म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत समितियों को दी हुई है जिनका व्यय आय से हमेशा ज्यादा होता है, और वे किसी भी तरह से उसको चुकाने में समर्थ नहीं होंगी। इसलिए मैं यह सोचती हूं कि यह भी एक गलत फिगर दिया गया है।

दूसरे इसके साथ-साथ यह भी है कि हमारे ऋण जो सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दिये हुए हैं उन उद्योगपतियों का एक स्थान पर विवरण दिया हुआ है, पेज 27 की मद 8, सब-हैड (i) इसमें 13,50,000 रु. ब्याज को आमदनी के रूप में बताया गया है। यह रकम डूबत खाते हो सकती है, क्योंकि 13,50,000रु. की यह रकम बडे उद्योग-पतियों में है जो कि बहुत चतुर हैं। जिनका मूलधन चुकाने का तो सवाल ही नहीं पूरे ब्याज की रकम भी नहीं चुकाते होंगे। ये जो रकमें उनको दी गई हैं ये जिनकी अनुमानित ब्याज की दरें इस प्रकार बताई गई हैं 65-66 में वह 2,55,166 थी और वह 66-67 में बढ़कर 10 लाख रुपये बन गई और 67-68

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)
में इसको बढाकर 13,50,000 रु. आमदनी ब्याज के पेटे बताई गई है। हो सकता है कि इतने ही वर्षों में ऋण का पैसा भी बढा हो, लेकिन उसकी सही जानकारी तो वित्त मंत्री दे सकते हैं, लेकिन फिर भी यह संदेह यों का यों ही रह जाता है कि सरकार ने जो वसूली इस मद में बताई है वह उद्योगपति और चाहे कुछ न करें लेकिन कठिनाई जरूर पैदा करेंगे।

इसके साथ-साथ एक बात और भी है कि बजट में जो स्पेशल डिपॉजिट एकाउन्ट पेज 87 पर मद नं. 2 के सब हैड (2) में बताया गया है उसमें इन्श्योरेन्स से एक मोटी रकम सरकार ने अपने पास जमा करके रखी है उसके ब्याज का जो अनुमान किया है देने के लिए और गवर्नमेन्ट इन्श्योरेन्स फण्ड के नाम से आता है, उसकी रकम 43,40,200 रु. इन्ट्रेस्ट के रूप में चुकाने के लिए बजट के विवरण में दिया है। इस बात की पुष्टि तो पिछले वर्ष के जो फिगर्स दिये हैं उससे भी होती है कि यह एक मोटी रकम सरकार ने अपने काम में लगा रखी है। जिसका ब्याज सरकार करीब 3½ देती है। मैं सोचती हूं कि अगर इतनी मोटी 11 करोड की रकम सरकार ने अपने पास रख रखी है। यदि यह रकम किसी भारत सरकार को ऋण देने में या किसी दीर्घ कालीन योजना में लगायी जाती तो ब्याज की दर की पौने चार या पौने पांच प्रतिशत की दर मिल सकती थी। जिससे उसको 9-10 लाख की आमदनी प्रति वर्ष अधिक होती। इन्श्योरेन्स पॉलिसीज का नम्बर 65-66 में 1,95,000 बताया गया है, और इस साल वह नम्बर बढकर 2,05,000 बताया गया है तो इन सबको मद्दे नजर रखते हुए प्रति पॉलिसी-होल्डर जो कि छोटे से छोटा कर्मचारी है, चपरासी से लेकर बडे से बडा राजकीय अधिकारी है उसको पांच रुपये फी पालिसी का घाटा रहता है। इसलिए सदन के यह सोचने की बात है कि इन्श्योरेन्स का फण्ड जो सरकार अपने काम में लेती है उसका साढे तीन पर्सेन्ट ब्याज चुकाती है वह न्याय संगत नहीं है। इससे कर्मचारियों के साथ में पूरा न्याय नहीं होता है।

इसके साथ-साथ जो सरकार के ऋण देने की नीति है उसके दो पहलू हैं। एक तो हमें यह देखना है कि सरकार ने करीब आज तक 9 दफा सार्वजनिक ऋण रेज कर चुकी है और इस साल एक सार्वजनिक लोन फ्लोट करने का वर्णन बजट से मालूम होता है और इसके पेटे में ब्याज की रकम करीब 13,75,000 रु. देने का सरकार ने प्रावधान रखा है। 65-66 में इस ब्याज की जो राशि थी वह करीब 1,38,07,517 थी उसको बढाकर 1,69,39,000 रु. कर दी है, और 67-68 में जो अनुमान दिये गये हैं वे 19,62,00,000 रु. के दिये गये हैं, और हर साल 1,67,88,839 रु. सूद के चुकाने पडते हैं। इतनी बड़ी रकम और इतना बडा ब्याज चुकाने के बाद भी यह रकम सरकार के विकास कार्यों में लगाने के बजाय दूसरे ऋणों में लगाई जाती है तो यह समझने की बात नहीं है। आप एक तरफ लोन लेकर दूसरे को ऋण दे देते हैं तो यह हेर-फेर की बात जरूर हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह से सही बात नहीं हो सकती। मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि बाहर से इतनी मोटी रकम जो सरकार ने ली है वह विकास कार्य

Page No.105

(श्रीमती कांता खतूरिया)

के लिए अलग अलग किस किस मद में खर्च होती है उसके लिए एक विशेष समिति बनाकर इस बात की छान-बीन करके सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिससे यह पता चल सके कि सरकार ने इन लोन का कहां तक सदुपयोग किया, कितनी रकम विकास कार्यों के अन्तर्गत कहां कहां लगाई और ऐसा करना कहां तक न्याय संगत था ?

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार यदि एक ऋण लेकर अपने खर्चीलेपन की वजह से दूसरा ऋण चुकाने में इसको लगाती ही जायगी तो कोई हल नहीं निकलेगा और उसकी हालत बिला-दवा के मरीज की तरह से हो जायगी। यह ऋण की नीति जनता से सम्बन्ध रखती है और इस पर सदन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

आगे सरकार ने जो यह डेवलपमेन्ट के लिए ऋण ले रखा है इस रकम का वह ब्याज देती ही है, और जैसा कि बजट के पृष्ठ 86 के सब-हैड (1) और (2) में दिया हुआ है। तो ऋण लेकर यदि सरकार अपने विकास कार्यों पर लगाती तो न तो बार बार लोन लेने की जरूरत पडती और न लोन लेने में ही दिक्कत होती। डेवलपमेन्ट वर्क्स के लिए लोन लेती तो वापिस ईल्ड हो जाती और सरकार को बराबर हर साल ऋण लेने की नौबत ही नहीं आती। जो सरकार को ब्याज देना पड़ता है उसके फिगर दिये हैं 65-66 में 5,13,507 रु.। 66-67 में ये फिगिर्स बढ़कर हो गये हैं 10,45,000 रु. और 67-68 में इसका जो अनुमान बताया गया है वह 10 लाख का बताया गया है। उससे यह साफ साबित होता है कि गवर्नमेन्ट की जो ऋण की पालिसी है वह गलत दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इसका सुधार के लिए विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वरना टैक्सों के बोझ बढ़ने का आगे चलकर यह भी एक विशेष कारण बन जावेगा।

दूसरा सवाल जिसको मैंने देखने की कोशिश की है वह है विनियोजन का। सरकार ने कुछ बहुत सी मोटी रकम अपने अलग अलग वाणिज्य विभागों में, जो सरकार के द्वारा चलाये जाते हैं, उनमें व कई अन्य मदों में इन्वेस्ट कर रखी है। उनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी। जो सरकार ने लोन के रूप में इन्वेस्ट कर रखी है, वह बजट मैमोरेन्डम के पेज 114 में बताया गया है जो 3 करोड 326 लाख 48,850 है। यह इतनी मोटी रकम है जो अलग अलग मदों में लगा कर रखी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस पर जो इन्ट्रेस्ट बताया गया है वह तीन पर्सेन्ट से पांच पर्सेन्ट के बीच में वेरी करता है। यह रकम है, यह भी कई अजीब मदों में इन्वेस्ट की गई है। इसके अलावा कई कम्पनी में शेअर्स ले रखे हैं, 8 करोड 82 लाख 80 हजार 42.39 भिन्न भिन्न कम्पनी के शेअर्स राज्य सरकार ने खरीद रखे हैं। यह शेअर्स जिन कम्पनी के हैं वह कुछ के सही मान सकते हैं और कई ऐसे हैं जिनमें अगले पांच साल में कोई रिटर्न की आशा नहीं दिखती है। यह भी जो इन्वेस्टमेन्ट है सही इन्वेस्टमेन्ट की तारीफ में नहीं आता है।

मेमोरेन्डम का जो पेज 115 है उसमें करीब 77 लाख 29 हजार 225 की रकम न्यास निधियों को बताई गई है। न्यास निधियों की रकम है वह 23 भिन्न भिन्न

(श्रीमति कांता खतूरिया)

न्यासों की रकम मिला कर 77 लाख 29 हजार 225 बनती है। इस रकम को भी सरकार यदि किसी दीर्घकालीन योजना में लगाती तो मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूं कि यह रकम दुगुनी नहीं तो डेढ गुनी जरूर बढ जाती। लेकिन मालूम नहीं कि सरकार ने किस मद में लगा रखी है। इसकी भी छान-बीन करने की जरूरत है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ लोन्स को रकम सरकार ने भिन्न भिन्न परियोजनाओं में लगा रखी हैं और 31 मार्च, 66 की एण्ड में जो रकम अदा करनी बाकी थी वह 2,70,03,02, 696.39 बतायी गयी है। यह रकम 31-3-66 को कितनी बाकी है। यदि यह फिगर और होता तो सदन के सामने सही नक्शा आ जाता लेकिन यह बात पता नहीं क्यों बजट में नहीं बताई गई है। हो सकता है कि वित्त विभाग का इतना बडा स्टाफ, इतना बडा अमला होते हुए भी उस स्टाफ ने वित्त मंत्री को सहयोग नहीं दिया हो इसलिए यह अधूरा चित्र सदन के सम्मुख रखा गया हो (हिअर-हिअर) नहीं दिया हो इसलिए यह अधूरा चित्र सदन के सम्मुख रखा गया हो (हिअर-हिअर)

इसमें आगे एक बात और है जिसको मने देखा है। सरकार ने कई इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स की और कई कम्पनी की लोन के पेटे गारन्टी दे रखी है, जो गारन्टी दी है, हो सकता है उसमें कई सही गारन्टी हो सकती हैं लेकिन कई गारन्टी के लिए मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वह गलत हैं। उदाहरण के तौर पर मैं

श्री भगवानदास शास्त्री : आंकड़ों में फंस गई हैं बहिनजी!

श्रीमती कान्ता खतूरीया : पृष्ठ संख्या 141 का मद संख्या पांच का सब-हेड 1, सब-हेड 3, सब-हेड 3, सब हेड 4, यह कितनी रकम दी है। कोई सिक्यूरिटी नहीं ली हुई है कुछ सिद्धान्तों के मुताबिक गारन्टीज दी जाती हैं। इसमें इन सिद्धान्तों को फोलो किया गया है या नहीं यह सही रूप में ह नहीं कह सकती। लेकिन इतना मैं अवश्य महसूस करती हूं कि जो गारन्टी सरकार देती है उसके लिए सिक्योरटी कुछ न कुछ सरकार लेती है और उसके पेटे में गारन्टी देती है। जो मद मैंने बताए हैं इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई है। उसके आगे एक आइटम है 142 का 7 और 8 का सब हेड 2, इसमें दस लाख रुपये की गारन्टी मिस्टर सिधानिया के नाम से दी हुई है। इसमें जो नोट दिया गया है उसमें मौरूसी जायदाद लगभग 2 लाख रुपये की कीमत की बताई है लेकिन अपने पास कुछ गिरवी नहीं रखी है। यह सिक्योरिटी का विवरण, जो विवरण पत्र से मालूम होता है उससे मुझे ताज्जुब लगता है। विवरण में दिया हुआ है कि किसी के पास दो लाख की प्रापर्टी होगी। प्रोपर्टी होगी लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेन्ट ने अपने पास क्या रखा है, गवर्नमेन्ट के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानों में जोर से डालें।

श्रीमती कान्ता खतूरिया : इसमें सत्यता क्या है, यह मैं नहीं जानती लेकिन मैं महसूस करती हूं कि ऋण के मामले में नीति की ओर ध्यान देना आवश्यक है और इसमें बहुत छान बीन की जरूरत है।

इसके साथ साथ एक प्रश्न मेरे ध्यान में और आया है और वह है, सरकार के द्वारा जो वाणिज्य विभाग चलाये जाते हैं। जैसे सरकार

(श्रीमती कांता खतूरिया)

का जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट है, यह भी इनका वाणिज्य विभाग है, इसमें 66-67 का ब्यौरा दिया गया है, उसमें 39 लाख रुपये का घाटा बताया गया है लेकिन इसमें जो 67-68 का अनुमान किया गया है उसमें 7 लाख 41 हजार रुपये का प्रोफिट बताया है। इसके नीचे एक नोट है: "The actuals for the year 1965-66".. और मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं अंग्रेजी में पढ़ूं:

"The actuals for the year 1965-66 are subject to audit and do not include the figures of Water Works Jaisalmer. The amount of recor veries include Cash and Credits. The cash realisation for the year 1966-67 and 1967-68 is expected to be Rs. 1,24,77,000/–and Rs. 1,32,00,000/_ respectively. The unpaid dues mostly related to Municipalities."

इसमें मुझे इतना ही निवेदन करना है कि माननीय वित्त मंत्री ने अपना जो स्टेटमेन्ट इस सदन के सम्मुख दिया था उसमें खुद माना था कि आज तक म्युनिसिपैलिटीज में ड्यूज पिछले तीन प्लान के हैं उनको माफ कर दिया जाता है। उसके बाद में यह जो फिगर है, वह आप को फिगर में से डिडक्ट नहीं हुआ है और जो एरिअर बताया गया है उसमें मेजर पोर्शन नगरपालिकाओं के अन्दर जो बकाया है, वह शामिल है। इसमें इसलिए जो फिगर हैं वह सही नहीं हैं और वह दुरुस्त होने चाहिए।

दूसरा डिपार्टमेन्ट सरकार के द्वारा चलाया जाता है वह है पब्लिकेशन ब्रान्च। इसमें भी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) 1966-67 में नुकसान का एस्टीमेट बताया गया है, उसके आंकड़े 2 लाख 89 हजार 617 हैं और 67-68 का जो अनुमान नुकसान का बताया गया है वह 32,01,67, 176 बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो रकम बताई उसमें करीब 2 लाख रुपये का जो स्टाक पड़ा हुआ है वह शामिल करके नहीं बताया गया है। पब्लिकेशन ब्रान्च का जो स्टाक है, वह कब निकलेगा, किस तरह से निकलेगा क्योंकि मार्केटेबिल नहीं है यह मैं नहीं कह सकती। इसलिए इसमें भी 2 लाख से अधिक का नुकसान है।

तीसरा विभाग जो बताया गया है वह है पलाना कोलियरी। पलाना कोलियरी के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि मैं इस सदन में एक ठोस प्रस्ताव पेश करना पसन्द करूंगी। अभी मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि एक टन कोयले के प्राडक्शन में करीब अस्सी से सौ का घाटा पड़ता है। यह आपके वाणिज्य विभाग की स्थिति है।

थोड़ा सा निवेदन मैं, जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण जो सदन में दिया था, उसके सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि माननीय वित्त मंत्री बहुत आशावादी व्यूज रखते हैं। उन्होंने कहा है कि मानसून अच्छा हो जाय तो पिछले वर्ष में जो कमी रही है वह पूरी हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह तो हम भी चाहते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मानसून अच्छा हो ताकि उत्पादन बढ़े। इसके साथ साथ यह कहना काफी नहीं है कि मानसून अच्छा हो, क्योंकि मानसून या किसी बात की सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए सरकार को तैयारी रखनी चाहिए इस बात की कि मानसून फेल हो जाय तो उस परिस्थिति में क्या करेगी, उस समय की डिफीकल्टी को कैसे

(श्रीमती कांता खतूरिया)
फेस करेगी। यह बात कहना आसान है (करतल ध्वनि) कि हम आशा करते हैं कि मानसून अच्छा होगा···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मानसून क्या कई चीजों पर छोड़ना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अब भी अक्ल नहीं आई।

श्रीमती कान्ता खतूरिया : माननीय वित्त मंत्री के द्वारा कटौतियां और कर नीति बताई आय में वृद्धि व व्यय में कटौती बताई गयी है।

कई माननीय सदस्य : टाइम बढ़ा दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलने दिया जाय।

श्री देवीदत्त : सुझाव कान्क्रीट हैं, वित्त मंत्री जरूर मानेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पांच मिनट और बढ़ा दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच मिनट और बढा दीजिये। पांच मिनट और बढा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट का समय और बढाया जाता है।

श्रीमती कान्ता खतूरिया : 3 परसेन्ट बिक्री कर जिन चीजों पर बढ़ाया गया है उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगी यह जो बिक्री कर बढाया गया है यह बड़ा लम्बड है। जब कभी इस प्रकार बिक्री कर बढ़ाये जाते हैं तो आस पास के मार्केट की क्या रेट है उसको देखा जाता है और उसको देखने के बाद यह लगाया जाना चाहिये। मगर यहां पर आस पास के राज्यों में क्या रेट है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है––जैसे वूल इन्डस्ट्री है। अगर इस पर टैक्स 1 से 5 परसेन्ट हो जाता है तो आस पास के मार्केट की हालत को देखते हुए यहां पर मार्केट गिरने की परिस्थिति पैदा हो सकती है यह कोई काम करने वाली परिस्थिति नहीं लगती है।

दूसरा आपने कूलर और रेफरीजेटर पर टैक्स बढ़ाया है। मैं इस बात को मानती हूं कि यह लग्जरी की चीजें हैं लेकिन इसके लिये भी आपको आस पास के मार्केट में इसकी क्या कीमत पड़ती है उसका ध्यान रखना चाहिये। जब आपके यहां पर कूलर आदि पर 15 परसेन्ट टैक्स लगेगा और आस पास के मार्केट में कम टैक्स है तो लोग सीधा दिल्ली से आसानी से यहां पर खरीद कर लावेंगे। इसलिये आस पास के मार्केट को देखना जरूरी है। अन्यथा रिटर्न में कमी हो सकती है। इसलिये इस पर ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय ने उत्पादन के लिये कही मैं निवेदन करूंगी कि उत्पादन कुछ बढ़ा है। उत्पादन हमारे देश में बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये ईरिगेशन में जो कमी बताई जाती है वहां इकोनोमिक कट किया जाता है। यह अगर बहुत गलत नहीं तो मैं सही भी नहीं समझती इसलिए कि ईरिगेशन खेती से ताल्लुक रखता है। आज देश में खाद्य उत्पादन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज देश की इकोनोमिक स्थिति समृद्ध बनना उस मुल्क की खाद्य नीति पर मुनस्सर करता है। अगर देश की खाद्य नीति ठीक नहीं होगी तो सारी दूसरी बातें गलत हो जावेंगी और एक ही बात को मजबूत करने से

(श्रीमती कांता खतूरिया)
मैं समझती हूं कि सभी बातों में फर्क पड़ जावेगा ।

एक माननीय सदस्य: सभी महिलाएं·· (आगे अश्रव्य)

श्रीमती कान्ता खतूरिया: आज हमारे देश में पशु पालन और खेती से आय 43 से 50 परसेन्ट होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि सरकार को इस बात की तरफ और ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह सही है कि उत्पादन कुछ बढ़ा है मगर वह किस हद तक बढा है उसको देखा जाए तो वह नेगलीजिबिल है। उत्पादन के फिगर्स 1947 में देखें तो 52 मिलियन टन थे व 64-65 में 88 टन हो गये। इसलिये यह सही है कि बराबर उत्पादन बढ़ा है। लेकिन यह बात भूल नहीं सकते कि जो नीति फूड के बारे में राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने अपनाई और उसके लिये बड़े जोरों से भाषण दिया गया कि एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दिया जावे। लेकिन जब जब थोड़ी सी सफलता प्राप्त होने लगी तो आपने उस नीति को बदल दिया। 1947 में जो आंकड़े खाद्य पदार्थ जो इम्पोर्ट होते थे वह 47 में 2.12 आया करते थे यह 48 में 3.71 हो गये और आज करीब 10 मिलियन टन हो गये हैं। मैं इसके लिए यह निवेदन करूंगी कि उत्पादन के बढ़ाने के लिए सन् 48 में भारत सरकार ने लोर्ड वाईडोर को सलाह देने के लिये बाहर से बुलाया और कहा कि ऐसी नीति बताएं जिससे हिन्दुस्तान का खाद्य प्रोडक्शन बढ़ सके। उन्होंने एमर्जेन्सी फूड प्रोडक्शन पोलिसी बनाई उससे उत्पादन दो वर्षों में बढ़ गया और इम्पोर्टेड धान की कमी होकर वह 2.12 हो गया। यह होते ही सरकार ने ऐसा महसूस किया कि वह सेल्फ सफिशियन्ट हो गये हैं व उन्होंने अपनी इस नीति को बदल दिया और इन्ट्रीग्रेटेड फूड प्रोडक्शन की नीति बनाई। इसका मतलब यह कि सरकार ने कोमर्शियल क्रोप उत्पादन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। यह सरकार की गलत नीति रही····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीउपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायंकाल 5.05 बजे दिनांक 2-6-67 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 162 का उत्तर देखिये)

सूची नं. 1

अभावग्रस्त क्षेत्र में धान की व्यवस्था करने हेतु दुकानें खोली गई।

क्र. सं. 1	नाम ग्राम 2	
	तहसील मेडता.	
1.	सातलावास	ये दुकानें लेबर कैम्प पर थीं
2.	लाई	,,
3.	रोल चांदावता	,,
4.	रिया श्यामदास	,,
5.	मेडता	,,
	तहसील डेगाना	
1.	चांदासूण	,,
2.	जाखेडा	,,
3.	निंबी चांदावता	,,
	तहसील लाडनूं	
1.	सुनारी	,,
2.	निम्बी जोधा	,,
3.	खामीयाद	,,
4.	बाकलिया	,,
5.	डावडी	,,
	तहसील नागौर	
1.	पाचोडी	,,
2.	माडपुरा	,,

1	2	
3.	झेन्डल	ये दुकानें लेबर केम्प पर थीं
4.	सुखवासी	,,
5.	इन्दासर	,,
6.	बेरायल	,,
7.	भदाणा	,,
8.	गठीलासर	,,
9.	असायरी	,,
10.	टाकला	,,

तहसील जायल

1.	जायल	,,
2.	खाटू	,,
3.	तरनाऊ	,,
4.	मेरवास	,,

परिशिष्ट 2

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 162 का उत्तर देखिये)

सूची नं. 2

सूची अकाल सहायता कार्य की जो संवत् 2023 के अकाल में चालू किया गया।

सडकें

क्र. सं.	नाम कार्य	तारीख चालू होने की	तारीख बन्द होने की
1	2	3	4
	तहसील नागौर		
1.	गोगेलाव से चांडी	7-1-67	20-5-67
2.	नागोर से इनाना	30-1-67	
3	नागोर से बेराथल	31-1-67	19-5-67
4.	भदाना से झाडीसरा	9-2-67	14-4-67
5.	भदवासी गठीलासर	7-2-67	14-4-67
6.	खीवसर से सखवास	18-1-67	28-2-67
	तहसील जायल		
7.	खाटूबाठडी	30-1-67	
8.	तरवाऊ खाटू	21-2-67	
9.	खाटू बरनेल	30-1-67	15-4-67
10.	तरनाऊ खटोती	15-1-67	30-3-67
	तहसील मेडता		
11.	मेडता सिटी से नाडा	21-1-67	14-4-67
12.	मोंखा से लाम्बा	1-2-67	बन्द हो गया
13.	मेडता सिटी से बीमाड सिटी	3-2-67	7-4-67
	तहसील डेगाना		
14.	राजपुरा माजी	16-2-67	14-4-67

तहसील–डिडवाना

15.	मडूकडा तोसीन	16-1-67	बन्द हो गया
16.	सानीया तोसीन	16-1-67	7-3-67
17.	केराय-मामडोद	16-2-67	20-2-67

तहसील लाडनू

18.	लाडनू से टिरावटी	7-2-67	15-4-67
19.	जसवंत गढ डावडा	7-2-67	15-4-67
20.	बाकलिया बलूंद	8-2-67	15-4-67
21.	निम्बी जोधा मथू	8-2-67	15-4-67

भू-संरक्षण कार्य
तहसील–मेडता

1.	लाई	29-12-66	18-4-67
2.	रिया श्यामदास	21-1-67	16-4-67
3.	रोला चांदावता	8-2-67	4-4-67
4	मेडता सिटी	23-1-67	18-4-67

तहसील–नागौर

5.	भवादा	9-1-67	24-2-67
6.	बालवा	7-1-67	10-3-67
7.	आकला हमीराना	10-1-67	6-3-67
8.	बिरलोका	8-1-67	31-3-67
9.	आसावरी	14-3-67	चालू है।
10.	सूण	8-5-67	चालू है।
11.	टांकला	8-5-67	चालू है।
12.	इन्दास	31-5-67	9-4-67

तहसील–जायल

13.	मेरवास	10-3-67	चालू है

परिशिष्ट 3

(कृपया प्रश्न संख्या 174 का उत्तर देखिये)

नसीराबाद चुनाव क्षेत्र में दिसम्बर, 1966 से मई, 67 तक स्वीकृत किये गये तथा चालू किये गये कार्यों का ब्यौरा।

क्र. सं.	ग्रामों के नाम व कार्य	तारीख स्वीकृत राशि	राशि	व्यय	तारीख कार्य चालू	तारीख कार्य बन्द किया	तारीख कार्य पूरा किया	विवरण
1	2	3	4	5	6		8	9
	सिंचाई विभाग							
1.	केसरपुरा तालाब	29-12-66	10000.00	9347.78	8-1-67		18-2-67	
2.	फारकिया तालाब	29-12-66	2000.00	2668.53	11-1-67		मार्च 67	
			15000.00	15000.00				
3.	वडल्या तालाब	11-1-67	5000.00	7182.00	7-1-67		20-2-67	
4.	गोला तालाब	21-1-67	5000.00	3071.31	3-2-67		5-3-67	
5.	चांदसीन तालाब	2-2-67	5000.00	4365.10	3-2-67		20-3-67	
6	अर्जुनपुरा तालाब	2-2-67	5000.00	2457.95	13-2-67		2-3-67	
7	भीमपुरा	2-2-67	4000.00	2980.20	3-2-67		6-3-67	
8	चाट	2-2-67	4000.00	3988.00	10-2-67		7-3-67	
9	लवेरा	2-2-67	5000.00					
			5900.00	11615.70	2-2-67		8-3-67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				वन विभाग				
1	मांगलियावास दौलतखेडा	30-12-66	40000.00	30000.00			चालू है।	
				भवन व पथ निर्माण विभाग				
1	नसीराबाद श्रीनगर रोड	11-1-67	10000.00	9500.00	1-2-67		4-4-67	बन्द किया गया 3-3-67 के आदेशानुसार
2.	भवानी खेडा राजोसी रोड	21-1-67	25000.00		21-1-67		30-2-67	
3.	बागसुरी अडवासा रोड	21-1-67	25000.00		23-1-67	..	19-2-67	
4.	हूण्डोरामगढ रोड	21-1-67	35000.00	2830.69		..		चालू नहीं है।
5.	रामसर लोहरवाडा	25-1-67	50000.00			..		चालू है।
6.	फारकिया हाथोराा रोड	25-1-67	35000.00	27567.02		..		
7.	हाथीटा रोड से श्रीनगर रोड	23-1-67	30000.00	23415.0	18-1-67	..	4-3-67	
7.	लाडपुरा नारेली रोड	25-1-67	20000.00	29653.40	28-1-67	..	6-3-67	
		23-3-67	30000.00	7835.00	—	..	—	
8.	लाम्दडा नसीराबाद रोड	25-1-67	10000.00	2365.00	4-2-67	..	5-3-67	
9.	सनोदि से तिलाना रोड	,,	20000.00					चालू नहीं किये
10.	रामसर मोराझडी रोड	,,	80000.00					,,
11.	रामसर-सूरजपुरा रोड	,,	20000.00					
12.	रातालेडा कानपुरा रोड	25-1-67 2-2-67	40000.00 10000.00					,,

Page No.116

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	गोरा से सेठाना रोड	2-2-67	8900.00		5-2-67	..	27-2-67	चालू नहीं किए
14.	कानपुरा से तिहारी रोड	,,	10000.00	16350.00	28-1-67	..	7-3-67	
15.	नसीराबाद अजमेर रोड को चौडी कराना	,,	5000.00	9676.75	4-2-67	..	6-3-67	
				215.00	6-3-67			
16.	देराठू से भटियानी रोड	,,	7000.00	5181.00	4-2-67	..	27-2-67	
	भू संरक्षण विभाग							
जे.	भटियानी	29-12-66						कार्य चालू नहीं किया।
3.	झड़वासा प्रथम	11-1-67	50400.00	19129.70		..		चालू है।
3.	रामसर	,,	24000.00		5-1-67	..		चालू है।
4.	नान्दला	23-3-67	15384.00	22645.00		..		कार्य बन्द कर दिया गया।
5.	मांगलियावास	20-4-67	10000.00					कार्य चालू नहीं किया
6.	कानपुरा	,,	50000.00					,,
7.	मोतीपुरा	11-5-67	15000.00		17-5-67	..		,,
8.	ढाल	,,	20000.00		21-5-67	..		,,

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सचिवालय में सैल सिस्टम

175. (141मु. मं.) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूडावत : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शासन कार्य में सुधार लाने के लिए सचिवालय में सैल सिस्टम कायम करने का सरकार का इरादा था, उसका क्या हुआ ?

(2) क्या उस सिस्टम को अपनाया जायगा ?

(3) यदि नहीं, तो सचिवालय में कागजात के निकलने में जो बडा समय लगता है उसे रोक कर शीघ्र डिस्पोजल के लिए कौनसे नए तरीके अपनाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

सचिवालय में प्रकोष्ठ प्रणाली सर्व प्रथम जुलाई, 1960 में वित्त (व्यय) विभाग एवं नियुक्ति विभाग की कुछ शाखाओं में लागू की गई थी। तत्पचात् इसे शिक्षा विभाग और कृषि एवं सहकारिता विभाग में भी लागू कर दिया गया।

प्रशासनिक सुधार समिति ने सचिवालय में अभी जो तीनों सिस्टम-सैक्शन सिस्टम, ग्रुप सिस्टम एवं सैल सिस्टम है उनकी विवेचना करते हुए यह सुझाव दिया था कि योजना एवं विकास कार्यो से सम्बन्धित विभागों में प्रकोष्ठ प्रणाली अधिक सफल हो सकती है। प्रशासनिक सुधार समति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया। सिद्धान्त रूप से सचिवालय के सभी विभागों में प्रकोष्ठ प्रणाली लागूकरने की बात मान ली गई। यह निणय लिया गया कि प्रकोष्ठ प्रणाली एक फैज्ड प्रोग्राम के असुसार 3 वर्ष में सचिवालय क सभी विभागों में लागू करदी जावे। इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन 27 अगस्त, 1965 को किया गया। समिति प्रकोष्ठ प्रणाली को लागू करने के लिए कार्यक्रम बनायेगी एवं कागजों को निपटाने में विलम्ब को दूर करने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी देगी। समिति की रिपोर्ट आने पर ही इस प्रश्न पर आगे निर्णय लिया जायगा।

कागजों के शीघ्र निपटाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

हरियाना राज्य से लगते हुए गांव को बिजली

176. (22उ. मं.) श्री अमीलाल यादव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील बहरोड़ के हरियाणा राज्य की सीमा से लगे हुए ग्राम को इस वर्ष में सोना तावडू एवं पाली पावर हाउस से बिजली दी जाने की योजना है ?

उत्तर

सन् 1967-68 की योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है।

मांडलगढ़ उप-जिले में डिस्पेन्सरीज

177. (46 गृ. मं.) श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडलगढ़ उप-जिले में कितनी एलोपैथिक डिस्पैन्सरीज हैं और उन डिस्पेन्सरीज में से किन किन में डाक्टर हैं ?

(2) मांडलगढ खास में डाक्टर है या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि डाक्टर का अभव होने के कारण एक्सीडेन्ट में मरने वालों को पोस्टमार्टम के लिये साठ साठ माइल तक ले-जाना पड़ता है ?

उत्तर

(1) तीन डिस्पैन्सरी एक एडपोस्ट डिस्पैन्सरी व दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। किसी में भी डाक्टर नहीं है।

(2) नहीं है।

(3) जी हां भीलवाड़ा ले जाना पड़ता है जो मांडलगढ़ से केवल 30 मील दूर है।

डाक्टर के उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

178. (84 रा. म.) श्री [illegible]राम : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वर्ष में चूरू जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं ? तहसील वाइज सूची सदन की की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रामों में अकाल सहायता कार्य कहां कहां चालू किये गये हैं और उन पर कितने मजदूर कार्य करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में अकालग्रस्त गांवों के लोगों को अनाज मुहैया करने के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं ? यदि हां, तो कहां कहां और उन पर लोगों को कितना अनाज किस भाव से दिया जाता है ?

उत्तर

(1) चालू वर्ष में जिला चूरू की विभिन्न तहसीलों में कुल 45 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। तहसीलवार गांवों की सूची साथ संलग्न है, जो सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 5 देखिये)

(2) संलग्न सूची में अंकित ग्रामों में से किसी भी ग्राम में अकाल सहायता कार्य चालू नहीं किये गये हैं, क्योंकि इन अभावग्रस्त गांवों से राहत कार्य खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। और इन गांवों में कोई राहत कार्य खुलवाना इसलिए भी सम्भव नहीं था कि ये गांव एक दूसरे के निकटवर्ती न होकर अधिक दूरी के अन्तर पर थे। केवल एक गांव की जनसंख्या कोई राहत कार्य चलाने के लिये पर्याप्त नहीं थी।

(3) अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में आयातित गेहूं के वितरण की व्यवस्था की गई है एवं माह अप्रेल 67 में कुल अभावग्रस्त 45 गांवों के लिए 730 क्वि. एवं माह मई में 940 क्वि. गेहूं आवण्टित किया गया है। अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में तहसीलवार आयातित गेहूं के आवण्टन की सूची साथ संलग्न है, जो सदन

की मेज पर रखी गई है। इन अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में कोई ऐसी सस्ती अनाज की दुकानें नहीं खोली जा सकीं, इसका मुख्य कारण यह था कि कोई भी दुकानदार अथवा सहकारी समिति 15-20 क्वि. गेहूं बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ गावों के लिए सामूहिक रूप से कोई एक दुकान इसलिए नहीं खोली जा सकी क्योंकि उन गाँवों में आपस की दूरी अधिक थी।

पंचायत समिति कामां के क्षेत्र में बांध निर्माण

179. (24।उ. मं.) श्री मजलिसखां : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां ने प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार से यह मांग की है कि ग्राम भोजपुरी-झीलपट्टी ग्राम खेडा-धोधार और ग्राम बासौली, ग्राम खोहरा, ग्राम मांची में नये बांधों का निर्माण कराया जाय ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और इस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायत समिति कामां का कोई प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

बूंदी अस्पताल का इन्डोर वार्ड

180. (14।प्र. शा.) श्री केशरीसिंह : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला बूंदी के जनरल होस्पिटल में सन् 1947 के पश्चात् अब तक सरकार ने कितने नये इन्डोर वार्ड बनाये हैं ?

(2) मौजूदा इन्डोर वार्ड्स में कितने पलंग हैं ?

उत्तर

(1) कोई नहीं।

(2) कुल 94 पलंग हैं जिनमें से 40 पलंग फीमेल साइड में है।

जिला बासवाड़ा में आदिवासियों को नौकरी

181. (20कृ. मं.) श्री विट्ठल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

जिला बांसवाडा में कितने आदिवासी व्यक्तियों ने सम्बन्धित एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के कार्यालय में 65-66 से अब तक अपने नाम रजिस्टर करायें हैं ? तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी मिल सकी है ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नियोजन कार्यालय, बांसवाडा 1 अप्रेल, 1965 से 30 अप्रेल, 1967 तक 754 आदिवासियों ने अपने नाम रजिस्टर करवाये तथा इस अवधि में कुल 203 आदिवासियों को नियोजन कार्यालय की सहायता से नौकरिया मिलीं। एक साल से पुराने नामों की सूचना देना संभव नहीं है तथा बाकी एक साल की सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही पेश करदी जायगी।

बरडिया बांध का निर्माण

182. (20।उ. म.) श्री हरलाल मीणा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौडगढ, तहसील प्रतापगढ में बरडिया

नाल का बांध बन्धवाने बाबत सर्वे पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध में किसी की काश्त की जमीन डूब में नहीं आती है ? यदि हां, तो फिर काम चालू क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सच है कि बांध को बांधने से हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है ? यदि हां, तो काम कब तक चालू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां किन्तु अभी सर्वे अपूर्ण है।

(3) इस बारे में सर्वेक्षण के पूर्ण होने पर तथा तखमीना बनने पर ही कुछ कहा जा सकता है जहां तक कार्य को प्रारम्भ करने का सवाल है वह धन राशि के उपलब्ध होने पर निर्भर है।

वार्ड नयापुरा, कोटा में अनधिकृत कब्जा

183. (121।रा. मं.) श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर के वार्ड नयापुरा उत्तर में खालों के अन्दर अनेकों व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर के मकान बनवा लिये हैं। अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति के ही हैं ?

(3) क्या सरकार का इनकी तामीरों के सम्बन्ध में इरादा रेगुलराइज करने का है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। लगभग 1½ वर्ष से।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

कामां पहाड़ी ड्रेनेज कनाल का निर्माण

185. (26।उ. म.) श्री मजलिसखां : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कामां-पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल का निर्माण कार्य कामां डाक बंगले से गोवर्धन ड्रेनेज क्षेत्र तक अधूरा पड़ा है। यदि हां, तो क्या कारण है कि निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है, जबकि खेत भी खाली पड़े हैं और पानी भी कहीं नहीं भरा हुआ है ?

(2) क्या सरकार इस अधूरे कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या आगामी वर्षा काल से यह कार्य पहले पहले ही पूरा करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि यदि यह कार्य पूरा नहीं कराया गया तो 13 ग्रामों की भूमि वर्षा शुरू होते ही फिर डूब में आ जावेगी और इन की जनता और पशुधन की दर पूर्ति की समस्या फिर से जटिल हो जायगी ?

उत्तर

(1) यह कार्य योजना में नहीं था इसलिये अपूर्ण रहने का सवाल नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 5

(कृपया प्रश्न संख्या 178 का उत्तर देखिए)

सूची ग्राम अकाल ग्रस्त-जिला चूरू

क्रमांक	नाम तहसील	नाम ग्राम जो अकालग्रस्त घोषित किये गये	उत्पादन	जनसंख्या	
1	2	3	4	5	
1.	चूरू	1 डाडरिया बेनीरोतान	4 आने से कम	390	
		2 रीविया	,,	745	
		3 धोधलिया	,,	396	
		4 नाकरासर	,,	772	4369
		5 कुनसीसर	4 आने से 6 आना	490	
		6 बालरासर	,,	576	
		7 खन्डवा पट्टा झारिया	,,	318	
		8 खन्डवा पट्टा पीविसर	,,	344	
		9 डाडरिया चरनान	,,	338	
2.	सरदारशहर	1 वायला	4 आने से कम	600	
		2 अमरासर	,,	95	
		3 मेहरी राजवीयान	4 आने से 6 आन	672	4891
		4 मेहरी पुरोहितान	,,	574	
		5 दोलासर	,,	323	
		6 तोलासर	,,	364	
		7 मालकसर	,,	622	
		8 लोडसर	,,	150	
		9 जोरावरपुरा	,,	75	
		10 बोधेरा	,,	1138	
		11 नोमड़ासर	,,	278	
3.	तारानगर	1 गोडास	4 आने से कम	369	
		2 करनपुरा	4 आने से 6 आना	184	4025
		3 भालेरी	,,	1205	
		4 रैयाटुन्डा	,,	1905	
		5 झांझनी	,,	372	

1	2	3	4	5	
4.	सुजानगढ़	1 मुन्दडा	4 आने से 6 आने	1174	
		2 लिखमनसर	,,	738	
		3 बासीआयुना	,,	291	
		4 जीली	,,	537	
		5 मंगलवासी	,,	89	5668
		6 सरोठिया	,,	831	
		7 मरोठिया	,,	133	
		8 बिलांगा	,,	189	
		9 बाडां	,,	240	
		10 बेरासर	,,	854	
		11 गेडाप	,,	592	
5.	डूंगरगढ	1 माणकसर	4 आने से कम	379	
		2 बेनीसर	,,	556	
		3 लादडिया	,,	131	
		4 बरजांगसर	4 आने से 6 आने	708	4891
		5 पुन्दलसर	,,	622	
		6 हेमासर	,,	218	
		7 पुनरासर	,,	985	
		8 लखासर	,,	966	
		9 बीझासर	,,	600	

कुल अकालग्रस्त ग्राम 45, अकालग्रस्त ग्राम 4 आने से कम पैदावार वाले 10, अकालग्रस्त ग्राम 4 आने से 6 आने तक की पैदावार वाले 45.

सूची आवण्टन आयातित गेहूं जो अप्रेल व मई 67 में अभावग्रस्त क्षेत्रों के लियें किया गया–जिला चूरू–

नाम तहसील 1	अभाव ग्रस्त ग्रामों की संख्या 2	जन संख्या वितरण की मात्रा 3		आयातित गेहूं एलाट किया गया 4	गेहूं का भाव प्रति किलो 5
		माह अप्रेल 1967 का एलॉटमेन्ट			
1 चूरू	9	4369	3 किलो प्रतिव्यक्ति	132 क्वि.	62 पै. प्रति कि.
2 सरदारशहर	11	4891	3 ,,	140 क्वि.	,,

परिशिष्ट 5

1	2	3		4	5
3. तारानगर	5	4025	3 किलो प्रति व्यक्ति	121 क्वि.	62 पै. प्रति किलो
4. सुजानगढ़	11	5668	3 ,,	180 क्वि.	,,
5. डूंगरगढ़	9	5165	3 ,,	154 क्वि.	,,
			माह मई 1967 का एलाटमेन्ट		
1. चूरू	9	4369	3 किलो प्रति व्यक्ति	150 क्वि.	,,
2. सरदारशहर	11	4891	3 ,,	150 क्वि.	,,
3. तारानगर	5	4025	3 ,,		,,
4. सुजानगढ़	11	5668	5 ,,	300 क्वि.	,,
5. डूंगरगढ़	9	5165	4 ,,	220 क्वि.	,,

शुद्धि पत्र

(गुरुवार, दिनांक 1 जून, 1967)

एकल्म संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
26	15	मन	मैंने
52	3	उहोंने	उन्होंने
66	शीर्ष	को	×
67	12	रेगयुलर	रेग्युलर
73	अन्तिम से 10	छपा	छपी
85 से 100	शीर्षक	बाड़मेर की सीमा सम्बन्धी को	बाड़मेर की सीमा संबंधी
100	17	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
101 से 122	शीर्षक	अजमेर जल प्रदाय का	अजमेर जल प्रदाय योजना पर
101	15	मंत्रा	मंत्री
101	अन्तिम से 5	कोन्कड्यटि	कोन्क्रीट
110	अन्तिम पंक्ति	बावजूदा	बावजूद
133	अन्तिम	लूट था	लूटा था
139	17	पठना	पकना
156	19	आदमी	×
167	अन्तिम से 11	वस्तविक	वास्तविक
177	अन्तिम से 4	पुनविचर	पुनर्विचार
179	,, 5	जनता	×
192	अन्तिम	इकट्ठ	इकट्ठे
195	6	टकस	टेक्स
195	19	टेक्स	टेक्स
195	अन्तिम	मध्यप्रतेश	मध्यप्रदेश
197	अन्तिम 3	दिश	दिशा
200	17	बज	बजा
209	अन्तिम 4	फिगिर्स	फिगर्स
209	,, 2	अनमाम	अनुमान
209 से 217	शीर्षक	खतूरिया	कथूरिया
213	14	recorveries	recoveries
226	7	रादा	इरादा
230	3	जाससों	जासूसों
233	5	कनाल	केनाल
233	अन्तिम से 6	पशधन	पशुधन